

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 1]	नई दिल्ली, जनवरी 3—जनवरी 9, 2016, शनिवार∕पौष 13—पौष 19, 1937
No. 1]	NEW DELHI, JANUARY 3—JANUARY 9, 2016, SATURDAY/ PAUSA 13—PAUSA 19, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 1.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, और सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक उनका संबंध रिजस्ट्रार, उप रिजस्ट्रार और सहायक रिजस्ट्रार के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में रिजस्ट्रार, उप रिजस्ट्रार और सहायक रिजस्ट्रार के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण समूह ''क'' पद भर्ती नियम, 2015 है।

5522 GI/2015 (1)

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. **लागू होना**.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ(1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन पद	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए
			वेतन या वेतनमान	है अथवा	जाने वाले	जाने वाले
				अचयन	व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए
				पद	लिए आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक
						और अन्य
						अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. रजिस्ट्रार	01* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड -3,	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार	सेवा, समूह "क"	15600-39,100/-			
	पर परिवर्तन किया	राजपत्रित, अननुसचिवीय	रु.और ग्रेड वेतन			
	जा सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं		द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
या नहीं।		रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित: वेतन बैंड-3, 15600-39100 और 6600 रु. ग्रेड में ऐसा उपरिजस्ट्रार ने सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और अपील अधिकरण, जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण-1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से विधिक या प्रशासनिक मामले के प्रशिक्षण के पूरा किए जाने के अध्यधीन प्रोन्नित होगी।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नित सिमिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीमाशुल्क उत्पाद-शुल्क अपील अधिकरण -सदस्य 3. उपाध्यक्ष या सदस्य सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
टिप्पण-2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
टिप्पण-3: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधरित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

लिए निर्णायक अन्यथा तारीख भारत में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियों से कारणों के ति)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। उजपत्रित, अननुसचिवीय उज्जुत्ते के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथल की में न्यायिक या जा सकती है। तिथ्यण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से कारणों के ित्र		आवश्यक:		चयन	वेतन बैंड-3,	साधारण केन्द्रीय	10* (2015)	2.उप
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो विवेकानुसार शि जा सकती हैं। शि अंतिम तारीख जो शि शि असम, मेघालय, संबंधी अर्हता (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, लेख बद्ध किए जें लोक सेवा आ	य या संस्थान ग्री ल्क उत्पाद लिक् उत्पाद पा कर मामले या विधिक च वर्ष का अर्हताएं, सुअर्हित ही दशा मे लिए जो ए जाएं संघ अनुभव ा (अर्हताएं, आयोग के अनुभव र अनुसूचित र	(i) किसी मान विश्वविद्यालय से विधि में डिग्रं (ii) सीमाशुल्य शुल्क और सेवा में न्यायिक य कार्य में पांच अनुभव। टिप्पण-1: अन्यथा अभ्यर्थियों की कारणों के लेखबद्ध किए लोक सेवा विवेकानुसार जित्यों और जनजातियों और जनजातियों और जनजातियों और जनजातियों के की दशा में तब जा सकती हैं जि उनके लिरिक्तियों को भा अपेक्षित अनुभ्ववाले उन सम्अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के अपेक्षित अनुभ्ववाले उन सम्अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थियों के अपेक्षित अनुभ्ववाले उन सम्बन्ध अभ्यर्थियों के अभ्यर्थिये	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बाजिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के	चयन	15600- 39,100/- रु. और ग्रेड वेतन	सेवा, समूह "क" राजपत्रित,	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नित: वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. में सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण में ऐसा सहायक रजिस्ट्रार जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण-1: सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से विधिक या प्रशासनिक मामले पर प्रशिक्षण के पूरा होने के अध्यधीन प्रोन्नति होगी।

टिप्पण-2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण-3: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति:-

- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-
- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य के पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और
- (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते है।

(12)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:

- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण –अध्यक्ष
- (2) उपाध्यक्ष या सदस्य, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण -सदस्य
- (3) सदस्य, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण - सदस्य

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) – अध्यक्ष
- (2) उपाध्यक्ष या सदस्य, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण -सदस्य
- (3) सदस्य, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) -सदस्य

(13)

सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.सहायक रजिस्ट्रार	(2) 18* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन बैंड -3, 15600- 39,100/- रु. और ग्रेड वेतन 5400/- रु.	(5)	(6) 35 वर्ष से अनिधक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	विधि में डिग्री (ii) सीमाशुल्क उत्पाद-शुल्क और सेवा कर मामलों के क्षेत्र में न्यायिक या विधिक कार्य में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

		हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों कि लिए विहित की गई है।)	दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
(8)	(9)		(10)
आयु: नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले और प्रो	न्नत व्यक्तियों 50 प्र	तिशत सीधी भर्ती द्वारा।
शैक्षणिक अर्हता : हां	के लिए एक वर्ष	50 प्रति	शत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो
		सकने पर	र प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)(12)(13)पद भरने के लिए समह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के प्रोन्नित: वेतन बैंड-2. 9300-34800 और ग्रेड वेतन लोक संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें 4200 रु. में सीमाशल्क उत्पाद-शल्क सेवा कर अपील आयोग से परामर्श निम्नलिखित होंगे:-अधिकरण में कोर्ट मास्टर जिसने श्रेणी में नियमित आठ वर्ष करना आवश्यक है। (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक -सेवा की हो। सेवा आयोग - अध्यक्ष टिप्पण-1 : सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सचिवालय (2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या किसी संस्थान से विधिक या प्रशासनिक मामले पर प्रशिक्षण के पुरा किए जाने के और सेवा कर अपील अधिकरण – अध्यधीन प्रोन्नति होगी। (3) उपाध्यक्ष या सदस्य, सीमाशुल्क, उत्पाद-टिप्पण-2 : टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण - सदस्य में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्त यह बनेगी:-तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, (1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सीमाशुलक, उत्पाद-शुलक अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) -अध्यक्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे (2) उपाध्यक्ष या सदस्य, सीमाशुल्क, उत्पाद-कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण- सदस्य लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली (3) सदस्य, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण - सदस्य टिप्पण-3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतन मान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतन मान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है. उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधरित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति:-ा. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन वैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत् केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारिख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तस्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

[फा. सं. ए-26016/1/2012-प्रशा.I ग (सीस्टेट)] एस. भौमिक. अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd December, 2015

G.S.R 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the posts of the Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Registrar,

Deputy Registrar and Assistant Registrar in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, namely:-

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied the such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Registrar	1* (2015)	General Central	Pay band-3,	Selection	Not	Not
		Service, Group	Rs. 15600 -		applicable	applicable
	*Subject to	'A' Gazetted,	39100 plus			
	variation	Non- Ministerial	grade pay Rs.			
	dependent on		7600			
	workload					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: Deputy Registrar in Customs, Excise and Service Tax, Appellate Tribunal in pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay Rs. 6600with five years regular service in the grade. Note 1: Promotion shall be subject to completion of training on legal or administrative matters from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognised by the Government. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their provision period for promotion to the next higher grade along	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1.) Chairman or Member, Union Public Service Commission-Chairman; (2) President or Vice- President, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal - Member; (iii) Vice- President or Member, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	
such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common	
grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that	
grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Deputy	10* (2015)	General	Pay band-3,	Selection	Not exceeding 40	Essential:
Registrar		Central	Rs. 15600 -		years (relaxable for	
	*Subject to	Service,	39100 plus		Government servants	(i) Degree in law
	variation	Group 'A'	grade pay		upto five years' in	from a
	dependent on	Gazetted,	Rs. 6600		accordance with the	recognised
	workload.	Non-			instructions or orders	University or
		Ministerial.			issued by the Central	Institute.
					Government).	
						(ii) Five years
					Note: The crucial date	experience in
					for determining the	Judicial or Legal
					age-limit shall be the	work in the field
					closing date for receipt	of Customs,
					of applications from	Excise and
					candidates in India,	Service Tax
					(and not the closing	matters.
					date prescribed for	
					those in Assam,	Note 1: Quali-
					Meghalaya, Arunachal	fications are
					Pradesh, Mizoram,	relaxable at the

		37 1 37 1 1	11 1 0 1
		Manipur, Nagaland,	discretion of the
		Tripura, Sikkim,	Union Public
		Ladakh Division of	Service
		Jammu and Kashmir	Commission for
		State, Lahaul and Spiti	reasons to be
		District and Pangi	
		_	
		Sub- Division of	writing, in case
		Chamba District of	of candidates
		Himachal Pradesh,	otherwise well
		Andaman and Nicobar	qualified.
		Islands or	
		Lakshadweep.	Note 2: The
		Zanshad weep.	qualification
			regarding
			experience is
			relaxable at the
			discretion of the
			Union Public
			Service
			Commission for
			reasons to be
			recorded in
			writing, in case
			of candidates
			belonging to the
			Scheduled Castes
			or the Scheduled
			Tribes, if at any
			stage of selection
			the Union Public
			Service
			Commission is of
			the opinion that
			sufficient number
			of candidates
			from these
			communities
			possessing the
			requisite
			experience are
			not likely to be
			available to fill
			up the vacancies
			reserved for
			them.
			tiiCiii.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	One	By	Promotion:	Group 'A' Departmental	Consultation
applicable	year for	promotion	Assistant Registrar in	Promotion Committee	with Union
	direct	failing	Customs, Excise and Service	(for considering	Public Service
	recruits	which by	Tax, Appellate Tribunal in pay	promotion) consisting of:-	Commission
		deputation	band-3 Rs. 15600-39100 plus	(1) President or Vice-	necessary
		and failing	grade pay of Rs. 5400 with	President, Customs, Excise	while making
		both by	five years regular service in	and Service Tax Appellate	direct
		direct	the grade.	Tribunal- Chairman;	recruitment
		recruitment.		(2) Vice-President or	and filling post
			Note 1: Promotion shall be	Member, Customs, Excise	by deputation.
			subject to completion of	and Service Tax Appellate	
			training on legal or	Tribunal – Member;	

administrative matters from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognised by the Government.

Note 2: Where juniors who completed have qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their provision period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such eligibility qualifying or service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (3) Member, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal-Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-

- (1) President or Vice-President, Customs , Excise and Service Tax Appellate Tribunal- Chairman;
- (2) Vice- President or Member, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal- Member;
- (3) Member, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)- Member.

- (ii) with five years' regular service in the grade in posts in the pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).
- Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
- **Note 3:** The maximum agelimit for appointment by deputation shall not to exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to Ist January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay

or pay scale is the normal
replacement grade without any
upgradation.

		T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) 3. Assistant Registrar	(2) 18* (2015) *Subject to variation dependent on workload	(3) General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	(4) Pay band-3, Rs. 15600 - 39100 plus grade pay Rs. 5400	(5) Selection	Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Degree in law from a recognised University or Institution. (ii) Three years experience of Judicial or Legal work in the field of Customs, Excise and Service Tax matters. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from

			requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies
			reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age : No	One year for	50% by	Promotion:	Group 'A' Departmental	Consultation
	direct	direct	Court Master in Customs,	Promotion Committee	with Union
Educational	recruits and	recruitment;	Excise and Service Tax,	(for considering	Public
Qualification	promotees.		Appellate Tribunal in pay	promotion) consisting	Service
: Yes	1	50% by	band-2 Rs. 9300-34800	of:-	Commission
		promotion	plus grade pay Rs. 4200		necessary for
		failing	with eight years regular	(1) Chairman or Member,	filling up of
		which by	service in the grade.	Union Public Service	post.
		deputation.	Note 1: Promotion shall	Commission — Chairman;	
			be subject to completion		
			of training on legal or	(2) President or Vice-	
			administrative matters	President, Customs ,	
			from Institute of	Excise and Service Tax	
			Secretariat Training and	Appellate Tribunal	
			Management or any other	– Member;	
			institute recognised by the	(2) Y. D	
			Government.	(3)Vice-President or	
			Note 2: Where juniors	Member, Customs, Excise	
			who have completed their	and Service Tax Appellate Tribunal – Member.	
			qualifying or eligibility service are being	Tilbunai – Member.	
			considered for promotion,	Group 'A' Depart-	
			their seniors shall also be	mental Confirmation	
			considered provided they	Committee (for consider-	
			are not short of the	ing confirmation)	
			requisite qualifying or	consisting of:-	
			eligibility service by more		
			than half of such	(1) President or Vice-	
			qualifying or eligibility	President, Customs, Excise	
			service or two years,	and Service Tax Appellate	
			whichever is less, and	Tribunal (CESTAT)	
			have successfully	— Chairman;	
			completed their probation		
			period for promotion to		
			the next higher grade	(2) Vice-President or	
			along with their juniors	Member, Customs, Excise	
			who have already	and Service Tax Appellate	
			completed such qualifying	Tribunal –Member;	
			or eligibility service.	(2) M 1 C :	
			Note 3: For the purpose	(3) Member, Customs,	
			of computing minimum	Excise and Service Tax	
			qualifying service for promotion, the service	Appellate Tribunal —Member.	
			rendered on a regular basis	—Weinber.	
			by an officer prior to Ist		
			January, 2006 or the date		
			from which the revised		
			pay structure based on the		
			recommendations of the		
			Sixth Central Pay		
			Commission has been		
			extended, shall be deemed		
L	I	1	man or decined	I .	I

to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre- revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without upgradation.

Deputation:

Officers of the Central Government or State Governments or Union Terriorities,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with two years' regular service in the grade in posts in pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with three years' regular service in the grade in posts in pay band-2; Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iv) with eight years' regular service in the grade in posts in pay band-2; Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the educational qualifications
- educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputations shall not be eligible for

Γ Τ		T	
	consideration for		
	appointment by		
	promotion.		
	Note 2: Period of		
	deputation including		
	period of deputation in		
	another ex-cadre post held		
	immediately preceding		
	this appointment in the		
	same or some other		
	organisation or		
	Department of the Central		
	Government shall		
	ordinarily not exceed		
	three years. The maximum		
	age-limit for appointment		
	by Deputation shall not be		
	exceeding 56 years as on		
	the closing date of receipt		
	of applications.		
	Note 3: For the purpose		
	of appointment on		
	deputation basis, the		
	service rendered on		
	regular basis by an officer		
	prior to 1st January, 2006		
	or the date from which the		
	revised pay structure		
	based on the		
	recommendations of the		
	Sixth Central Pay		
	Commission has been		
	extended, shall be deemed		
	to be service rendered in		
	the corresponding grade		
	pay or pay scale extended		
	based on the		
	recommendations of the		
	said Pay Commission		
	except where there has		
	been merger or more than		
	one pre-revised scale of		
	pay into one grade with a		
	common grade pay or pay		
	scale, and where this		
	benefit will extend only		
	for the posts for which that		
	grade pay or pay scale is		
	the normal replacement		
	grade without any		
	upgradation.		

[F. No. A-26016/1/2012-Ad.1C(CESTAT)]
S. BHOWMICK, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) (प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

- सा.का.नि. 2.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय स्थापन समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को, जहां तक उनका संबंध मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मशीन प्रचालक (ज्येष्ठ) और बढ़ई भर्ती नियम, 2016 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन तथा वेतनमान उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि –**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः-
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
- 5. शि<mark>षिल करने की शक्ति-</mark> जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.मशीन	*3	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड—1,	चयन ।	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रचालक	(2016)		5200—20200 रु.		होता ।	होता ।
(ज्येष्ठ)			रु□ये + ग्रेड वेतन			
	*(कार्यभार के	अननुसचिवीय	1900 रू□ये			

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)					
--	--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	`	प्रोन्नति समिति है,	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 🏻 र	प्रोन्नित : बहुकार्य कर्मचारिवृन्द जिनकी अण्नो श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है । प्रितिनयुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिनका वेतन बैंड -1, 5200-20200 रूप्ये + ग्रेड वेतन 1800 रूप्ये पर तीन वर्ष की नियमित सेवा है: और जो आफ़सेट मशीन या अन्य कार्यालय साधित्रों के प्रचालन का कार्यसाधक अनुभव रखते हैं । िटपण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया ३ वर्ष से अधिक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से प्रहेते या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित सिमिति प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलेखित होंगं:— 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी—अध्यक्ष 2.उपनिदेशक (प्रशासन), लाल	लागू नहीं होता ।
			पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित		

	आधार पर की गई सेवा को, सिवाय	
	उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व	
	ुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड	
	वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में	
	विलय हो गया हो और वहां यह लाभ	
	केवल उस 🛮 द 🗘 र विस्तारित होगा	
	जिसके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी	
	उन्नयन का साधारण प्रतिस्था□न ग्रेड है	
	उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों 🛛 र	
	आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन	
	या वेतनमान 🛛 र की गयी सेवा समझी	
	जाएगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	01*		वेतन बैंड—1,	लागू	25 वर्ष से अनधिक ।	आवश्यकः
काष्ठकार	(2016)	केन्द्रीय सेवा,		न्हीं	\ <u>\</u>	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड
		समूह 'ग',		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा	से मैट्रिकुलेशन अवश्य
	*(कार्यभार		वेतन 1900		समय–समय पर जारी	रखता हो,
	के आधार	अननुसचिवीय	रू□ये		किए गए अनुदेशों या	(2) किसी औद्योगिक
	पर परिवर्तन				आदेशों के अनुसार	प्रशिक्षण संस्थान या
	किया जा				विभागीय अभ्यर्थियों के	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र या
	सकता				लिए 40 वर्ष तक शिथिल	राष्ट्रीय व्यावसायिक ट्रेड
	है ।)				की जा सकती है)	्र प्रशिक्षण □रिषद से काष्ठकार
					टिप्पण 1: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए	प्रमाण □त्र या रक्षा ट्रेड
					निर्णायक तारीख भारत में	प्रमाण 🛮 त्र के साथ तीन वर्ष
					अभ्यर्थियों से आवेदन	का अनुभव हो; या रक्षा
					करने के लिए नियत की	सेवा विनियम (अर्हता
					गई अंतिम तारीख होगी।	विनियम) में सेनिकों के
					(न कि वह अंतिम तारीख	लिए काष्ठकार के लिए यथा
					जो असम, मेघालय,	अधिकयित 🛮 ।ठयक्रम वर्ग-
					अरूणाचल प्रदेश,	
					मिजोरम, मणिपुर,	2 ास हो।
					नागालैंड, त्रिपुरा,	
					सिक्किम्, जम्मू–कश्मीर	टिप्पण 1 : अर्हताएं,
					राज्य के लद्दाख खंड,	अन्यथा सुअर्हित
					हिमाचल प्रदेश के	अभ्यर्थियों की दशा में
					लाहोल और स्पीति जिले	सक्षम प्राधिकारी के
					तथा चम्बा–जिले का	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।
					पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या	जा सकता ह
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	
					लिए विहित की गई है।)	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी
					ालर ।याद्या यम गई है।)	अर्हता (अर्हताएं) सक्षम
					टिप्पण 2 : रोजगार	प्राधिकारी के विवेकानुसार
					कार्यालय के माध्यम से	अनुसूचित जातियों और
					आने वाले अभ्यर्थियों की	अनुसूचित जनजातियों के
					दशा में प्रत्येक मामले में	अभ्यर्थियों की दशा में
					VALUE OF THE STATE	तब शिथिल की जा

	आयु—सीमा अवधारित सकती हैं जब चयन करने के लिए निर्णायक किसी प्रक्रम पर सक्ष तारीख वह अंतिम तारीख प्राधिकारी की यह राय होगी जिस तक रोजगार कि उनके लिए आरिक्ष कार्यालय से नाम भेजने रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया है । लिए अपेक्षित अनुभ् रखने वाले उन समुदा के अभ्यर्थियों के पर्या संख्या में उपलब्ध हे की संभावना नहीं है ।	क्षम म है सेत के एभव एयों र्शित होने
--	---	---

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू	दो	सीधी भर्ती द्वारा	लागू	समूह "ग" विभागीय	
नहीं	वर्ष		नहीं	प्रोन्नति समिति	होता ।
होता।		टिपाण 1: □दधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या	होता ।	(प्रोन्नति के संबंध मे	
		अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य 🛮 रिस्थितियों में एक वर्ष या		विचार के लिए)	
		उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां		निम्नलिखित में	
		केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति		मिलकर	
		के आधार 🛮 र भरी जा सकेंगी : -		बनेगी :	
		(i) जो मूल काडर या विभाग में सद्रश □द धारण किए			
		ह्ए हैं ; या		1. संयुक्त निदेशक,	
		्(ii) जिनकी वेतन बैंड -1, 5200-20200 रू□ये सदृश +		लाल बहादुर शास्त्री	
		ग्रेड वेतन 1800 रू□ये में नियमित सेवा है और		राष्ट्रीय प्रशासन	
		स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले		अकादमी, –अध्यक्ष	
		व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं			
		1		2. उप—निदेशक	
		टिप्पण 2:-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए		(प्रशा.), लाल बहादुर	
		जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार		शास्त्री राष्ट्रीय	
		अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के		प्रशासन अकादमी	
		अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब		–सदस्य	
		चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय			
		है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए		3. उप–निदेशक,	
		अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन् समुदायों के अभ्यर्थियों		लाल बहादुर शास्त्री	
		के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है		राष्ट्रीय प्रशासन	
		1		 अकादमी –सदस्य	

[फा.सं. टी-21011/2/2014—अकादमी डेस्क]

ओ. पी. चावला, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(TRAINING DIVISION)

New Delhi, the 5th January, 2016

- **G.S.R. 2.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Office Establishment Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the posts of Machine Operator (Senior) and Carpenter, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Machine Operator (Senior) and Carpenter, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie Machine Operator (Senior) and Carpenter, Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale. The number of the posts, their classification and the pay band and the grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications.-** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number	Classifica-	Pay band and	Whether	Age-	Educational	Name of	Number of
post	of post	tion	grade pay or	selection	limit for	and other	post	post
			pay scale	post or	direct	qualification		
				Non-	recruits	s required		
				selection		for direct		
				post		recruits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	03*	General	Pay Band-1,	Selection.	Not appli-	Not	Not	Not
Machine	(2016)	Central	Rs. 5200-		cable.	applicable.	applicable.	applicable.
Operator		Service	20200 with					
(Senior)	(*Subject	Group 'C'	Grade Pay					
	to	Non-	Rs. 1900/-					
	variation	Gazetted,						
	dependent	Non-						
	on work	Ministerial.						
	load).							

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation grades from which promotion/deputation to be made
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation.	Promotion: Multi Tasking Staff with three years regular service in the respective grade. Deputation:	Group 'C' Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Joint Director, Lal	Not applicable.
	Officers of the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1800/-; and having working experience in operating Offset Machines or other office appliances. Note 1 The period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post preceding this appointment in the same or some other organization shall not ordinary exceed three years. (The maximum age-limit for appointment on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.)	Bahadur Shastri National Academy of Administration - Chairman 2. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member	
	Note 2 For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an official prior to the 1 st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		

2. Carpenter 01* General Pay Not Not exceeding 25 years. Essential:	
limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In the case of appointments to be made through the Employment Exchange the crucial date for determining the agelimit shall be in each case, the last date upto which the employment exchange are asked to submit the names. Trade Certificate three years experiors in three years experior of Carpenter as laid or Qualification. Regulations (Qualification of Chamba district	tificate raining dustrial c's or cational Defence c, with crience; arse for down rvice cations at the ority in didates well qualigarding laxable of the atthority e of ging to Castes I Tribes age of mpetent of the fficient

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By direct recruitment.	Not	Group 'C' Departmental	Not
applicable.	years.		applicable.		applicable.
		Note 1: Vacancies caused by the		considering promotion)	
		incumbent being away on study leave or		consisting of :—	
		long illness or under other circumstances			
		for a duration of one year or more may		1. Joint Director, Lal	
		be filled on deputation basis from		Bahadur Shastri National	
		officers of Central Government		Academy of Administration -Chairman	
		(i) holding analogous post on regular			
		basis; or		2. Deputy Director	
		(ii) with three years regular service in the		Administration, Lal	
		PB-1, Rs. 5200-20200 with Grade Pay		Bahadur Shastri National	
		Rs. 1800/-;		Academy of Administration	
		and having qualifications and experience		- Member	
		prescribed for direct recruits in column		2 Danutri Dinastan I al	
		(7).		3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National	
		Note 2: The qualifications regarding		Academy of Administration	
		experience are relaxable at the discretion		- Member	
		of the competent authority in the case of		- Wember	
		candidates belonging to the Scheduled			
		Castes or the Scheduled Tribes if at any			
		stage of selection the competent authority			
		is of the opinion that sufficient number of			
		candidates from these communities			
		possessing the requisite experience are			
		not likely to be available to fill up the			
		vacancies reserved for them.			

[F. No. T-21011/2/2014-Academy Desk]

O.P. CHAWLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 3.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, (हिन्दी अनुदेशक) भर्ती नियमावली, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में हिन्दी अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (हिन्दी अनुदेशक) भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** पद संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

- 3. **भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** –भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूबोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है |
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
- 5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां व उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा अयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **ब्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		·		1		
पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन	सीधे भर्ती किए जाने	
नाम	संख्या		और ग्रेड	या	वाले व्यक्तियों के लिए	
			वेतन या	अचयन	आयु—सीमा	अपेक्षित शैक्षिक और
			वेतनमान	पद		अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हिन्दी	1*	साधारण	वेतन बैंड—2,	लागू	30 वर्ष से अनधिक।	आवश्यक :
अनुदेशक	(2016) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सेवा,	9300—34800 रूपये + ग्रेड येतन 4800 रूपये।	नहीं होता।	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण :— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में हिन्दी अध्यापन में एक वर्ष का अनुभव ।
					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा	वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में डिग्री । टिप्पण 1 : अईताएं, अन्यथा सुअईत अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

		चम्बा–जिले का	पांगी	टिप्पण 2 : अनुभव
		उपखंड, अंदमान		
		निकोबार द्वीप		
		लक्षद्वीप के अभ्य		
		के लिए विहित की		
			ן יוּ	
		है ।)		के विवेकानुसार
				अनुसूचित जातियों और
				अनुसूचित जनजाति के
				अभ्यर्थियों की दशा में
				तब शिथिल की जा
				सकती है जब चयन के
				किसी प्रक्रम पर कर्मचारी
				चयन आयोग की यह
				राय है कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों को
				भरने के लिए अपेक्षित
				अनुभव रखने वाले उन
				समुदायों के अभ्यर्थियों
				के पर्याप्त संख्या में
				उपलब्ध होने की
				संभावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हैं) या आमेलन द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलनः. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त या	होंगें : 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

अर्द्ध सरकारी या कानूनी 2. उप संगठनों के ऐसे (प्रशासन), अधिकारी :– बहादुर

- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—2 में 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—2 में 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार या संकार या संबंधित अधिकारियों को केंवल आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार में लिए जाने के पात्र होगें ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले

- 2. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य
- 3. उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी—सदस्य

07F A-A 0	T	
धारित किसी अन्य काडर		
बाह्य पद पर		
प्रतिनियुक्ति की अविधि		
है, साधारणतया 3 वर्ष से		
अधिक नहीं होगी ।		
टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति		
(जिसमें अल्पकालिक		
संविदा भी है) द्वारा		
नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु सीमा		
अधिकतम आयु सामा		
आवेदन प्राप्त करने की		
अंतिम तारीख को 56 वर्ष		
से अधिक नहीं होगी ।		
टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति		
के आधार पर नियुक्ति के		
प्रयोजन के लिए किसी		
अधिकारी द्वारा, 01		
जनवरी, 2006 से पहले		
या उस तारीख से		
जिससे छठे केंद्रीय वेतन		
आयोग की सिफारिशों पर		
आधारित पुनरीक्षित वेतन		
संरचना का विस्तार किया		
गया है, नियमित आधार		
पर की गई सेवा को,		
सिवाय उस दशा के,		
जहां एक से अधिक पूर्व		
पुनरीक्षित वेतनमान का		
साधारण ग्रेड वेतन या		
वेतनमान सहित एक		
श्रेणी में विलय हो गया है		
और वहां यह लाभ केवल		
उस पद पर विस्तारित		
होगा जिसके लिए ग्रेड		
वेतन या वेतनमान बिना		
किसी उन्नयन का		
साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड		
है उक्त वेतन आयोग की		
सिफारिशों पर आधारित		
विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड		
वेतन या वेतनमान पर		
की गई सेवा समझी		
जाएगी ।		

[फा. सं. 13012/15/2013—अकादमी डेस्क] ओ. पी. चावला, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2016

- **G.S.R.** 3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Hindi Instructor) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Instructor in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie under the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, namely:
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Hindi Instructor) Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band, grade pay and pay scale. The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.-** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-service persons and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classificatio n.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Hindi Instructor	1* (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band-2 Rs. 9300- 34800 with grade pay of Rs. 4800.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)	(i) Masters' Degree in Hindi with English as a subject at degree level from a recognised University; (ii) One year experience in

		Note: The crucial date for	teaching Hindi in a recognised
		determining the	School or
		age-limit shall be	College.
		the closing date for receipt of	D • 11
		applications and	Desirable:
		not be the closing	Degree in
		date prescribed	Education from a
		for those in Assam,	recognised
		Meghalaya,	University.
		Arunachal	Note 1: The
		Pradesh,	qualifications are
		Mizoram, Manipur,	relaxable at the
		Nagaland,	discretion of Staff
		Tripura, Sikkim,	Selection Commission in
		Ladakh Division	case of
		of Jammu and Kashmir State,	candidates
		Lahul and Spiti	otherwise well
		District and Pangi	qualified.
		Sub Division of Chamba District	Note 2: The
		of Himachal	qualification
		Pradesh,	regarding .
		Andaman and	experience is relaxable at the
		Nicobar Islands and	discretion of the
		Lakshadweep.	Staff Selection
		1	Commission in
			the case of candidates
			belonging to the
			Scheduled Castes
			and the Scheduled Tribes,
			if at any stage of
			selection, the
			Staff Selection
			Commission are of the opinion
			that sufficient
			number of
			candidates from
			these communities
			possessing the
			requisite
			experience are
			not likely to be available to fill
			up the posts
			reserved for
			them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exits what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	(9) Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by deputation short-term absorption.	Deputation (including short term contract)/absorption: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous or semi-Government or statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300- 34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300- 34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300- 34800 with grade pay of Rs. 4200	Group B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Chairman 2. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration — Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration — Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration — Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short- term contract)/ absorption.

or equivalent; and	
(b) possessing the	
educational	
qualifications and	
experience	
prescribed for	
direct recruits in	
column (7).	
` '	
Note 1: Officers	
belonging to	
Central	
Government or	
State Government	
or Union	
territories shall	
only be eligible	
for being	
considered for	
appointment on	
absorption.	
Note 2: The	
period of	
deputation	
(including short	
term contract)	
including period	
of deputation	
*	
term contract) in	
another ex-cadre	
post held	
immediately	
preceding this	
appointment in	
the same or some	
other organisation	
or Department of	
the Central	
Government shall	
not exceed three	
years.	
J	
Note 3: The	
maximum age-	
limit for	
appointment on	
deputation	
(including short	
term contract)	
shall not exceed	
56 years as on the	
closing date of	
receipt of	
application.	
Note 4: For the	
purpose of	
appointment on	
арронинен он	

deputation	
(including short	
term contract)	
basis, the service	
rendered on a	
regular basis by	
an officer prior to	
the 1 st January,	
2006 or the date	
from which the	
revised pay	
structure based on	
the recom-	
mendation of	
Central Pay	
Commission has	
been extended,	
shall be deemed	
to be service	
rendered in the	
corresponding	
grade pay or pay	
scale extended	
based on the	
recommendations	
of the said Pay	
Commission	
except where	
there has been	
merger of more	
than one pre-	
revised scale of	
pay into one	
grade with a	
common grade	
pay or pay scale,	
and where this	
benefit will	
extend only for	
the post for which	
that grade pay or	
pay scale is the	
normal	
replacement	
grade without any	
upgradation.	
upgrudution.	

[F. No.13012/15/2013-Academy Desk]
O. P. CHAWLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2016

- सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, (भाषा अनुदेशक) भर्ती नियमावली, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, में भाषा अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं.अर्थात :-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्राल, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (भाषा अनुदेशक) भर्ती नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2**. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** पद संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं आदि –भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6. व्यावृति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए
नाम	संख्या		और ग्रेड	या	वाले व्यक्तियों के लिए	जाने वाले व्यक्तियों
			वेतन या	अचयन	आयु—सीमा	के लिए अपेक्षित
	ļ		वेतनमान	पद		शैक्षिक और अन्य
			परानगन	4५		
			()	, ,	()	अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भाषा	6 [*]	साधारण	वेतन बैंड—2,	लागू	30 वर्ष से अनधिक।	आवश्यक :
अनुदेशक	(2016)	केन्द्रीय सेवा,	9300-34800	नहीं		
.3	(2010)		रूपये + ग्रेड	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी
<u> </u>	ļ	अराजपत्रित,		GIVII		
@संविधान	, ,				समय समय पर जारी	मान्यताप्राप्त
की	(कार्यभार	अननुसचिवीय	रूपये		किए गए अनुदेशों या	विश्वविद्यालय से
अनुसूची में	के आधार				आदेशों के अनुसार	डिग्री स्तर पर
उल्लिखित	पर				सरकारी सेवकों के	अंग्रेजी विषय
हिन्दी से	परिवर्तन				लिए 5 वर्ष तक	सहित दो भाषाओं,
भिन्न	किया जा				शिथिल की जा सकती	जिसके लिए भर्ती
					है।)	की जानी है, में से
भाषाएं ।	सकता				61)	
	है ।)					एक में मास्टर
टिप्पणः—					टिप्पण : आयु-सीमा	डिग्री।
भर्ती के					अवधारित करने के	(ii) उपरोक्त (i) के
समय					लिए निर्णायक तारीख	अनुसार जिस भाषा
वास्तविक					भारत में अभ्यर्थियों से	में मास्टर डिग्री ली
भाषाएं	ļ				आवेदन प्राप्त करने के	गई है उसक्
उल्लिखित					लिए नियत की गई	अलावा भाषा को
किया	ļ				अंतिम तारीख होगी।	माध्यमिक शिक्षा
जाएगा ।					(न कि वह अंतिम	स्तर पर (हिन्दी को
					तारीख जो असम,	छोड़कर) [`] प्रस्तावित
	ļ				मेघालय, अरूणाचल	किया गया हो या
	ļ				प्रदेश, मिजोरम,	\.
					मणिपुर, नागालैंड,	डिप्लोमा हो ।
	ļ				त्रिपुरा, सिक्किम,	(iii) उन दो
					जम्मू-कश्मीर राज्य के	भाषाओं (हिन्दी को
					लद्दाख खंड, हिमाचल	छोड़कर) में से एक
	ļ				प्रदेश के लाहोल और	में अध्यापन का एक
	ļ				स्पीति जिले तथा	_
					चम्बा–जिले का पांगी	3
					उपखंड, अंदमान और	की जानी है ।
					निकोबार द्वीप या	
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों	वांछनीय :
					के लिए विहित की गई	
					身 1)	
					· 1)	किसी मान्यता प्राप्त
						विश्वविद्यालय से
						शिक्षा में डिग्री ।
						टिप्पण 1 : अर्हताएं,
						अन्यथा सुअर्हित
						अभ्यर्थियों की दशा
1						
						में कारणों के लिए
						जो लेखबद्ध किए
						जाए संघ लोक
						सेवा आयोग के
	<u>I</u>	İ		1	<u> </u>	1 1 1 1 1 4/

				विवेकानुसार
				विषयमगुरागर
				शिथिल की जा
				सकती है ।
				ì
				टिप्पण 2 : अनुभव
				संबंधी अर्हता
				(अर्हताएं) कारणों
				के लिए जो
				लेखबद्ध किए जाए
				संघ लोक सेवा
				आयोग के
				विवेकानुसार
				अनुसूचित जातियों
				और अनुसूचित
				जनजाति के
				अभ्यर्थियों की दशा
				में तब शिथिल की
				जा सकती है जब
				चयन के किसी
				प्रक्रम पर संघ
				लोक सेवा आयोग
				की यह राय है कि
				उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों
				को भरने के लिए
				अपेक्षित अनुभव
				रखने वाले उन
				समुदायों के
				अभ्यर्थियों के
				पर्याप्त संख्या में
				उपलब्ध होने की
				संभावना नहीं है ।
1	I .	1		

सीधे	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति या	यदि विभागीय	भर्ती करने में किन
भर्ती	की	: भर्ती सीधे	प्रतिनियुक्ति / आमेलन	प्रोन्नति समिति है,	परिस्थितियों में संघ लोक
किए	अवधि,	होगी या	द्वारा भर्ती की दशा में वे	तो उसकी संरचना	सेवा आयोग से परामर्श
जाने	यदि	प्रोन्नति द्वारा या	श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति		किया जाएगा
वाले	कोई हो	प्रतिनियुक्ति /	या प्रतिनियुक्ति/आमेलन		
व्यक्तियों		आमेलन द्वारा	किया जाएगा		
के लिए		तथा पद्धतियों			
विहित		द्वारा भरी जाने			
आयु और		वाली रिक्तियों			
		की प्रतिशतता			
शैक्षिक					
अहर्ताएं					
प्रोन्नत					
व्यक्तियों					
की दशा					
में लागू					
होंगी					
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

नहीं होता	सीधं भर्ती किए जाले व्यक्तियों के वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी हैं) या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलनः. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वायत्त या अर्द्ध सरकारी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:— (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—2 में 9300—34800 रू० + ग्रेड वेतन 4600 रू० या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—2 में 9300—34800 रू० + ग्रेड वेतन 4200 रू० या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (७) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । टिप्पण 1 ः केंद्रीय सरकार या राज्य क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों को केवल आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार में लिए जाने के पात्र होगें । टिप्पण 2 ः प्रतिनियुक्ति	पुष्टिं समिति (पुष्टिं के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :— 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी — अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री	अल्पकालिक संविदा भी है)
--------------	---	---	--	--	-------------------------

अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय आयोग सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

> [फा. सं.—13012 / 15 / 2013—अकादमी डेस्क] ओ. पी. चावला, अवर सचिव

- **G.S.R. 4.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Cnstitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Language Instructor) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Pesident hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to to the post of Language Instructor in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie under the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pesnions, namely:
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie (Hindi Instructor) Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band, grade pay and pay scale. The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.-** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-service persons and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Post.		Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2))	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Langua	or. (20 *Su to vari dep	bject ation endent work	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band -2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note- The crucial	(i) Masters' Degree in one of the two languages for which recruitment is made, with English as a subject at degree level from a recognised University;

date for the determining age-limit shall be the closing date and not be the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(ii) Should have offered the language other than the one in which Master's degree has been obtained in terms of (i) above (other than Hindi) as a subject at secondary education level or should hold diploma in that language; (iii) One year experience in teaching one of the two languages (other than Hindi) for which recruitment is made in recognised school or college.

Desirable:

Degree in education from a recognised University.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number

			of candidates from
			these communities
			possessing the
			requisite
			experience are not
			likely to be
			available to fill up
			the posts reserved
			for them.

				for th	nem.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exits what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation	Deputation (including short term contract)/ absorption:- Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous or semi-Government or statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent; and (b) possessing the	Group B Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Chairman 2. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Administration - Member 3. Deputy Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)/ absorption.

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 9, 2016/PAUSA 19, 1937 educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). Note 1: Officers belonging to Central Government or State Government or Union territories shall only be eligible for being considered for appointment on absorption. Note 2: The period of deputation ((including short-term contract)) including period of deputation ((including short-term contract)) in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organization Department of the Central Government

> Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall not exceed fiftysix years as on the closing date of receipt of application.

> shall not exceed three

years.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in

	corresponding grade	
	pay or pay scale	
	extended based on the	
	recommendations of	
	the said Pay	
	Commission except	
	where there has been	
	merger of more than	
	one pre-revised scale	
	of pay into one grade	
	with a common grade	
	pay or pay scale, and	
	where this benefit will	
	extend only for the	
	post for which that	
	grade pay or pay scale	
	is the normal	
	replacement grade	
	without any	
	upgradation.	
 1	1.0	

[F. No.-13012/15/2013-Academy Desk]

O. P. CHAWLA, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग, समूह 'क' और 'ख' जल मौसम वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2003 और केन्द्रीय जल आयोग, अननुसचिवीय, समूह 'ग' (सांख्यिकी और जल—मापकी) भर्ती नियम, 2002 जहां तक उनका संबंध वृतिक सहायक (जल—मापकीय) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उप निदेशक (जल मौसम विज्ञान) अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) और वैज्ञानिक सहायक में जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग में पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, समूह 'क' और समूह 'ख' जल मौसम वैज्ञानिक पद भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना ये नियम उपाबध अनुसूची के स्तंभ (i) विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होगें जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. **शिथिल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की त्यागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति हारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन हारा तथा विभिन्न पद्धतियों हारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
उप निदेशक (जल मौसम विज्ञान)	4 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड —3 15600—39100रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.।		लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	(i) 75% प्रोन्नित द्वारा (ii) 25% अल्पकालिक संविदा सहित, प्रोन्नित द्वारा।

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)

प्रोन्निति : वेतन बैंड—3, (15600 – 39100 रु.) और ग्रेड वेतन 5400 रु. में ऐसे सहायक निदेशक ने श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो.

टिप्पण 1: केन्द्रीय जल आयोग द्वारा युक्ति पर समूह 'क' अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए, प्रोन्नित प्रशिक्षण स्तर IV के पूरा होने के अध्यधीन होगी। परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नित के लिए प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, इस शर्त के अध्यधीन पर भी विचार किया जाएगा किन्तु विभागीय प्रोन्नित समिति की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रशिक्षण अपेक्षा पूरा किया जाएगा। परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत् जाने वाले हैं, प्रोन्नित के लिए ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने से छूट प्राप्त होगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3:— प्रोन्नित के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति— (अल्पकालिक संविदा सहित) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविघालय के अधिकारी —

- (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हों; या
- (ii) वेतन बैंड—3 (15600-39100) और ग्रेड वेतन 5400रू. या समतुल्य के काडर या विभाग में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
- (ख) शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:--
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविघालय से भौतिक शास्त्र या भू—भौतिकी या भू—विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान में मास्टर डिग्री में तीन वर्ष का अनुभव हो; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी शास्त्र या भू—भौतिकी या भू—विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल मौसम विज्ञान बेचलर की डिग्री में पांच वर्ष का अनुभव हो;
- <u>टिप्पण 1</u>!— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- <u>टिप्पण</u> 2 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- िटप्पण 3 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 4:— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया

सरंचना	जाएगा	
(12)		(13)
		प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	(2) 6 *	साधारण	वेतन बैंड — 3,	<u>चयन</u>	35 वर्ष से अधिक नहीं	(/) आवश्यकः
	-	केन्द्रीय सेवा	15600—39100 <i>र</i> न.	पद	35 पप से आवप गहा	आपरवकः
सहायक निदेशक	(2015)	और समूह 'क',	और ग्रेड वेतन	पप	((:)
(जल		राजपत्रित,	जार ग्रंड पराग 5400 रु.		(केन्द्रीय सरकार द्वारा	(i) किसी मान्यताप्राप्त
्जल मौसम	*्कार्यभार	अननुसचिवीय।	5400 V.		समय समय पर जारी	विश्वविद्यालय से भौतिक
विज्ञान)	के आधार	जगगुतायपाय ।			किए गए अनुदेशों या	विज्ञान या भू—विज्ञान या
ાવજ્ઞાન)	पर				आदेशों के अनुसार	मौसम विज्ञान या जल
	परिवर्तन				सरकारी सेवकों के लिए	मौसम विज्ञान में मास्टर
	किया जा				5 वर्ष तक शिथिल की	डिग्री साथ ही जल मौसम
	सकता				जा सकती है।)	विज्ञान के कार्यों में एक
	है ।					वर्ष का अनुभव;
					<u>टिप्पण</u> ः आयु-सीमा	(ii) किसी
					अवधारित करने के लिए	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय
					निर्णायक तारीख भारत	से भौतिक विज्ञान या
					में अभ्यर्थियों से आवेदन	भू—विज्ञान या मौसम
					प्राप्त करूने के लिए	विज्ञान में बेचलर डिग्री
					नियत की गई अंतिम	साथ ही तीन वर्ष का
					तारीख होगी । (न कि	अनुभव।
					वह अंतिम तारीख जो	
					असम, मेघालय,	टिप्पण 1: अर्हुताएं, अन्यथा
					अरूणाचल प्रदेश,	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा
					मिजोरम, मणिपुर	में कारणों के लिए ज़ो
					नागालैंड, त्रिपुरा,	लेखबद्ध किए जाएं संघ
					सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	लोक सेवा आयोग के
					राज्य के लद्दांख खंड, हिमाचल प्रदेश के	विवेकानुसार शिथिल की
					लाहौल और स्पीति जिले	जा सकती है।
					तथा चम्बा–जिले के	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
					पांगी उपखंड, अंदमान	अर्हता (अर्हताएं) कारणों के
					और निकोबार द्वीप या	लिए जो लेखबद्ध किए जाएं
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	संघ लोक सेवा आयोग के
					लिए विहित की गई।)	विवेकानुसार अनुसूचित
					1013 1416(1 471 131)	जातियों और अनुसूचित
						जनजातियों के अभ्यर्थियों
						की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के
						किसी प्रक्रम पर संघ लोक
						सिवा आयोग की यह राय है
						कि उनके लिए आरक्षित
						रिक्तियों को भरने के लिए
						अपेक्षित अनुभव रखने वाले
						उन समुदायों के अभ्यर्थियों
						के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
						होने की संभावना नहीं है।
						रुगि का समावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रोन्नित: वेतन बैंड–2, **(9300 – 34800** रू.**)** और ग्रेड वेतन 4600 रू. में ऐसा अतिरिक्त सहायक निदेशक (मौसम जल विज्ञान) ने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो,

टिप्पण 1: केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समृह 'क' अधिकारी के स्तर III प्रशिक्षण पुरा होने के अध्यधीन प्रोन्नति होगी :

परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक से पूर्व प्रोन्नित के लिए प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है, उस पर भी विचार किया जाएगा विभागीय प्रोन्नित समिति की तारीख में प्रशिक्षण एक वर्ष में पूरा कर रहें हैं : परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त् होने वाले हैं, ऐसे प्रोन्नित के लिए ऐसे प्रशिक्षण पूरा करने से छूट प्राप्त की जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

<u>टिप्पण</u> 3:— प्रोन्नित के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

अल्पकालिक (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय—

- (i) जो मूल काडर या विभाग / विभाग में सदृश पद धारण कर रहे हैं; या
- (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड—2 (9300-34800) और ग्रेड वेतन 4600रू. या समतुल्य में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 - (ख) स्तंभ (i) में सीधी भर्ती के लिए शैक्षिणक अनुभव रखता हो

टिप्पण 1 = पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

<u>टिप्पण</u> 2 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>टिप्पण</u> 3 :— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4:— प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

`क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित समूह जिसमें होंगे :-

- (i) अध्यक्ष / सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष
- (ii) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग -सदस्य
- (iii) निदेशक(स्थापन) / उप सचिव(स्थापन),

जल संसाधन मंत्रालय -सदस्य

समृह 'क' विभागीय पृष्टि समिति :

- मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग -अध्यक्ष
- (ii) निदेशक(स्थापन) / उप सचिव(स्थापन), जल संसाधन मंत्रालय

(iii) निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग सदस्य प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. अतिरिक्त	14 *	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड – 2	चयन	लागू	लागू	लागू	लागू	प्रोन्नति
सहायक	(2015)	सेवा समूह 'ख',	9300−34800रु.	पद	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	द्वारा
निदेशक (जल		राजपत्रित,	और ग्रेड वेतन		होता	होता	होता	होता	
मौसम	* कार्यभार	अननुसचिवीय	4600 रु.						
विज्ञान)	के आधार पर								
	परिवर्तन								
	किया जा								
	सकता है								

–सदस्य

(11)

प्रोन्नित : वेतन बैंड-2, (9300 - 34800 रू.) और ग्रेड वेतन 4200 रू. में ऐसा वैज्ञानिक सहायक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो

टिप्पण 1: केन्द्रीय जल आयोग द्वारा युक्ति समूह 'ख' अधिकारी के लिए, प्रोन्नित, स्तर II प्रशिक्षण पुरा करने के अध्यधीन होगी :

परन्तु ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में तारीख से पूर्व प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया गया है, शर्त के अध्यधीन उन पर भी विचार किया जाएगा जो जिन पर अपेक्षित प्रशिक्षण विभागीय प्रोन्नित समिति की बैटक की तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रशिक्षण परा किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे प्रोन्नित के लिए ऐसा प्रशिक्षण पुरा करने पर छुट प्राप्त होगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 3:- प्रोन्नित पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

	(12)		(13)
समृ	ह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :-		प्रतिनियुक्ति पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
	मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	–अध्यक्ष	
2.	निदेशक(स्थापन) / उप सचिव(स्थापन),		
	जल संसाधन मंत्रालय	–सदस्य	
3.	सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	–सदस्य	
4.	निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	–सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	75 *	साधारण	वेतन बैंड –	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं	(i) किसी
वैज्ञानिक	(2015)	केन्द्रीय सेवा	2;	पद	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–	मान्यता प्राप्त
सहायक		समूह 'ख',	9300—34800रु.		समय पर जारी किए गए अनुदेशों	विश्वविद्यालय
	* कार्यभार	राजपत्रित,	और ग्रेड वेतन		या आदेशों के अनुसार सरकारी	से भौतिक
	के आधार	अननुसचिवीय।	4200 रु.		सेवकों के लिए 5 वर्ष तक	विज्ञान या
	पर परिवर्तन				शिथिल की जा सकती है।)	भू–भौतिकी या
	किया जा				,	भू–विज्ञान या
	सकता है ।				<u>टिप्पण</u> ः आयु–सीमा अवधारित	मौसम विज्ञान
					करने के लिए निर्णायक तारीख	में मास्टर
					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	डिग्री ।
					प्राप्त करने के लिए नियत की	(ii) किसी
					गई अंतिम तारीख होगी । (न	मान्यता प्राप्त
					कि वह अंतिम तारीख जो असम,	विश्वविद्यालय
					मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,	से भौतिक
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	विज्ञान या
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर	भू—भौतिकी या
					राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	भू—विज्ञान या मौसम विज्ञान
					प्रदेश के लाहौल और स्पीति	मौसम विज्ञान में बैचलर डिग्री
					जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी	साथ ही जल
					उपखंड, अंदमान और निकोबार	मौसम विज्ञान
					द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	में कार्य का दो
					लिए विहित की गई है।)	वर्ष अनुभव ;
						11 31311,
					<u>टिप्पण</u> ः आयु–सीमा अवधारित	अर्हताएं, अन्यथा
					करने की निर्णायक तारीख वह	सुअर्हित
					होगी जो कर्मचारी चयन आयोग	अभ्यर्थियों की
					द्वारा विज्ञापित की जाए ।	दशा में कारणों
						के लिए जो
						लेखबद्ध किए
						जाएं कर्मचारी
						चयन आयोग
						के विवेकानुसार
						शिथिल की जा
						सकती है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	दो वर्ष	40% प्रोन्नति द्वारा और 60% सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)

प्रोन्निति : वेतन बैंड-1 (5200 - 20200 रु.) और ग्रेड वेतन में ऐसा वरिष्ठ कम्पयूटर श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो ।

<u>टिप्पण 1</u>:— केन्द्रीय जल आयोग द्वारा युक्त समूह 'ख' अधिकारी के लिए प्रोन्नित स्तर I के प्रशिक्षण पूरा होने के अध्यधीन होगा :

परन्तु ऐसे व्यक्ति विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक की तारीख से पूर्व प्रोन्नित के लिए प्रशिक्षण पूरा किया हो, उन पर भी विचार किया जाएगा। इस शर्त के अध्यधीन विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक की तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रशिक्षण पूरा करना अपेक्षित होगा ।

टिप्पण 2:- ऐसे व्यक्ति जो दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त् होने वाले हैं, प्रोन्नित के लिए प्रशिक्षण से छूट प्राप्त होगी।

टिप्पण 3:— जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 4:— प्रोन्नित के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरिक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष	
2. निदेशक(स्थापन) या उप सचिव(स्थापन), –सदस्य	
जल संसाधन मंत्रालय	
3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	
4 . निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :-	
1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष	
2. निदेशक(स्थापन) या उप सचिव(स्थापन), –सदस्य	
जल संसाधन मंत्रालय	
 सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य 	
 निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य 	

[सं. 06/2015, फा. सं. 35/26/2009—स्थापना—1]

अशोक कुमार कौशिक, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 10th December, 2015

- **G.S.R. 5.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water Commission, Group 'A' and Group 'B' Hydrometeorological posts Recruitment Rules, 2003 and the Central Water Commission Non-Ministerial Group 'C' (Statistical and Hydro-Meteorology Posts) Recruitment Rules, 2002, insofar as they relate to the post of Professional Assistant (Hydro-Meteorology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Hydrometeorology), Assistant Director (Hydrometeorology), Extra Assistant Director (Hydrometeorology) and Scientific Assistant in the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water Commission, Group 'A' and Group 'B', Hydrometeorology Posts Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **5. Disqualification.**–No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

α				
	1174	n	т	17
. 71		.,,	, ,	ır.

Name of post	Number of posts	Classification	0 1 5	Whether selection post or Non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifica- tions re- quired for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1) 1. Deputy Director (Hydro- meteorology)	(2) 4* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	(4) Pay band-3 (Rs.15600- 39100) and grade pay of Rs.6600.	(5) Selection post.	(6) Not applicable.	(7) Not applicable.	(8) Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by
	deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	75% by promotion
	25% by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made

(11)

Promotion: Assistant Director (Hydrometeorology) in the pay band-3 (Rs. 15600-39100) and grade pay of Rs. 5400 with five years' regular service in the grade.

Note: 1 : Promotion shall be subject to completion of Level -IV Training for Group 'A' Officer devised by the Central Water Commission :

Provided that those person who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee:

Provided further that those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or the State Government or Research Institutions or Public Sector undertakings or Universities-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with five years' regular service in the posts in Pay Band-3 (Rs.15600-39100) and grade pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
 - (i) Master's Degree in Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognized University with three years' experience in Hydrological and Hydrometeorological analysis or applied Hydrology; or
 - (ii) Bachelor Degree in Physics or Geophysics or Geology or Meterology or Hydrometeorology from a recognized University with five years experience in Hydrometeorological work.
- **Note 1:** The Departmental Officers in the feeder category who are in the director line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation . Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
- **Note 4:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Public necess	(13)
Public necess	ltation with Union
	Service Commission is ary while appointing an on deputation.
 Joint Secretary, Ministry of Water Resources - Member; Chief Engineer, Central Water Commission - Member. 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Assistant Director	6*	General	Pay	Selection	Not exceeding	Essential:
(Hydrometeorology).	(2015)	Central	band-3;	post.	35 years	
		Service,	(Rs.		(Relaxable for	(i) Master's Degree in
	* Subject	Group 'A',	15600-		Government	Physics or
	to	Gazetted,	39100)		servants upto	Geophysics or
	variation	Non-	and		five years in	Geology or
	dependent	Ministerial.	grade		accordance	Meteorology or
	on		pay of		with the	Hydrometeorology
	workload.		Rs.5400.		instructions or	from a recognised
					orders issued	University with one
					by the Central	year experience in
					Government).	Hydrometeorologi-
						cal work; or
					Note: The	
					crucial date for	(ii) Bachelors Degree in
					determining the	Physics or
					age-limit shall	Geophysics or
					be closing date	Geology or
					for receipt of	Meteorology from a
					applications	recognised
					from candidates	university with three
					in India (and	years experience in
					not the closing	Hydrometeorologi-
					date prescribed	cal work.
					for those in	N
					Assam,	Note 1: Qualifications
					Meghalaya,	are relaxable at the
					Arunachal	discretion of the Union
					Pradesh,	Public Service
					Mizoram,	Commission in the case
					Manipur,	of candidates otherwise
					Nagaland,	well qualified.
					Tripura, Sikkim,	Note 2: The
					Laddakh	qualification(s)
					Division of	regarding experience is
					Jammu and	relaxable at the
					Kashmir State,	discretion of the Union
					Lahaul and	Public Service
					Spiti District	
					and Pangi Sub-	of candidates belonging
					Division of	to the Scheduled Castes
					Chamba	or the Scheduled Tribes,
					District of	if, at any stage of
					Himachal	selection, the Union
					Pradesh, Union	Public Service
					territory of	Commission is of the
					Andaman and	opinion that sufficient
					Nicobar Islands	number of candidates
					or	from these communities
					Lakshadweep).	possessing the requisite
					•	experience are not likely
						to be available to fill up
						the vacancy reserved for
						them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Two years	•	Promotion: Extra Assistant Director (Hydrometeorology) in the pay band-2: (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade.
		both by direct recruitment.	Note: 1 Promotion shall be subject to completion of Level -III Training for Group 'A' Officer devised by the Central Water Commission.
			Provided that those person who have not completed training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee. Provided further that those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion
			Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
			Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
			Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or the State Government/ Research institutions/ Public Sector Undertakings or Universities-
			(a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with three year's regular service in posts in the pay band-2: (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and
			(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).
			Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
			Note 2: The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)	
Group 'A' Departmental Promotion Committee :		Consultation with Union Public Service Commission is necessary on
Chairman/Member, Union Public Service Commission	-Chairman;	each occasion.
2. Chief Engineer, Central Water Commission	- Member;	
3. Director (Establishment)/Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources	- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee :		
 Chief Engineer, Central Water Commission Director (Establishment)/Deputy Secretary 	- Chairman;	
(Establishment), 3. Ministry of Water Resources	- Member;	
Director, Central Water Commission	- Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. Extra	14*	General	Pay band-2;	Selection	Not	Not	Not	Not
Assistant	(2015)	Central	(Rs.9300-	post.	applicable.	applicable.	applicable.	applicable.
Director		Service,	34800) and					1
(Hydro-	* Subject	Group 'B',	grade pay					Ì
meteoro-	to	Gazetted,	of					i
logy).	variation	Non-	Rs.4600.					Ì
	dependent	Ministerial.						i
	on							ı
	workload.							Ì

(10)	(11)
Ву	Promotion: Scientific Assistant in the pay band-2 (Rs. 9300-34800) and grade pay of Rs. 4200 with
promotion.	five years' regular service in the grade.
	Note 1: Promotion shall be subject to completion of Level -II Training for Group 'B' Officer devised
	by the Central Water Commission.
	Provided that those person who have not completed training for promotion before the date of
	meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that the
	required training will be completed within one year of the date of meeting of Departmental Promotion
	Committee.

Provided further that those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)		(13)
Gr	oup 'B' Departmental Promotion Committee	:-	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.
1. 2.	Chief Engineer, Central Water Commission Director (Establishment)/ Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources	-Chairman; -Member;	
3. 4.	Secretary, Central Water Commission Director, Central Water Commission	-Member; - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	75*	General	Pay Band-	Selection	Not exceeding 30 years	(i) Master's Degree in
Scientific	(2015)	Central	2:	post.	(Relaxable for	Physics or Geophysics
Assistant		Service,	(Rs.9300-		Government servants up	or Geology or
	* Subject	Group 'B',	34800)		to five years in	Meteorology or
	to	Non-	and grade		accordance with the	Hydrometeorology from
	variation	Gazetted,	pay of		instructions or orders	a recognized University;
	dependent	Non-	Rs.4200.		issued by the Central	or
	on	Ministerial.			Government).	
	workload.					(ii) Bachelor's Degree in
					Note: The crucial date for determining the agelimit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	Physics or Geophysics or Geology or Meteorology or Hydrometeorology from a recognized University with two years experience in Hydrometeorological work.

	Nagaland, Tripura,	Note: Qualifications are
	Sikkim, Laddakh	_
	Division of Jammu and	
		Commission in the case
		of candidates otherwise
	Pangi Sub-Division of	
	Chamba District of	1
	Himachal Pradesh,	
	Union territory of	
	Andaman and Nicobar	
	Islands or	
	Lakshadweep).	
	1,	
	Note: The crucial date	
	for determining the age-	
	limit shall be as	
	advertised by the Staff	
	Selection Commission.	

(8)	(9)	(10)
No	Two years	40% by promotion and 60% by direct recruitment

(11)

Promotion: Senior Computer in the pay band-1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 2800 with six years' regular service in the grade.

Note 1: Promotion shall be subject to completion of Level -I Training for Group 'B' Officer devised by the Central Water Commission.

Provided that those person who have not completed training for promotion before the date of meeting of DPC will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of DPC.

Note 2: Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 4: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

	(12)		(13)
Gr	oup 'B' Departmental Promotion Committee :		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
1.	Chief Engineer, Central Water Commission	-Chairman;	
2.	Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources	- Member;	
3.	Secretary, Central Water Commission	- Member;	
4.	Director, Central Water Commission	- Member.	

Gr	oup 'B' Departmental Confirmation Committee :	
1.	Chief Engineer, Central Water Commission.	- Chairman;
2.	Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources.	- Member;
3.	Secretary, Central Water Commission.	- Member;
4.	Director, Central Water Commission.	- Member.

[No. 06/2015, F.No. 35/26/2009-Estt.I] A. K. KAUSHIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 6.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र (प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- **1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, पुस्तकालय और सूचना अधिकारी (समूह 'क' पद)पद भर्ती नियम 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड/ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अ चयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ``क`` राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3 15600- 39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	लागू नहीं होता।

वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
7	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	संयुक्त पद्धति द्वारा
			(प्रतिनियुक्ति +प्रोन्नति)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्था के अधीन ऐसे अधिकारी

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य पदों में 7 वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास नीचे दी गई शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री और
- (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त या कानूनी संगठन/पब्लिक सैक्टर उपक्रम/विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन किसी पुस्तकालय में कम्प्यूट्रीकृत पुस्तकालय क्रियाकलापों का एक वर्ष का अनुभव।
- (ii) जलीय क्षेत्र/जल संसाधन में एक वर्ष का वृत्तिक अन्भव।
- (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा।

टिप्पण 1 : बाह्य व्यक्तियों के साथ वेतन बैंड 2, 9300-4800 रु. + ग्रेडवेतन 4600 रु. में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, पर भी विचार किया जायेगा, यदि उसका चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नित के रूप में भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01, जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया	
			जाएगा।
	12		13
समूह '	क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के	विषय में	पद पर भर्ती करते समय संघ लोक सेवा
	करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे		आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1	भार साधक संयुक्त सचिव, के.ज.वि.अ.के जल	अध्यक्ष	
	संसाधन मंत्रालय		
2.	निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान	सदस्य	
	केन्द्र, पुणे		
3	अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत	सदस्य	
	अनुसंधान केन्द्र, पुणे		

[फा. सं. 2/3/2009-ई.॥)]

एस. के. कटारिया अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 2015

G.S.R. 6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, (Documentation Officer) Recruitment Rules, 1985 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following

rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer (Group 'A' Post) in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune under the Ministry of Water Resources namely:-

- 1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Library and Information Officer (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of Posts classification, pay band and grade pay or pay scale.** The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. **Disqualification -** No person .-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation in with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Savings** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDIII E

			SCHEDULE			
Name of	Number of	Classification.	Pay band/	Whether	Age-limit	Educational and
post.	posts.		Grade pay/	selection post	for Direct	other qualification
			pay scale.	or Non-	recruit.	required for direct
				Selection		recruits.
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Library and	01 *	General Central	PB-3;	Selection.	Not	Not applicable
Information	2015	Service Group	Rs. 15600-		applicable	
Officer.	*Subject to	'A' Gazetted,	39100 plus			
I	variation	Non-Ministerial.	grade pay			
	dependent on		Rs. 6600.			
	workload.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two year	By composite method (deputation plus promotion).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made.

(11)

Deputation (including short term contract)

Officers under the Central/State Government/autonomous or statutory organization/PSU/University or recognized research or educational institution:

- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or
 - (ii) with 7 years' regular service in posts in the Pay Band 2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as under.

Essential:

- (i) Master's degree in Library science or Library and Information Science of a recognized University. and
- (ii) 5 years' experience in a Library under Central/State Government/autonomous or statutory organization/PSU/University or recognized research or educational institution.

Desirable:

- (i) One year experience of computerizing Library activities in a Library under Central/State Government/autonomous or statutory organization /PSU/University or recognized research or educational institution.
- (ii) One year professional experience in the area of Hydraulics/Water Resources.
- (iii) Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.
- **Note 1.** The departmental Assistant Library and Information Officer in PB-2 Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4600 shall be considered along with outsiders, in case if he is selected. It shall be treated as promotion.
- **Note 2.** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
- **Note 3.** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) /absorption shall not exceed 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what	Circumstances in which Union Public Service Commission			
is its composition.	is to be consulted in making recruitment.			
(12)	(13)			
Group 'A; Departmental Promotion Committee (for	Consultation with the Union Public Service			
consideration promotion/confirmation)	Commission is necessary for filling up of post.			
 Joint Secretary in Charge CWPRS, Ministry of Water Resources - Chairman Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Member Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune - Member 				

[F. No. 2/3/2009-E.II]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे प्रशासिनक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का अधिक्रांत करते हुए जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय

जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2015 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- **5. शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत. आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

		1381		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन पद हैं
			वेतन या वेतनमान	अथवा अचयन
				पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	44* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1 (5200-	अचयन पद
	*कार्यभार के आधार	सेवा समूह ``ग``	20200 रु.) और	
	पर परिवर्तन किया	अराजपत्रित,	ग्रेड वेतन 2400 रु.	
	जा सकता है।	अनुसचिवीय		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा

(6)

18 और 27 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिशिल की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले	प्रोन्नति जिसके न हो
विश्वविद्यालय में बैचलर		व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सकने पर सीधी भर्ती
डिग्री			द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

वेतन बैंड -1 , 5200-20200 रु. और 1900 रु. के ग्रेड वेतन में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण :- जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह जब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

-	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसर्व	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में	
			संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
			किया जाएगा।
	(12)		(13)
समूह 'ग' ि	वेभागीय प्रोन्नति समिति, प्रोन्नति के संबंध	। में विचार के लिए	लागू नहीं होता
	जिसमें निम्नलिखित होंगे		
1	अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक,	अध्यक्ष	
	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान		
	स्टेशन, पुणे		
2.	मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल	सदस्य	
	और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे		
3	केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय या	सदस्य	
	विभाग से समूह 'क' अधिकारी		

[फा. सं. 17/27/2009-स्था. II]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 2015

- **G.S.R.** 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules 2011, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale: The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- **4. Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax** .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Savings** .- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of	Classification	Pay band	Whether	Age- limit for direct recruits.	Educational
the post	posts.		and grade	selection post		and other
the post	Postor		pay or pay	or non-		qualifications
			scale.	selection		required for
			Source.	post.		direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Upper	*44	General	Pay band-1;	Non-selection	Between 18 and 27 years.	Essential:
Division	(2015)	Central	(Rs.5200-	post.	(Relaxable for Government	Essential:
Clerk.	(2013)	Service,	20200) and	post.	servants upto the age of 40	Bachelors
CICIK.	*Subject to	Group "C",	grade pay		years in accordance with the	Degree from
	variation	non-	of		instructions or orders issued	a recognized
	dependent	Gazetted,	Rs.2400.		by the Central Government	University;
	on	Ministerial.	K3.2400.		from time to time).	Chrycisity,
	workload.	management.			Note 1: The crucial date for	
	workiouu.				determining the age-limit	
					shall be the closing date for	
					receipt of applications from	
					candidates in India (and not	
					the closing date prescribed for	
					those in Assam, Meghalaya,	
					Arunachal Pradesh, Mizoram,	
					Manipur, Nagaland, Tripura,	
					Sikkim, Ladakh Division of	
					Jammu and Kashmir State,	
					Lahaul and Spiti District and	
					Pangi Sub-Division of	
					Chamba District of Himachal	
					Pradesh, Union Territory of	
					Andaman and Nicobar	
					Islands or Lakshadweep).	
					Note 2: In the case of	
					recruitment made through	
					Employment Exchange, the	
					crucial date for determining	
					the age-limit shall be the last	
					date upto which the	
					Employment Exchange is	
					asked to submit the names.	

Whether age and educational qualification prescribed	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be	If Departmental Promotional Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is
for direct		and percentage of the	made.		to be consulted
recruits will		vacancies to be filled			in making
apply in the		by various methods.			recruitment.
case of promotees					
8	9	10	11	12	12
Ü		10	11	12	13
Not	Two years	Promotion failing	Lower Division Clerk in pay	Group 'C'	Not applicable.
Ü			==		
Not	Two years	Promotion failing	Lower Division Clerk in pay	Group 'C' Departmental Promotion	
Not	Two years for direct	Promotion failing which by direct	Lower Division Clerk in pay band 1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 1900 with eight years of regular	Group 'C' Departmental Promotion Committee for	
Not	Two years for direct	Promotion failing which by direct	Lower Division Clerk in pay band 1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 1900	Group 'C' Departmental Promotion	
Not	Two years for direct	Promotion failing which by direct	Lower Division Clerk in pay band 1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 1900 with eight years of regular	Group 'C' Departmental Promotion Committee for	
Not	Two years for direct	Promotion failing which by direct	Lower Division Clerk in pay band 1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 1900 with eight years of regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion	
Not	Two years for direct	Promotion failing which by direct	Lower Division Clerk in pay band 1 (Rs. 5200-20200) and grade pay of Rs. 1900 with eight years of regular service in the grade. Note:	Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion	

bains sanaidanad for	Dimenton
being considered for	Director,
promotion their seniors	Central Water
would also be considered	and Power
provided they are not short	Research
of the requisite qualifying or	Station, Pune -
eligibility service or two	Chairman
years whichever is less and	
have successfully completed	2. Chief
their probation period for	Research
promotion to the next higher	Officer, Central
grade along with their junior	Water and
who have already completed	Power Research
such qualifying or eligibility	Station, Pune
service.	– Member
	3. Group 'A'
	Officer from
	other Central
	Government,
	Ministry or
	Department
	– Member

[F. No. 17/27/2009-Estt.II]

S. K. KATARIA, Under Secy.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016

सा.का.िन. 8.—केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय में हैड बाइन्डर और बाइन्डर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, हैड बाइन्डर और बाइन्डर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय, हैड बाइन्डर और बाइन्डर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में, क्रम संख्यां 2 के सामने, बाइन्डर पद से संबंधित प्रविष्टि के, स्तंभ 11 के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात:-

"वेतन बैंड -1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में के ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।"

[फा. सं. 1-8/2014-विस्तार(आरआर)]

आर.एस. वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-॥, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 203, तारीख 8 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 6th January, 2016

- **G.S.R. 8.**—in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Central Government hereby makes the following amendments in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Head Binder and Binder (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Head Binder and Binder (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Extension, Head Binder and Binder (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2014 in the Schedule, against serial number 2, relating to the post of Binder, under column 11, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Multi Tasking Staff in pay band-1, Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.1800/- with three years regular service in the grade".

[F. No. 1-8/2014-Exten.(RRs)] R. S. VERMA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 203, dated the 8th September, 2014.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में टंकक (उर्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, टंकक (उर्दू), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान –** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता वह व्यक्ति–
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथि**ल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंद्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	वेतन या वेतनमान (4)	(5)
टंकक (उर्दू)	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन बैंड पी बी–1:	लागू नहीं होता
	(2015)	समूह 'ग' अराजपत्रित,	5200—20200 रू0+ ग्रेड वेतन 1900 रु0	
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय	ग्रंड पतन १९०० ४०	
	सकता है।			

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनयुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों की समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी और उर्दू विषय के साथ दसवाँ स्तर या समतुल्य पास (ii) उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति वांछनीय उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति से कम से कम 3 वर्षों का टंकण अनुभव	लागू नहीं होता।	2 वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलनः वेतन बैंडः पी बी 1 + ग्रेड वेतन 1800/- रु. में के ऐसे केंद्रीय सरकार के समूह 'घ' कर्मचारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो और निम्निखित अर्हताएं रखते हों:- (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी और उर्दू विषय के साथ 10वां स्तर या समतुल्य पास (ii) उर्दू में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति

	आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति / आमेलन:	पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर कर्मचारी
	चयन आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रतिनियुक्ति और पुष्टि के संबंध	
में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(1) उप सचिव (प्रशासन) — अध्यक्ष	
(२) अवर सचिव (प्रशासन) – सदस्य	
(3) उप सचिव या अवर सचिव, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित	
जनजाति का प्रतिनिधित्व करता हो – सदस्य	

[फा.सं. ए-12017 / 1 / 2015-स्था.]

डी.एस. बिष्ट, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi, the 29th December, 2015

- **G.S.R. 9.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Typist (Urdu) in the Ministry of Minority Affairs, namely:-
- Short title and commencement .-
- (1) These rules may be called the Ministry of Minority Affairs, Typist (Urdu), Group 'C' Post Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, its classification and pay band and grade pay or pay scale. The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, educational and other qualifications relating there to shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualifications.-** No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name	Number of posts	Classification.	Pay band and grade	Whether
of post			pay or pay scale	selection or
				non-selection
				post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Typist	1*(2015)	General Central Service Group	Pay Band PB-1:	Not applicable
(Urdu)	*subject to variation	'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5200-20200, plus	
	depending on workload.		grade pay Rs. 1900	

Age-limit Educational and	Whether age	Period of	Methods of	In case of recruitment by
---------------------------	-------------	-----------	------------	---------------------------

for direct	other qualifications	and educational	probation,	recruitment : whether	promotion or deputation/
recruits.	required for direct	qualifications	if any.	by direct recruitment	absorption grades from
	recruits.	prescribed for		or by promotion or by	which promotion or
		direct recruits		deputation/absorption	deputation/absorptions is
		will apply in		and percentage of	to be made.
		the case of		vacancies to be filled	
		promotees.		by various methods.	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Between 18 and 25 years (relaxation of the upper age-limit for Departmental candidates upto 40 years for appointment by direct recruitment to Groups 'C' posts) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the agelimit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: (i) Pass in 10 th Standard or equivalent from recognized Board or University with English/Hindi and Urdu as subject. (ii) A typing speed of 30 wpm in Urdu. Desirable: Minimum of three years experience of typing speed of 30 wpm in Urdu. Urdu.	Not applicable.	Two years.	Direct Recruitment failing which by Deputation (including short-term contract)/Absorption.	Deputation/Absorption: Group 'D' employees of the Central Government in the Pay Band: PB-I with grade pay of Rs.1800/- who have put in a minimum of three years regular service in the grade and having the following qualifications:- (i) Pass in 10 th standard or equivalent from recognized Board or University with English/Hindi and Urdu as subject. (ii) A typing speed of 30 wpm in Urdu.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Deputation/Absorption.	Consultation with Staff Selection Commission is
Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering deputation and confirmation) consisting of :—	necessary for appointment to the post on each occasion.
(1) Deputy Secretary (Administration) -Chairman;	
(2) Under Secretary (Administration) - Member, and	
(3)Deputy Secretary or Under Secretary who belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe representative –Member.	

[F.No. A-12017/1/2015-Estt.]

D. S. BIST, Jt. Secy.




असाधारगा

EXTRAORDINARY

भाग II---स्वत 3---उप-स्वत (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)



प्रतिभक्तार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

d. 173]

नई बिल्ली, बृहस्पतिबार, अप्रैस 2, 1987/चेन 12, 1909

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 1987/CHAITRA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम को रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

बित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

मई दिल्ली, 1 अप्रेल, 1987

प्र**विसूच**ना

सा. का. नि. 367 (भ्र):---राब्द्रपति, संविधान के प्रतुष्किय 309 के परत्नुक द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुक्क, उत्साद शुक्त भीर स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपील भश्चिकरण में समूह "क" भीर समूह "ख" पदों पर भर्ती की पश्चति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, भ्रभीत्:---

संशिद्धत नाम ग्रीर प्रारम्भ---(1) इन नियमों का संक्षिण्त नाम सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रंपील श्रधिकरण (समूह "क" कीर समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीब को प्रवृत्य होंगे।

लागू होना:---वै नियम इन नियमों से उपाबड धनुसूची के स्तम्भ 1 में विभिविष्ट पदीं की लागू होंगे।

3. पद-तैक्या, वर्गीकरण भीर वेर्तनमान : उन्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण भीर उनके बेननमान वे होंगे जो उन्त भनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विभिर्विष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धित, श्रायु-सीमा और अन्य भहेंताएं:---उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, श्रायु सीमा, श्रह्वैताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त श्रनुपूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

निर्स्ता, वह स्थानितः--

- (क) जिसने ऐसे, व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपसे पनि या अपसी गत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

डक्त पद पर नियुक्ति का पास नहीं होगा:

परस्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो काता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रीर विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ग्राधीन भनुक्षेय हैं और ऐसा करने के लिए ग्रन्य भाषार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट वे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना धावस्यक या समीचीन है, वहां यह, उसके किए जो कारण है जन्हें लेखबढ़ करके तथा संघ लोक सेवा धायोग से परायम करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग था प्रवर्ग के व्यक्तियों की जावत, भावेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. ज्यावृति -- इन नियमों की कोई वात, ऐसे बारकाणों, धायुसीमा, में छूट और शुन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार हारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गए धावेशों के धनुसार धनुसूचित जातियों, धनुसूचिन जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और धन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना धपेकित है।

			भनुष	पू ची	·	1
पर्वं का नाम	पदौँ की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर झथवा श्रवयम पर	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के किए माय् सीमा	सेवा में जीत गए वर्षों व फायदा, केन्द्रीय सिषिल सेव (पेंशन) नियम 1972 के जिसक 30 के प्राचीन सनुहोय है य
1	2	3	4.	5	6	7
 रिजर्ड्ट्रार सीसे भर्ती किए 	1 (1987) *कार्यमार के भाक्षार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह"क" राजपत्नित, ग्रननृसचिवीय के लिए गैक्सिक ग्रौर ग्रण्य ग्र	पद घारण करत भौर उसने उस में कम से कम श् सेवा की है। रीक्षण्ं सेपूर्णे) हिंताएं सीधे भर्ती किए विहित मायु	तमान ोगा लाम्सरण ज्या गय। -2000 ल में र पर ता है श्रेणी ड वर्ष (बुम-		नहीं कोई हो
,	8			9	10	
लागून	हीं होता		लागूमह	ीं होता	लागू नहीं होत	r
मतीं की पद्मति द्वारा तया वि	/भर्ती सीधे होगी य विभन्न प ट तियों द्वार	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनि । भरी जाने वाली रिक्ति	थुक्ति / स्थानान्तरण प्र	ोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानाम्त र प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्त	ग द्वारा भर्ती की दशा में श रंग किया जाएगा।	भे श्रेणियाँ जिल्लो
	11			12		
प्रोक्षेत द्वाराजिए	कित हो सकते पर प्र	ति _{नि} पृक्तिः पर स्थानाम्सरण	है, में प्र के	, जिसके न हो सकने पर 13 वर्ष की संयुक्त निय ¹⁴ त विश्वविद्यालय से विधि वितिनयुक्ति पर स्थानाक्तर स्त्रीय सर्रकार/राज्य सरक क) (i) जो नियमित धाड	•	जिस्ट्रार की श्रेणो ा किसी मान्यता- ा हैं, या

5 (पांच) वर्ष सेवा की है, और

12

(ख) जिनके पास विधि में डिग्री हो। ऐसे मधिकारियों के लिए, जो भारणीय सीमाशुल्क और केन्ग्रीय उत्पाव शुल्क से जिन्न विभागों में या ऐसे भधिकरणों में, जो सीमाशुल्क, उत्पाव शुल्क भौर स्वर्ण (नियंत्रण) प्रपील मित्रकरण के समक्ष्य हैं, कार्य कर रहे हैं सीर राज्य न्याधिक सेवा उच्च न्यायालयों के भधिकारियों के लिए केन्ग्रीय उत्पाव शुल्क और सीमा शुल्क संबंधी मामले को निपटाने का अनुभव विधि में डिग्री के अलावा भावण्यक होगा। फीडर प्रवर्ग के ऐसे मधिकारी, जो प्रोमित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रीमित कारा नियुक्ति के लिए विचार किए विचार किए विचार की सारा नियुक्ति के लिए विचार किए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे।

प्रितितपुष्ति की भविष, जिसके भक्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रष्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भ्रष्य काडर बाह्य पव पर प्रितिनयुक्ति की भ्रविष्ठि है, साधारणतया तीन वर्ष से भ्रष्टिक नहीं होगी।

यि विभागीय प्रोन्नति समिति है ती उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परासर्थ किया जाएगा

13

14

समह "क" विभागीय प्रोज्ञति समितिः

प्रतिनियुक्ति पर स्थानास्तरण ढारा नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा झायोग से परामणे करना धावश्यक है।

- (i) श्रष्टपका या सबस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग---अध्यका
- (ii) ब्राध्यक्ष / उपाध्यक्ष, सीमागुल्क, उत्पादन गुल्क और स्वर्ण (निर्मकण) अपीक्ष अधिक्ररण—सदस्य
- (iii) कोई ग्रन्थ उपाध्यक्ष या सवस्य, सीमाशुरूक, उत्पादन शुरूक भौर स्वर्ण (त्रियंत्रण) भ्रमील भ्रष्टिकरण जो भ्रध्यक्ष, सीमाशुरूक, उत्पाद शुरूक भीर स्वर्ण (त्रियंत्रण) भ्रपील श्रष्टिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए।

टिप्पणी: ---पृष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कर्यवाहियाँ, संघ लोक सेवा प्रायोग के प्रनुसीवनार्य भंजी आएगी किन्तु, यवि प्रायोग उनका धनुमीवन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के प्रध्यक्ष या किसी सबस्य की प्रध्यक्षता में फिर से होगी।

7 40 वर्ष से मधिक नहीं महीं 1200-50-साधारण केन्द्रीय सेवा भयन ् 2* (1987) 2. उप रजिस्ट्रार समृह् 🖆 क" राजपत्नित (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 1600(पुनरीक्षण *कार्यम₁र के भाषार पर गए पनुवेशों या आवेशों के परिवर्तन किया जा **भननुसचिवी**य से पूर्व) श्रनुसार सरकारी सेवकों के सकता है। मिए 5 (पांच) वर्ष तक शिषिश की जा सकती है। मायुसीमा मनधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में धक्यियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप सथा लक्क्योप में है) धावेदन प्राप्त करने के लिए नियस की गर्मी अंतिम सारीश्व होगी।

10

भावस्यकः :

11

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या शैक्षिक मर्हताएं—- किसी मान्यता प्राप्त विश्व-

श्राय्—महीं

- विचालय से विधि में डिग्री या समत्त्य
- (i) सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के मिए 1 वर्ष।
- (ii) प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष ।

- 2. 7(सात) वर्षे का प्रणासनिक अनुभव या न्यायिक अनुभव
- क्रिप्पण:--(i) महैताए धन्यथा सुमहित भभ्यथियों की वक्त में संच लोक सेवा आयोग के विवेकामसार शिथिल की जा सकती है।
 - (ii) प्रमुख संबंधी प्रहेताए संघ लोक सेवा प्रामोग के विवेकानुसार धनुसूचित जातियों और धनुसूचित जन-जातियों के भभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संच लोक सेवा मायोग की यह राथ है कि उनके मारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोचिति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और प्रोचितिः दोशों के न हो सकते पर सीधी महीं द्वारा

ऐसा सहायक रजिस्ट्रार, सीमाशुल्क, उत्पाद-सुन्क और स्वर्ण (नियंक्रण) भपील भिक्षकरण जिसने सीमाश्रुतक, उत्पाद-शुरुक और (नियंग्रण) भपील मधिकरण में और किसी अच्य न्यायालय में समूह "खा" पद पर दोनों मिलाकर 8 (ब्राठ) वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों के ऐसे प्रधिकारी---

- (क)(i) जो नियमित माम्रार पर सदृश पद झारण करते हैं या
 - (ii) जिल्होंने 700-1300 इ. के या समक्षट्य वेतनमान में 5 (पांच) वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iii)जिन्होंने 650-1200 र. के वेतनमान में 8 (ब्राट) वर्ष नियमित सेवाकी है, और
- (च) जिनके पास विधि में डिग्री है। ऐसे मधिकारियों के लिए जो भारतीय सीमागुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्रिन्न विभाग में मा ऐसे ध्रधिकरणों में जो सीमामूल्क उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण') ध्रपील बाधिकरण में समरूप हैं कार्य कर रहे हैं और राज्य न्यायिक सेवा उच्च स्वायालयों के अधिकारियों के लिए केस्द्रीय उल्पादन - शहक और सीमा शुल्क संबंधी मामलों का निपटाने का अनुभव विधि में कियी के भाषाया भाषध्यक होगी।
- (फीडर प्रवर्ग के ऐसे जिभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंकित में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए आने के पान नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए ज्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की भवधि, जिसके भन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठम /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भ्रन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुनित की भवधि, है, साधारणस्या तीन वर्ष से श्रिक नहीं होगी)।

(पुष्टि के लिए)

- ग्रह्मक / ज्येष्ट उपाध्यक्ष सीमागुरक उत्पाद गुरुक और स्वर्ण (नियंक्षण) ग्रापील ग्राधिकरण -------सदस्य
- सीमाणुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) प्रयील ग्रिक्षिकरण का कोई भन्य उपाध्यक्ष या सदस्य

समह "क" विभागीय प्रोप्निन समिति (प्रोक्षति के लिए):--- प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा बाबोग के परामर्ज से किया आएगा।

1. प्राठ्यक्ष या सवस्य, संघ लोक सेवा प्रामोग

2. ब्रध्यक्ष / ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, सीमाशुल्क, उत्पाद-श्रृत्क और स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपील भ्रधिकरण

---सवस्य

 सीमाशुल्क उत्पाद-शुल्क और स्थर्ण (नियंत्रण) ग्रापील धिकरण का कोई अन्ध उपाध्यक्ष या सदस्य

टिप्पणी : पृष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा भावोग के भनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि भावोग उनका धनुमोदन महीं करना है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा भायोग के भक्ष्यक या किसी सदस्य की झध्यकता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक रिश्वस्ट्रार	11 ^क (1987) ^{**} कार्यभार के आधार पर परि- वर्तेन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपक्षित, ग्रनमुसचित्रीक ।	650-30-740-35- 810-व . से 35- 880-40-1000-व . से 40-1200 च . ¹ (पूनरीक्षण से पूर्व)	स्रयन	30 वर्ष से प्रधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रनुदेशों या धादेशों के प्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5(पांक) वर्ष तक शिषिल की जा सकती है)। टिप्पण: धायु-सीमा धव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, प्रस्थेक मामले में भारत में प्रभ्याचियों से (उनसे भिष्म जो धन्यमान और निकोबार द्वीप तका लक्षद्वीप में हैं) धावे- दन प्राप्त करने के लिए नियत संतिम तारीख होंगी।	न हीं

प्रावस्यकः

सीखे मर्ती किए जाने वाले ध्यक्तियों के लिए 1 वर्ष ।

(1) किसी मान्यता प्राप्त त्रिश्विषयालय से विधि में किग्री या समसूल्य।

(2) 3 तीन वर्ष का प्रशासनिक धनुभव या स्यायिक धनुभव ।

टिप्पण 1. ग्रईताएं ग्रन्यथा मुम्महित ग्रम्माचियों की देशा में संघ लोक सेवा घायोग के विवेकानुसार शिथिल की जासकती हैं।

दिष्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता/प्रहताएं संघ लोक सेवा प्रायोग के विश्वेकानुसार अनुसूचित आतियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रम्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जासकती है (हैं) जब व्ययन के किसी प्रकम पर संघलोक सेवा भायोग की यह राय है कि उमके लिए धारकित रिक्तियों की भरते के लिए ध्रपेक्षित धनुभय रखने बाले उन समुवायों के प्रभवर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

द्मायुः नहीं

नैक्षिक आईता : किसी मान्यता प्राप्त विकान बिद्यालय से विधि में बिग्नी या समग्रुएय।

12

- (1) 25 प्रतिमात प्रोक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।
- (2) 50 प्रतिशत सीधी मर्ती द्वारा।
- (3) 25 प्रतिकत स्थानाम्सरण /प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।

प्रोक्ततिः

ऐसा कोर्ट मास्टर जिसने उस श्रेणी में 3 (तीन) वर्ष नियमित सेवा की है प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी:---

- (क) (1) जो नियमित माधार पर सदुश पव आरण करते हैं; या
 - (2) जिन्होंने 500-900 इ. के या समपुत्य वेतनमान काले पदों पर 3 (तीम) वर्ष नियमित सेवा की है; या
 - (3) जिन्होंने 425-700/800 र. का समतुख्य वेतनमान में 8 (ब्राट) वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिसकें पास विधि में बिधी हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए जो भारती सीमागुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-गुल्क में भिन्न विभागों में या ऐसे भवि-करणों में जो सीमागुल्क, उत्पाद-गुल्क और स्वर्ण (नियंक्षण) भपील मिन्नकरण के समसुल्य हैं, कार्य कर रहे हैं और राज्य न्यायिक सेवा/उच्च न्यायालयों के प्रधिकारियों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-गुल्क और सीमागुल्क संबंधी मामले निपटाने का मनुभव विधि में डिग्री के मलाव मायक्यक होगा।

(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोज्ञति की सीबी पंक्तिमें हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोज्ञति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की प्रविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कावर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

समृह 'ख' विभागीय प्रोमित समिति :---

(1) ग्राध्यक्ष/ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, सीमाणुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रापील ग्राप्तिकरण ——ग्राध्यक्ष

(2) सीमाशुल्क उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (भियंत्रण) ध्रपील ग्रिधिकरण का कोई उपाध्यक्ष या सवस्य --सदस्य

(3) रिजस्ट्रार, सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) प्रपील ग्रीध-करण ---सदस्य

टिप्पण:पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोफित समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा प्रायोग के भनुमोवनार्थ भेजी जाएंगी, किन्तु, यदि भागोग उनका भ्रमुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोफ्रित समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के भाष्यका या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी ।

स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के लिए संध लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श करना भाषश्यक है।

1 4. तक्सीकी प्रधि-4* साझारण केन्द्रीय मेवा 650-30-740-35-लागुनहीं होता लागुनहीं होता समृह 'ब' राज-810-व. रो.-35-कारी (1937)पित्रस, मनमुसचिषीय । 880-40-1000-व.रो.-40-1200 *कार्यमार के रुपये जिलेख बेसन भावार पर 75 रुपए प्रतिमास परिवर्तन किया (पुनरीक्षण के पूर्व) जासकता है:

6			9		10	
नागू नहीं होता		सागू गह	होत ा		लागू नहीं हो	सा
			·			
11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			12	
प्रतिनियुक्ति पर स्था	नान्तरण द्वारा	The state of the s	प्रतिनि	 हुक्ति पर स्थान	—	
•					मुल्म का अधीक्षक (650— र (650+1200 घ्पए)	1200 रुपए) और सीमा
					∗षा	
			(2)	550-900 (इ. (सामान्य	न शुस्क केनिरीक्षक 425-86 अप्यन श्रेणी) सीमाशुस्क विभाग श्रेणी)/550-900 रु. (अर् श्रीठवर्ष नियमित सेवा की है	का परीक्षक 425-800 यम श्रेणी) जिल्होंने श्रपनी-
			स	म्य [ं] संगठन /विम	विधि, जिसके घ्रस्तर्गेत केन्द्रीयस तग में इस नियुक्ति से ठीक पर प्रतिनियुक्ति की श्रमिध रोगी ।	पहले धारित किसी भन्य
				with tidit		
	,					
	13				14	
लागू भद्दी होता			संच	लोक सेवा मा	मोग से परामर्श किया जाना	मानस्यक नहीं है
1	. 2	3	4	5	6	7
5 ले बा मधि कारी	1* (1987) *कार्यमार के ग्राह्मार परपरि- वर्तन किया का सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित सनतृसचित्रीय	840-40-1000- दरेंरो. 40-1200 रुपमें (पुनरीक्षण से पूर्व)	चयत	लागू नहीं होता	नहीं
				<u> </u>		
<u> </u>		·· ···	9		10	
लागू नहीं होता		सागू नश	ीं होता	 -	कुछ नहीं 	
	<u> </u>	<u></u>				
	1:		<u></u>		12	
मान्नात/मातान म् ^{१व} त	ापर स्थानास्तरण इ	IVI		(क) 1. सम्ब जि न्हे सम तु र है भी	ापर स्थानास्तरण/प्रोक्षति केन्द्रीय सिषवासय सेवा के र तुल्य श्रेणी में पद धारण नि सिषवासय प्रशिक्षण ग्री स्य में रोकड़ ग्रीर लेखा काई र जिनके पास रोकड़ लेखा लुभव है, मा	करने वाले ऐसे श्रविकारी र प्रवस्थ संस्थान या उसके में प्रशिक्षण प्राप्त किया

- 2. केम्ब्रीय सरकार के ब्रिधीन ऐसे अधिकारी जो 500-900/ 550-900 रुपये के बैतनमान में कनिष्ठ लेखा प्रधिकारी/ लेखाकार या उसके समनुख्य पद या सतृश पद बारण करते हैं बौर जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है या
- 3. ऐसे शिका/लेका परीक्षक मिक्कारी या एस.ए. ऍम. लेकाकार जिक्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है मौर जो किसी संगठित लेका विभाग से हों, मीर
- (का) ऐसे विभागीय लेखाकारों के जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, संबंध में विचार किया जाएगा और यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जात है तो वह यदि प्रोक्षति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
- (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ब्रधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विकार किए जाने के पाल नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विकार किए जाने के पाल नहीं होंगे।
- प्रतिनिमुक्ति की ग्रवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी ग्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी ग्रन्य कावर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से ग्रधिक नहीं होंगी।

13

14

समूह 'ब' विभागीय प्रोफ्ति समिति। (पश्चिट के लिए) प्रस्थेक ग्रनसर पर क्यन संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्थ में किया जाएगा।

- सीमाशुरुक, जरुवादन शुरुक भीर स्वर्ण (मियंत्रण) भ्रपील भ्रधिकरण का कोई जपा-स्पक्ष या सवस्य --सवस्य
- रिकस्ट्रार, सीमासुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) प्रपील प्रक्रिकरण
- हिष्पण पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोमित समिति की कार्यवाहियां, संव लेक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किल्लु यदि आयोग उनका अनु-मोदन महीं करता है तो विभागीय प्रोमिति समिति की बैठक संघ लोक सेवा साथोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में किर से होगी।

1	2	3	4 .	5	6	7
3. निजीसचित्र	28* (1987) *कार्यभार के भाषार पर परिपर्तक किया भा	शाजपक्षित स्नननुस[धनीय	650-30-740-35- 810 व. घो35- 880-40-1000- व.घो. 40-1200] इस्ते (पुनरीक्षण से पूर्व)	चयम	लागू मही होता	लागू नहीं होता

--सवस्य

8	9	10
लागू महीं होता	लागू नहीं होता	शाग् नहीं होता
11	तागू नहीं होता 11 12 धारा शिक्ष पर स्थानान्तुरण द्वारा ऐसे प्राणुलिपिक श्रेणी-2, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुकित पर स्थानान्तरण : 1. केन्द्रीय सिववालय प्राणुलिपिक सेवा या उसके सम्तुल्य के ऐसे श्रेणी "ख" प्राणुलिपिक जो नियमित घाघार के सबूग पर घारण करते हैं, या 2. ऐसे श्रेण:-I (आशुलिपिक उं50-900) जिन्होंने केन्द्रीय उस्पाद मुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के घ्रधीन के विभाग में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, केन्द्रीय सचिवालय घाणुलिपिक सेवा के समृह "क" धाणुलिपिक प्रयवा समृह "ग" 425-800 व. (या केन्द्रीय सचिवालय घाणुलिपिक सेवा के ऐसे प्राणुलिपक जिन्होंने 8 वर्ष नियमित सेवा की है, यक् 3. दिल्ली प्रशासन/उच्च न्यायालय/उमके अर्थालस्य न्यायालयों/समक्ष्य अधि- करणां के ऐसे प्रयुक्त की प्रशासन/उच्च काणुलिपिक जिन्होंने 550-900 रुपये की श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है या 425-700 रुपये की श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की ध्रवधि, जिसके ग्रन्तगैत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी	
1- 50 प्रतिगत प्रोम्नति धारा		प्रोप्तति :
2. 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तुरण द्वारा	,	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 1. केन्द्रीय सिववालय ध्राणुलिपिक सेवा या उसके समृतुल्य के ऐसे अंणी "ख" प्राणुक्षिपिक जो नियमित घ्राधार कर सबूण पद घारण करते हैं, या 2. ऐसे अंणे:- I (आणुलिपिक 550-900) जिन्होंने केन्द्रीय उत्पाद शुन्क और सिमा शुन्क बोर्ड के घ्रधीन के विभाग में उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, केन्द्रीय सिववालय घ्राणुलिपिक सेवा के समूह "क" ध्राणुलिपिक प्रयवा समृह "ग" 425-800 ६ (या केन्द्रीय सिववालय घ्राणुलिपिक सेवा के ऐसे घ्राणुलिपक जिन्होंने 8 वर्ष नियमित सेवा की है, या 3. दिल्ली प्रशासन/उच्च न्यायालय/उमके अर्धानस्य न्यायालयों/समरूप अधिकरणां के ऐसे प्रशासन/उच्च न्यायालय/उमके अर्धानस्य न्यायालयों/समरूप अधिकरणां के ऐसे प्रयोग्ठ घ्राणुलिपिक जिन्होंने 550-900 रुपये की श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है या 425-700 रुपये की श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है।

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति

1. सीमामुत्क, उत्पाद मुल्क और स्वर्ण (नियंतण) प्रपील प्रधिकरण का ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या कोई उपाध्यक्ष, जो ध्रध्यक्ष, सीमामुल्क उत्पाद मुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपीन प्रधिकरण द्वारा नामनिदिष्ट किया जाए)

)

रो परामर्ग करना धावश्यक है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा प्रायोग

- 2. सीमाणुल्क, उत्पाद णुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रपील मधिकरण का कोई सदस्य, जो मध्यक्ष, सीमाणुल्क उत्पाद णुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) श्रपील मधिकरण द्वारा भामनिर्दिष्ट किया जाए
- रिजस्ट्रार, सीमागुल्क, उत्पाद गुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) ध्रामील ध्रधिकरण

----सुबस्य

टिप्पण :---पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति सी कार्यवाहियां संघ लोक सेवा भ्रायोग के श्रनुमोदनार्थं भेजी जाएगी किन्तु, यदि श्रायोग उनका अनुमोदन महीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति सी वैठक रांबंधी संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रव्यक्ष या किसी सदस्य की भ्रष्टियक्षी में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
. कोर्ट मास्टर	7* 🗭	साधारण केन्द्रीय	550-25-750-द.रो.	चयन	30 वर्ष से घ्रधिक नहीं	T)
	(1987)	सेवा, समूह "घ"	30-900 रुपये		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए	
	*कार्यभार	भराजपत्निस	(पुनरीक्षण से पूर्व)		गए धनुदेशों या धादेशों के धनु-	
	वेर	भ्रमन <u>ु</u> सचित्रीय			सार सरकारी सेवकों के लिए	
	माधार	· ·			5 धर्प तक शिथिल की जा	
	पर				सकती है।)	
	परिवर्तन				र्टिप्पण : श्रायुंसीमा श्रवधारित	
	किया				करने के लिए निर्णायक सारीख,	
	आ				भारत में भ्रम्यर्थियों से (उनसे	
	सफता				भिक्ष जो अंदमान और निकोबार	
	ŧι				द्वीप तथा लक्षतीप में हैं) भावेदन	
	•				प्राप्त करने के लिए नियस की	
					गई कोई अंसिम तारीख होगी	

8	9 10	
मानस्यकः:		
 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में दिग्री या समतुल्य 	ाहीं 2 धर्म	
II. न्यायालयों/प्रक्षिकरणों में 2 वर्ष का प्रमुख		
टिप्पण : 1. शहंताएं ग्रन्यमा सुमहित मध्यमियों की दशा में संघ लोक सेवा	भायोग के विवेकानुसार भि थिल की जा रसकती है।	
2. अनुभव संबंधी प्रहेता संघ लोक सेवा कायोग के विवेकानुसार की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा प्रपेकित अनुभव रेकने वाले उन समुदायों के अध्यक्षी पर्याप्त संख् वाख्निय : किसी मान्यताप्राप्त विभवनिश्चालय से विधि में कियी या सन्	•	सर ने के सि
11	12	
1. 50 प्रतिगत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोब्रहि :	
2 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानास्तरण/ प्रतिनियुक्ति डारा	ऐसे प्रधान लिपिक जिल्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेका की हैं। प्रधान लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में कुल 10 वर सेवा की है।	
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :	
	ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क के निरीक्षक, निवारक स्रधिकारी और उप कार्यालय प्रधीक्षक, जिन्होंने सपती-प्रप्रती श्रेणी में 5 वर्ष हो तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा और गैर केन्द्रीय सचिवालय से के ऐसे सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है और प्रिमानत: न्यायालयो प्रधिकरणों में कार्य का प्रमुख्य है।	र्भसेवा ४ सेवा दोने
	(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय प्रधिकारी, जो प्रोप्तति की सीधी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं ह प्रकार प्रतिसियुक्ति किए गए क्यक्ति प्रोप्ति ढारा नियुक्ति के वि किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	होंगे। उप
	प्रतिनियुक्ति की श्रविध, जिसके घन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहते धारित किसी श्रन्य व पद पर प्रक्रितियुक्ति की श्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से व होगी ।)	काइर बाह
13		
	रीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने सनग्र संघ लोक कोवा प्रायोग से परास् ग्रावस्थक हैं।	मर्शकरन
2. रजिम्ट्रार, सीमामुल्क, उत्पाद मुल्क और स्वर्ण (निर्यक्षण) मधील प्रधि - करण —सदस्य	- ,	
2. कोई उप रजिस्ट्रार, सीमाणुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ग (नियंक्षण) प्रपील श्रधिकरण ——सदस्य		
टिप्पण 'पुर्टिट से संबंधित विभागीय प्रोक्षति समिति की कार्यवाहियां, यंघ भनमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोक्षति समिति की बैटक सं	लोक सेवा प्रायोग के प्रतुमोदनार्थ सेवी जाएंगी । किल्यु, यदि प्रायो प्र लोक सेवा प्रायोग के प्रधान सा किसी सन्दर्श की स्थानक से किल	ग उनक

[संख्या 15/87/फा. मं. 27/23/85न्म्.की. 1]

ए. सी. मन्द्राना, ग्रपर म**विव**

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by the proving to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts in the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(1) There rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1987.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
 - 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay. The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto snall be as specified in column 2 to 4 of the said schedule.
 - 4. Method of Recruitment, age limit and other Qualification :-- -- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.
 - 5. Disqualification.—No person,

Not applicable.

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

. No

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Post	· Classification	Scale o	f Pay	Whether post or no post.	Selection n-selection
1	2	3		4		5
1. Registrar	1* (1987) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	2000 (p Note: oarry t 2000-2 porton transfe tion ho regular scale of with no	0-60-1800-100- ore revited) The post will the scale of Rs. 1250, if the selected for r on deputa- olds a post on basis on the f Rs. 1500-2000 ot less than 5 service in the	Selec	tion
Age limit for direct r	ad	hether benefit of added years of missible under rule 30 of the C. ension) Rules, 1972.		Educational ar		
6		7	<u></u>		8	

Not applicable.

Whether age and Educational Period of probation, Method of recruitment In case of recruitment by promotion/depu-Qualifications prescribed if eny. whether by direct recruitment tation/transfer, grades from which profor direct recruits will apply or by promotion or by demotion/deputation/transfer to be made. in the case of promotees. putation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. 9 10 12 Not applicable Not applicable By promotion failing which Promotion: by transfer on deputation. Deputy Registrar with 5 (five) years regular service in the grade failing which both 13 years combined regular service in the grade of Deputy Registrar and Assistant Registrar and possossing a degree in law . from a recognised University or equivalent. Transfer on Deputation: Officers under the Central/State Governments-(a)(i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with 5 (five) years' regular service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent; and (b) Possessing degree in Law. For officers working in departments other than in Indian Customs and Central Excise or in Tribunals similar to Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and Officers of the State Judicial Service/High Courts, possession of experience of handling Central Excise and Customs matters would be necessary, apart from Degree in Law. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three years.) If a Departmental Promotion Committee exists, what is it; Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. composition. 13 Group 'A' Departmental Promotion Committe: Consultation with Union Public Service Commission (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission necessary for appointment on transfer on deputation. -Chairman; (ii) President/Senior Vice President, Customs, Excise (Control) Appellate Tribunal -- Member; (iii) Any other Vice President or Member, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, nominated by the President, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal. Note: The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for

approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be provided over by the Chairman or a Member of the

Union Public Service Commission shall be held.

4 2 3 General Central Service Rs. 1200-50-1600. Selection 2. Deputy Registrar (Pre-revised) Group 'A' Gazetted, (1987)Non-Ministerial. Subject to variation dependent on workload. 6 ESSENTIAL: No ot exceeding 40 years (relaxable for (i) Degree in Law of a recognised Univer-Government servants upto 5 (five) years sity or equivalent; in accordance with the instructions or (ii) 7 (seven) years' administrative experorders issued by the Central Government) ience or Judicial experience. Note: The crucial date for determining the Note 1 : Qualifications are relaxable at the age limit shall be the closing date for discretion of the Union Public Service receipt of applications from candidates Commission in case of candidates in India (Other than those in the Andaman otherwise well qualified. and Nicobar Islands and Laksha-Note 2 : The qualifications regarding dweep). experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved from them. 11 12 10 9 PROMOTION: By promotion failing which (i) 1 year for Age : No Assistant Registrar, Customs, Excise and by transfer on deputation direct recruit. Educational Qualification: Gold (Control) Appellate Tribunal with and failing both by direct (ii) 2 years for Degree in Law from a re-8 (eight) years' regular service in Customs, recruitment. promotees. cognised University or Excise, and Gold (Control) Appellate equivalent. Tribunal and in a Group 'B' post in any High court taken together. TRANSFER ON DEPUTATION: Officers of the Central/State Governments: (a)(l) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 (five) years' regular service in scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or with 8 (eight) years' regular ser-(iii) vice in the scale of Rs. 650-1200; (b) passessing degree in Law. For officers working in departments other than in Indian Customs and Central Excise or in similar to Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and officers of the State Judicial Service/ High Courts, possession of experience of handling Central Excise and Customs matters would be necessary apart from degree in Law.

departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years),

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee : (for promotion)

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

(i) Chairman or Member of Union Public Service Commission--Chairman

(ii) President/Senior Vice President, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal —Member.

(iii) Any other Vice President or Member of Customs, Excise Gold (Control) Appellate Tribunal-Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation)

(1) President/Scnior Vice President, Ct storn, Excise and Gold (Cotrol) Appellate Tribunal-Member.

(2) Any other Vice President or Member of Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribumal-Member.

Note: The proceedings fof the Departmental Promotion Committee relating to cofirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairmanora Member of the Union Public Service Commission shall be held.

-	1	2		3	. 4	5
3. Assistant Registr	Rogistrar	11* (1987) *Subject to variation of pendont on workload.	le-Group'	Contral Service B' Gazotted rial	Rs. 650-30-740-35 - 810-EB-35-880-40- 1000-EB-40-1200 -(Pro- rovised)	Salection
			7		9	-

Not exceeding 30 years (relaxable Government servants upto 5 (five) years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Governmont)

Note': The crucial date for determining the ago limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

(i) Degree in Law of a recognised University or equivalent.

(ii) 3 (three) years' Administrative ex- University or equivalperience or Judicial experience.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidares otherwise well qualified.

Note 2.— The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Schedule Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Ago: No Educational Qualification : Degree in Law from a recognised ent.

[माग II—चण्ड 3(i)] 15 भारतकां, राजप्रज्ञ: भसावारण 10 11 12 1 your for direct recruits (i) 25% by promotion failing Promotion: which by transfer on deput -Court Masters with 3 (three) yours rogular service in the grade... Transfer on Deputation/Transfer (ii) 59% by direct recruitment. Officers under the Central/State Governments. (iii) 25% by transfer/transferon (a)(i) holding analogous posts on regular basis or deputation. (ii) With 3 (three) years' regular service in the posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or (iii) With 8 (eight) years' regular service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and (b) possessing degree in Law. For Officer working in departments other than in Indian Customs and Central Excise or in Tribunals similar to Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and officers of the states Judicial Service/High Courts, possession of experience of handling Central Excise and Customs matters would be necessary apart from degree in law. (The Dapartmental Officers in the feeder entegory who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration. for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another exceded post hold immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Contral Government shallordinarily not exceed three years). Group'A' Departmental Promotion Committee! Consultation with the Commission necessary for transfer/transfer (i) President/Senior Vice President, Customs, Excise and of deputation. Gold (Control) Appollate Tribunal- Chairman. (ii) Any Vice President Member or of the Customs, Excise and Go d (Control) Appellate Tribunal - Member. (iii) Registrar, Customs, Exelso and Gold (Control) Appellate Tribunal- Member. Note: The Proceedings of the Departmental Promotion Committee reating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, those are not approved by the Commission a fresh mosting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Mam'bor of the Union Public Service Commission shall be he d. 1 Gunral Contral Sor- Rs. 650-30-740-35-810-4*(1987) Not applicable. Not applicable. 4. Toohnioul Officer *subject to variation vice Group 'B' Gaz- EB-35-880-40-1000zetted non-Minister. EB-40-1200-Special dependent on ial. Pay of Rs. 75/- perwork load month (Pro-rovised)

Not applicable.

10 11 12 13 14 Not applicable. By transferon deputation. Transferon deputation. Not applicable. Consultation with the (i) Suparintendent UPSC not necessary. Contral Excise (Rs. 650-1200) and Appraisors (Rs. 650-1200) Customs. OR (ii) Inspector of Central Excise, (Rs. 425-800-(OG)/550-900(SG)/Examiner of Customs, Dopartment (Rs. 425-800 (OG)/Rs. 550-900 (SG) having eight years regular service in the respective grades. (Period of deputation including period of doputation in another ox--ommi bled taog orbro diately preceding this appointment in the same or some other organisation/departments of Central Governmont shall ordinarily not exceed three years). 6 3 Not applicable. General Central Rs. 840-40-1000-EB- - Selection Accounts Officer Service Group 'B' (1987)40-1200 Gazetted Ministerial (Pre reviced) *Subject to variation dependent on work load. 10 11 By promotion/transfer on Nil Not applicable. Not applicable. No deputation. 14 13 12 Gr. 'B' Departmental Promotion Committee Selection on each occasion Transfer on deputationl/Promotion: shall be made in consulta-(i) Section Officers of the CCS or Officers holding (for confirmation): tion with the Union Public posts in equivalent grade, who have undergone 1. President/Senior Vice President, Cus-Service Commission. training in Cash and Accounts work in the toms, Excise and Gold (Control) Appel-Institute of Secretariat Training and Managelate Tribunal—Chairman. ment or equivalent and possessing experience AnyVice President, or Member of Customs, Excise and Gold (Control) Appelin Cash, Accounts and Budget work, or (ii) Officers under the Central Government holding late Tribunal-Member. 3. Registrar, Customs, Excise and Gold analogous posts or posts of Junior Accounts Officer/Accountant or equivalent in the scale (Control) Appellate Tribunal-Member. of Rs. 500-900/550-900 with 5 years regular service in the grade; cr (iii) Accounts/Audit Officer or SAS Accountants with 5 years regular service in the grade from any of the organised Accounts Departments; (b) The departmental Acoc untant with 5 years regular service in the grade will also be nsidered and if selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

13

14

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/departments of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be hold.

i	2	3	4	5	6
6. Private Secretary	•	General Contral Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 650-30-740- 35-810-EB-35- 880-40-1000-EB- 40-1200 (Pre-revised)	Selection	Not applicable
- · - - 7			g	10	

-

12

13

Promotion:

Stenographers Grade II with 8 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation:

- (i) Stenographers Grade 'B' of CSSS or equivalent holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) Stenographers grade I (Rs. 550—900) with 3 years' regular service in the grade in the Department under the Central Board of Excise and Customs, Stenographers Grade 'A' of Central Secretariat Stenographers Service or Stenographer Grade 'C' (Rs. 425—800) or CSSS with 8 years' regular service; or
- (iii) Senior Stenographers of Delhi Administration/High Courts/Courts Subordinate thereto/similar Tribunals having 3 years' regular service in the grade of Rs, 550—900 or 8 years' regular service in the grade of Rs, 425—700.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisations/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years) Group 'B' Departmental Promotion Committee.

- Senior Vice-President or any Vice President of Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal nominated by the President, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal—Chairman.
- Any Member of the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal —Member.
- Registrar, Custonis, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal—Member.

Note: The proceedings of the Departmental
Promotion Committee relating to
continuation shall be sent to the
Commission for approval. If,
however, these are not approved
by Commission a fresh meeting of
the Departmental Promotion Committee to be presided over by the
Chairman or a Member of the
the Union Public Service
Commission shall be held.

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making appointment by transfer on deputation.

14

1	2	3	4	5	6
7. Court Master	7* (1987) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB- 30-900 (Pre-revised)	Selection	Not exceeding 30 years, (Relaxable for Government servants uplo 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)

7	8	9	10	11
No	Essential:	No	2 years.	(i) 50% by direct recruitment.
	(i) Degree in any subject of a recognised University or equivalent.(ii) 2 years' experience in courts/Tribunals.			(ii) 50% by promotion failing which by transfer on deputation/deputation.
	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of Candidates otherwise well qualified.			
	Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of Candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

Degree in Law from a recognised University or equivalent.

12

Promotion:

Head Clerks with the 5 years regular service in the grade or 10 years total regular service in the grade of Head Clerk and Upper Division Clerk.

Transfer on deputation:

Persons holding the posts of Inspectors of Central Excise, Preventive Officer, Examiner and Deputy Office Superin- 3. tendents with five years service in the respective grades and Assistants, both CSS, and Non-CSS with 5 years, service in the grade preferably having experience in the Note: The Proceedings of the Depart-Courts/Tribunals.

(Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

Group 'B' Departmental Promotion Committee:

- 1. Member, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal—Chairman
- 2. Registrar, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal-Member.
- Any Deputy Registrar, Customs, Facise and Gold (Control) Appellate Tribunal-Mcmber.

mental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making appointment by direct recruitment.

14

[No. 15/87(F. No. 27/23/85 Ad. IC)]

A.C. SALDANHA, Addl. Secy.



The Gozette of India

प्राधिकार से प्रकासित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] No. 34] मई बिल्ली, गालिबार, अगस्त 24, 1996/भाद 2, 1918

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1996/BHADRA 2, 1918

والأراج والمعاور المرزاع المعار والمستوات والأواد المستعمر المستعد والمساور والمسا

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग 11—इण्ड 3—उप-छण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) श्रीर केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए श्रीर जारी किए गए साधारण सीविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उप-नियम आदि सिम्मिलत है) General Statutory Rules (including Orders, Byc-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय श्रीर कंपनी कार्य महालय (विधि कार्य विभाग) (न्यायिक श्रनुभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1996

सा का . नि . 345---केन्द्रीय सरकार, खंड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का 2) को धारा 24 की उपधारा (8) हारा प्रदत्त मंदितयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि, न्याय और अंपनी कार्य मंबालय के विधि कार्य विभाग को श्रविस्चना संख्या सा.का.नि. 175 तारीख 31 मार्च, 1995 का श्रधिकमण करते हुए ग्रेटर मुम्बई में विशेष न्यायालय, सेणन न्यायालय और अतिरिक्त सेणन-न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुरुक श्रीर नमक अधिनियम, 1944, में भा ण्ल्क ग्रविनियमः 1962, विदेशी मद्रा संस्थाण श्रीर तस्कारी निवारण श्रिधिनियम, 1974, कर्मचारी अविषय निवि और प्रकीर्ण उपर्यंध स्रिधिनियम, 1952, चोरवामारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय श्रक्षितियम, 1980, पायकर श्रियतियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958, लंपनी अधिनियम, 1956, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 शौर स्वायक श्रीएति शौर सनःप्रभाषो पदार्थ

अधिनियम, 1985 से उद्भूत होने वाले मामलों के संवालन के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अधिवस्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में त्रन्त प्रभाव ले नियुक्त करती है:--

- (1) श्रीए. आर. गुण्ते
- (2) श्रीसी.टी. जार्ज
- (3) श्रीए.बी. बेलगल
- (4) श्री ए.के. वनवारी
- (5) श्रीए.जी. देशमुख
- (6) श्रीए. एम. वेसाई
- (7) श्रीमती तेजा कटवारे
- (8) श्रीए, एम. चिमालकर
- (9) श्रीमती ऊबा सिसोदिया
- (10) श्री थे. श्रार. मोरे
- (11) श्री श्राई.जे. मंसारमानो
- (12) श्री जी.एम. वक्तील
- (13) श्री एम.पी. जोहरी
- (14) शीएम, बी. खेर

निबंधन श्रीर शर्ते:--

- 1. ये निय्वितयां दो वर्ष की प्रविध को लिये होंगी।
- 2. इन नियुक्त हुए व्यक्तियों को किसी प्रतिधारण/ मासिक परिश्रमिक का संवाय नहीं किया जाएगा।
- 3. नियुक्त हुए, ब्यक्ति निम्नलिखित वर्णनामुसार कीस के लिये पात्र होंगे:----
 - (क) प्रारूपण शिकायन: 300 रुपये--प्रति मामला
 - (ख) प्रभावी स्नवाई: 600 रूपये -- प्रति दिन
 - (ग) अप्रभायी सुनवार्ड: ऐसी अधिकतम तीन सुनवार्ड तक 300 रुपये प्रतिदिन
 - (घ) सम्मेलन प्रभार : ऐसे ग्रधिकतम सम्मेलनों तक प्रतिबंटा - 60 रुपये
- 4. नियुक्त हुए व्यक्ति किसी दांडिक मामले में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के विकन्न विशेष न्यायालयों सैंशन न्यायालयों और अतिरिक्त सेंशन न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे।
- 5. किसी पक्ष द्वारा लिखित में एक मास की सूचना पर नियुक्त पर्यंबसेय होगी।

[फाइल नं 23(2)/90-न्यायिक] भी.सो. कण्णन, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Legal Affairs)

(Judicial Section)

New Delhi, the 1st August, 1996

G.S.Rl. 345.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs No. G.S.R. 175 dated 31st March, 1995, the Central Government hereby appoints with immediate effect the following advocates as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting cases arising out of Central Excises and Salt Act, 1944, Customs Act, 1962, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Prevention of Black marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, Income-tax Act, 1961, Wealth-tax Act, 1957, Gift-tax Act, 1958, Companies Act, 1956, Foreign Exchange Regulation Act, 1973 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 before the Special Court, Sessions Court in the Greater Mumbai:

- (i) Shri A. R. Gupte
- (ii) Shri C. T. George
- (iii) Shri A. B. Belgal
- (iv) Shri A. K. Wanwari
- (v) Shri A. G. Deshmuk
- (vi) Shri A. M. Desai
- (vii) Smt. Teja Katdare
- (viii) Shri A. M. Chimalkar
- (ix) Smt. Usha Sisodia
- (x) Shri J. R. More

- (xi) Shri I. J. Mansaramani
- (xii) Shrl G. M. Vakil
- (xjii) Shri M. P. Johri
- (xiv) Shri S. B. Kher.

ferms and Conditions:

- 1. These appointments shall be for a period of two years.
- 2. No retainer/monthly remuneration will be paid to these appointees.
- 3. The appointees will be cligible for the fees as stated below:
 - (a) Drafting Complaint

: Rs. 300 per case

(b) Effective hearing

:--Rs. 600 per day

(c) Non-effective hearing

Rs. 300 per day upto a maximum of three such hearings.

(d) Conference charges

: Rs, 60 per hour upto a maximum of three such conferences.

- 4. The appointees shall not appear in any criminal case in the Special Courts, Sessions Courts and Additional Session Court against the Central Government or any officer the Central Government or against any Department of the Central Government.
- 5. The appointment would be terminable on one month's notice in writing on either side.

[F. No. 23(2)/90-Judl.] P. C. KANNAN, Jt. Secy. and Legal Adviser

गृह महालय

नई विल्ली, 2 प्रगस्त, 1996

मा.का.नि.346. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेच 309के परन्तृक द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रमम राइफल्स शिक्षण कर्मचारीवृत्त्व भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिये निम्निःखिल नियम बनाते हैं, ग्रथित :---

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रसम राइफल्स णिकण कर्मचारोदृत्द भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रयत्त होंगे।
- 2. असम राष्ट्रफल्स शिक्षण कर्मचारियृन्द भर्ती नियम, 1980 में,----
 - (1) नियम 6 में "श्रनुस्चित जातियों और अपस्चित जनजातियों" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द श्रनःस्थातित क्रिये जायेंगे, अर्थात्:----

''अन्य पिछड़े बर्गो, भृतपूर्व मैकिको'',

- (2) ग्रन्स्की में;----
- (1) ज्येष्ठ श्रध्यापक के पद से संबंधित श्रम संस्थांक 1 के सामने स्तंभ 6में की विश्वमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायंगी, अर्थात :--

- "35 वर्ष (सरकारी सेवकों भ्रौर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के श्रध्यापकों तथा महिला भ्रभ्यथियों को दशा में पांच वर्ष तक णिथिल की जा सकती हैं)",
- (2) कनिष्ठ श्रध्यापक के पद से संबंधित अप संख्यांक 3 के सामने,---
- (क) स्तंभ 6 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थानपर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जावेंगी, श्रथात्:—— "30 वर्ष (सरकारी सेवकों श्रीर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के श्रध्यापकों तथा महिला श्रभ्यथियों की दशा में पांच वर्ष की जा सकती है)"।
- (स्व) स्तंभ 7 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, प्रथात: --
- (क) किसी मान्यत प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय में इण्टरमीडिएट या 10 ± 2 या समत्त्व परीक्षा।
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय मे कनिष्ठ बुनियादी प्रणिक्षण/ग्रध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या समतुल्य।
- (ग) हिन्दी ग्रांग ग्रंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाने से प्रवीणता''।

[सं. I-45028/13/94-का.-2] यू.सी. नांगिया, श्रवर सचिव

टिप्पण:--मूल नियम भारत के राजपत्न में सा.का.नि. सं. 246 तारीख 17-2-81 द्वारा प्रकाणित किये गये थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd August, 1996

G.S.R. 346.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles Teaching Staff Recruitment Rules, 1980, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Assam Rifles Teaching Staff Recruitment (Amendment) Rules, 1996,
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Assam Rifles Teaching Staff Recruitment Rules, 1980,-
 - (1) in rule 6, after the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes", the following words shall be inserted, namely:—

"Other Backward Classes, Ex-servicemen";

- (2) in the Schedule,-
 - (i) against serial number 1 relating to the post of Senior Teacher, in column 6, for the existing entrics shall be substituted, namely:—
 - "35 years (relaxable upto 5 years in case of Government servants and Teachers of recognised schools and women candidates)";
 - (ii) against serial number 3 relating to the post of Junior Teacher,—
 - (a) in column 6, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

- "30 years (relaxable upto 5 years in case of Government servants and Teachers of recognised schools and women candidates."
- (b) in column 7, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—
 - (a) Intermediate or 10+2 or equivalent examination from a recognised Board of Education or University.
 - (b) Junior Basic Training/Teachers Training Course or equivalent from a recognised Institute or University.
 - (c) Proficiency to teach both in Hindi and English medium."

[No. I. 45028/13/94-Pers, II] U. C. NANGIA, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 246 dated 17th February, 1981.

नई दिल्ली, 2 श्रगस्त, 1996

स. .का .नि . 347. — केन्द्रीय सरकार; सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) द्वारा प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नति और प्रधिवर्षिता) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, श्रथात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (श्रधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नित और श्रधिवर्षिता) (संशोधन) नियम, 1996 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारी**स** की प्रयुक्त होंगे।
- 2. सीमा सुरक्षा बल (म्रधिकारियों की ज्येष्ठता, प्रोन्नित ग्रौर म्रधिवर्षिता) नियम, 1978 के नियम 7 के उप नियम (1) में,
 - (1) "ग्रौर उप महानिरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "उप महानिरीक्षक ग्रौर महानिरीक्षक" शब्द रखे जायेंगे।
 - (2) खण्ड (ग) धौर उससे संबंधित प्रविष्टियों के पण्चास् निम्निसिखित खंड ग्रौर प्रविष्टियां ग्रंतःस्थापित की जायेंगी:—
 - ''(घ) महानिरीक्षक के रैंक के लिये विभागीय **प्रोप्न**ित समिति
 - (1) सचिव —-- ग्रध्यक्षःगृह मंत्रालय
 - (2) महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल --सदस्य
 - (3) महानिदेशक, —-सवस्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/ धसम राईफल्स/भारत तिब्बत सीमा पुलिस (जैसा कि एक विनिद्दिष्ट समय के लिए श्रध्यक्ष द्वारा नामनिद्दिष्ट किया आए)
 - (4) विशेष/भ्रपर सचिव, —सदस्य गृह मंत्रालय (पुलिस प्रभाग के भारसाधक)

__:- - - - - - -

'टिप्पणी:---मूल नियम, भारत के राज्यत्न में, सा.का.नि.
1462 तारीख 9 दिसम्बर, 1978 द्वारा
प्रकाशित किय गये थे और तत्पस्वात् उसमें
(1) सा.का.नि. सं. 416, तारीख 31 मई,
1989 और (2) सा.का.नि. सं. 319 तारीख
2 जुन, 1994 द्वारा संशोधन किया गया।

[सं. 17/45/95-कार्मिक/सी.सु.बल/कार्मिक-3] रणजीत बिजानी, डैस्क श्रधिकारी, गृह मंत्रालय (कार्मिक-3)

New Delhi, the 2nd August, 1996

- G.S.R. 347.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force (Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Rules, 1978, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Border Security Force (Semority, Promotion and Superannuation of Officers) (Amendment) Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Border Security Force (Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Rules, 1978, in rule 7, in subrule (1),—

- (i) for the words "and Deputy Inspector General", the words "Deputy Inspector General and Inspector General", shall be substituted;
- (ii) after clause (c) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be inserted, namely:—
 - "(d) Departmental Promotion Committee for the rank of Inspector General;
 - (i) Secretary, Chairman. Ministry of Home Affairs.
 - (ii) Director General, Member.
 Border Security Force.
 - (iii) Director General, Central Reserve Police Force/ Assam Rifles. Indo-Tibetan Border Police (as may be nominated by the Chairman for a specified time).
 - (iv) Special Additional Secretary, Member.Ministry of Home Affairs, (Incharge of Police Division).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 1462 dated the 9th December, 1978 and subsequently amended vide number (i) GSR 416 dated 31st May, 1989 (ii) GSR 319 dated 2nd June, 1994.

[F. No. 17/45 '95-Pers. BSF|Pers. HI] RANJIT BIJANI. Desk Officer, MHA (Pers. III)

नई दिल्ली, 14 ग्रगस्त, 1996

ा का नि. 348.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक प्रधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंद्राता कि राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में सगृह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् —

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मुरक्षा गारद समृह "ग" पद भर्ती नियम, 1996 है।
- (2) ये राजपक्त में प्रकाशन की तारीख की प्रमुक्त होंगे।
- 2. लागू होना.--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध ध्रनसूची के स्तम्भ 1 में विनिधिष्ट पक्षों को लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेससमान.—पर्वो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेसममान वे होगे, जो उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भनीं की पद्धति, श्रायु-मीमा, मर्हताए श्रादि.—पदों पर भनीं की पद्धति, श्रायु-मीमा, ग्रर्हताएं और उनसे संबक्षित अन्य बाने वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिधिष्ट है।
- 5. प्र.रम्भिक गठन.---इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद में प्रतिनियुक्त कार्मिक, इन नियमों के उपबंधों के अनुमार भर्ती किए। गए समझे जाएंगे।
 - 6. निर्श्वता.-- यह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पनि या जिसकी परनी जीविन हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने भपने पति या अपनी पश्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, जक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पास्न नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का सह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और त्रिवाह के घन्य पक्षकार को लागू स्थीयांविधि के अधी न अनुक्रेय हैं और ऐसा करने के लिए धन्य घाधार हैं तो बह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट डे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की पांक्त.---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना श्रावण्यक या समीचीन है, यहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद करके इन निधमों के किसी उपयंध को किसी वर्गया प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबल, श्रावेण द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- S. ज्यावृत्तिः~—६न नियमों की कोई बात, ऐसे भ्रारक्षण, ग्रायु-सीमा में हुट और ग्रन्य रियायनों पर प्रभाव नहीं यानेगी. जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर निकाल गए आदेशों के श्रमुसार भ्रतूसूजित जाशियों, श्रनुसूजित जनजानियों, भूतपूर्व मैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ध के सिए उपवस्थ करना भ्रमेक्षित है।

			भ नुस् भी			
पदका नाम	पदों की मंख्या	वर्गीकरण	बेससमान्त्र	चयन पद प्रथवा मचमन पद	सीधी भर्ती किए जाने शाले व्यक्तियों के स्निए भ्रायु-मीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंगन) निषम, 1972 के नियम 30 के प्रधीन प्रमुक्तेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक क्षमाइटर (जी.डी. श्रेणी-I/II)	585* (पांच सी (पखासी) (1996) रोत्रयंभार के रित्यार पर परिकर्तन	साधारण केन्द्रीय से वा समूह 'ग'', श्रराजपत्रित, श्रननुसचिदीय	श्रेणी-I 2000-60-2300- व.मी-75-3200 म्.! श्रेणी-II 1640-60-2600- द.मी-75-290 ० म्	लागू मही होना	नागू नहीं हो ता	लागू नहीं होना
· <u> </u>	किया जी संबादा है।		-		-	
र्गाञ्च भर्ती किए जाने ताले व्यक्तियों के लिए ग्रंपेक्षित गैंक्षिक और भ्रन्य भ्रहेताएं	बिहित द्यापु अ	र जाने वाले व्यक्तियों के रि मीक्षिक ग्रहनाए प्रोक्षत दशा में लागू होंगी या नहीं	٠, .	ल्लान्य कोई हो। ध यवि कोई हो।	प्रोन्नांत द्वार तथा विशि	द्धान : भनीं सीक्षे होगां र १ प्रतिनियुक्ति/स्थानासरण हार भन्न पद्धतियों द्वारा भरी जा क्तयों की प्रतिगतता
8			9	; -	10	1 1
सागृ नहीं होता	लागू नहीं होत	T	लाग् नहीं शे ता		प्रतिनियुक्ति	त पर स्थानास्तरण क्षास ६
प्रोप्नात/प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तर .वे श्रीणयो जिनसे प्रोप्नति/प्रतिक् जाएगा			गर्गस्य प्राप्तस्य समिति है तो	 उस र्मा		परिस्थितियों में संघ लोक सेव मर्गिकिया जाएगा
12			13			14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : सेखा या केन्द्रीय सरकार/राज्य कर्मिक : (i) जो नियमित ग्राधार प	र्गुलम संगठन के ऐ	से योधक	भा गृन श्र ोहोता			ग् न हीं होता
हुए है, (ii) जिन्हें सुमगत क्षेत्र में क श्रम्भव है,	-					
प्रभूषिय हैं। (iii) ब्रायेदन प्राप्त करने की 40 वर्ष से श्रक्षिक नहीं (प्रतिनियुक्ति की श्रयां सरकार के उसी या कि इस नियुक्ति से छोता पर काल्य शाक्ष पद पर प्र	होगी। धि, जिसके श्रन्तर्गह सी श्रन्य संगठन/वि धंने धारिन किसी ध तियुक्ति की श्रजी	ा केर्न्द्राय भाग में प्रत्य घे हे,			·	

संगठन/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से ऐसे योधक कार्मिक:

- (i) जो नियमिति द्याधार पर सबुश पव धारण किए हुए हैं, और
- (ii) जिल्हों सुसंगत क्षेत्र में कार्यकरने का दो वर्ष का अनुभव है,
- (iii) प्राथेवन प्राप्त करने की प्रत्सिस तारीष्ट की भ्राय 48 वर्ष से प्रविक नहीं होगी।
 (प्रतिनियक्ति की प्रविध, जिसके भ्रन्तर्गेस केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भ्रन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि है, साधारणत्या पांच वर्ष से प्रक्षिक नहीं होगी।)

	1	2	3	4	5	6	7
ļ.	महायक कमाण्डर (मोटर मैकेनिक/ परिवहम) श्रेणी-I/II	13* (तेरह) (1996) *कार्यभार के भाषार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', प्रराजपन्निस, धननुसचिवीय	श्रेणी-I 2000-60-2300- व.रो75-3300 र श्रेणी-II 1640-60-2600- द.रो75-2900 र	लागूनही होता	ल(ग नहीं होता	लागृ नही हो ता
_	8		9		10		11
	लागू महीं होता	[]	सागू नहीं होता		लागू नही होता	प्रतिनियुक्ति	पर स्थानान्तरण द्वार

प्रतिनिम्दित पर स्थानान्तरण :— सेना या केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठनों से ऐसे योधक कार्मिक :

12

- (i) जो नियमित आधार पर सवृश पद धारण किए हुए हैं, और
- (ii) जिल्हें सुसंगत क्षेत्र में कार्य करने का दो वर्ष का धनुभव है।
- (iii) आवेदन प्राप्त करने की झिल्तम तारीख को श्रीम 40 वर्ष से झिंधक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति की झबंधि, जिसके झन्तर्गेत केन्द्रीय भरकार के उसी या किसी झन्य मंगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले झारित किसी झन्य काडर-बाह्य पव पर प्रतिनियुक्ति की झबंधि है,

साधारणतया पाच वर्ष से घ्रधिक नही होगी।)

लागू नहीं होता

13

लाग नहीं होता

14

(1) जो नि मिन ग्राधारपर सद्य पद धारण किए हुए हैं: ग्रांर

1	12	ak t		r		
ा(11) 'क्षित्रहे' सुसंगमः स्वीक्षे भि		वर्ष काम्याः स्त्रीकृत्यकारहै।				ing the par-
(iii) आधेदन प्राप्त करने हार्गा।	की श्रंकिम तार्रख	को धासु ४० वर्ष से श्रवि	क नहीं			
(प्रतिक्षियुक्ति की प्रकाशि, जिल् राज्यन/विभाग मिक्स निय यद पर प्रतिनियुक्ति की	किंत से ठाक पहले	धारित किनै। रेप्रेमी का	डर-ब≀ ह ्य		in a mark	योगीत्य्विता गाःसार्थानाम् नादः प्रमृतिस साहस्योके इतः स्थानाम्
	-		۱ *,			up. Mer _id_(u)_
1	reneral y na reneral reneral architecture for the	3	भूत्रभीवर			1947 (111) 1947 (111) 1947 (111)
 सहायक कमाण्डर (फि.पिक्शवर्गीय/वैयक्तिक महायक द्यागुलिपिक) श्रेणीः 1-II-III 	279* (दो सँ। जन्यासी) (1996) *कार्यभार के माघार पर परिवर्तन किया	मत्धारण केन्द्रःय सेवा, समूह "ग" ग्रराजपतित, () ग्रनन्सचिर्वःय	在心里,他们	न् भागिक्षेक्रिसा क्रिकेट स्थलमा पाचलपे श्रीध्यक्षि	नवनित सडालापड	् मिकीनकील्य मिल भवति। मण्डन/विनास में इस रि
ান্তর হিন্দু (চাই চাই)		१४००-इत- न्यास सर्वे। १ रा ५००-	-१क्-स्के ४-१७ ५ जोगी-चेरी	माग्रारण केस्त्रीक ात्राः: म श् रां ग्राराष्ट्र- पनितः, असन् मान्ड ा	* (एक) (१०५६) 'कायमण के जायमण कप पांच्यांच पा) फ़िन्दा अनुवादयः (महाभन्ने समाणकर) (छेर्लं⊱11)
— ————————————————————————————————————			,,-,-1-,1-,-	10 -	व्यापः सम्बाजनम् - से भा- 	
सामु नहीं होती. प्राप्त पर सम्बंध	कार्गी: 	नागुनहीहोता नागुनहीहोता नाहु हिंद गुने		मानु नहीं होता. जागू नहीं स्टब्स	प्रसि	निर्कृतित पर स्प्रानाःन्तरण् द्वारा गमक्षि-किः नृभाव
11		13	-	13		
प्रतिनियक्षित पर स्थानान्तरण्य	6- 6-	नहीं <i>ा</i> म	71F	लागूनही हाला	نياز	प्राप्ति नेय विकाय सम्बद्धाना न्य
सेना या केन्द्रीय पृष्टिस र साक्षकार्तामकः -		के कार्यालयों से ऐसे	मोधनः/गैर-	र है, कार्या औं मे	। বিশান নে ছিন∄∖দভ াৰ	नेता या केन्द्रीय पृष्यित सं ऐपी योखक/वैरूपोधक क
(i) जो नियमित क्राधार पर स	ाद्ग पद धारण किए ह ु	्है; औ र		न्या विराप् हुए हैं.		(i) जा नियमित आधार
ं। (ii) जिन्हें मुसंगत क्षेत्र में						Σ ήβ
(iii) धार्वेदन प्राप्त करने होती।			प्रधिक नहीं			(1i) जिस्त मस्यान खेळ३ ।
(प्रतिनिम्बित की प्रविधि, जि संगठन/विभाग में इस निम् पद पर प्रतिनिम्कित की	क्ति से ठोक पहले	धारित किमी ग्रन्य क(दर-घ(ह्य	केन्द्र, प्रस्केत स्राह्म (१५५०) से हैक पर्यास्त्र का निवृक्ति	हामीतः विभाके क्षेत्रीत हेर्ह्य/विकास में या कादर-बाक्षा भ	(111) खारेखन प्राप्त कार वर्ष के खांबक नहीं : (प्रतिनिधृतित की खांबिय, बसी पा किये प्राप्त प्र पहुंस धारित विकी कर
	2	3	4	- 5	6	~7
धः सहायकः समाण्डर विकासीसियः अध्यक्षाणिक श्रेणीः II	ा कें किंक्ष (स्किं) किंक्ष (1996) *कार्यभार के आधार पर पन्वित्त किया	सत्त्रारण केन्द्रीय क्षित्राम्भूम् "ग्"१०१ : भ्रम्भयन्ति । ००१ (-)	-ਹ ੜ-0ਗੇ7 5 °ਭ=ਿੱਸ ਸ	समुद्र 'स' ऋगा - पर्गितः असनुसर्ग स्थ	लायू नहीं होता (दक्) (८०९1) क्रायार के	लागू नहीं होता उन्नेगिठ :ब्रेब्ही .01 उहणान्य समाज्ञ रोण:-गणरं

1958 GI/96-2

8		9	<u> </u>	10		11
नागू नहीं होना		लागूनही होता	लागून	हीं होता - — —	प्रतिविध् वि त	। पर स्थानस्थिरण द्वारा
	12			3	 1 4	
प्रीतिनियुक्तिस पर स्थानान्सर कोन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्र		:: ।यालियों से ऐसे कार्मिक :-		ही होना	 लागृ सहीं हो	 भा
(ii) जिन्हें मुसंगत क्षेत्	त्र में कार्य करने	धारण किए हुए हैं; ग्रौर का वोवर्षका मनुभव तिखको मायु 56 वर्ष	हैं। से स्रधिक			
मंगठन/विभाग में इस	नियुक्ति से ठीक पर	केन्द्रीय सरकार के उसी य ले धारित किसी भ्रम्य रिणतया पांचवर्ष से मधि	काडर-वाह्य			
1	 -	3	4	5	6	7
9. हिन्दी अनुवादक (सहायक कमाण्डर) (श्रेणी-II)	1* (एक) (1996) *कार्यभार के भाषार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 'ग' घराज- पन्नित, घननुमन्त्रिकीय	1400-40-1600-50 2300-व . रो 60- 2600 च .	- लागू नहीं होता	लागृ नहीं १:(ना	क्षागू नहीं होता
8		9		10		
नागू मही होता		लागू नहीं होता	सागू नहीं	होता 		र स्वानान्सरण द्वारा
12			13		14	NP () (me ()) me (reme
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्त तेना या केन्द्रीय पुलिस र ऐसे योखक/गैर-पोधक ग	तंगठन/केन्द्रीय सरमा	र के कार्यालयों मे	लागृनहीं होता		लागृ महीं	होन।
(i) जो नियमित ग्राधाःग्रोर	पर सकुश वद छ।	रण किए हुए हैं,				
(ii) जिन्ह सुसंगत क्षेत्र है।	में कार्य करले का	द। वर्ष कः। धनुभव				
(iii) मावेदन प्राप्त कर वर्ष से मधिक नहीं		खाको प्रायु 56				
(प्रतिभियुक्ति की घवधि, उसी या किसी घन्य र पहले छारित किसी घ की कविष्ठ है, साधारण	तंगठन/विभाग में क न्यंकाकर-बाह्य पव	स नियुक्ति से ठीक पर प्रतिनियुक्ति				
1	. 2	3	4	5	6	7
10. दिन्दी: टाईपिस्ट (सह।यत्त भागाण्डर श्रेणी:-III)	1* (एक) (1996) *कायंभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समृह 'ग' धरोश:- पद्चित धननुसन्त्रियोग	950-20-1100- व.रो25-1500 स्	लागू नहीं होता	मागृनहीं होता	्रमागृ.चही होता
	भ्राधार पर परि- वर्तन कियाजा सफता है।					

.

		——————————————————————————————————————	TO COMMON MURE 24)	1990/412 2,191	0	171
8		9		10		11
लागुनहीं होता 		लागू नहीं होता	नाूगु	नहीं होता	प्रसिनियुवि	त पर स्थानान्तरण द्वारा
- 11			13		14	
प्रतिनियुक्ति पर स्थानाभ्त		> <u> </u>	नागूनहीं होता		लागू नहीं होत	ī
मेना या केन्द्रीय पुलिस ैंसे योधक/गैर योधक	कार्मिक :					
(1) जो नियमित माधा भौर	र पर सदृश पद ध	।रण किए हुए हैं,				
(2) जिल्हें मुसंगत क्षेत्र है।	में कार्य करने का	वो वर्णका अनुभव				
(3) आवेदन प्राप्त करने वर्ष से प्रधिक नहीं		म का भागु 56				
(प्रतिनिमुक्ति, की अविधि उदी या किसी अन्य पहले धारित किसी अ की अविधि है, साधार होगों।)	संगठन/विभाग में । ल्य काडर-बाह्य पद	स्म नियुष्टित से ठीक पर प्रतिनियुष्टित				
1	2	3	4	5	6	7
11. रं जर-I,	5776 *	साधारण केन्द्रीय सेवा,	रेंजर-I	लागू वहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
रेंजर-11 सी टी एम	(पाच हजार		975-25-1150-व.रो.			and the second
		:) पत्रित, भननुसचिर्वाय				
	(1996)		रेंजर⊹ा∏ मी टी एम	`		
	*कार्यभार के		950-20-1150 -द .र	τ.		
	भाषार पर परि-		25-1400 €.			
	वर्तन कियाजा					
	सकता है।					
, pagasahang manyambang 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -		Part Care Care				
8		9		10	·	11
लागू नही होता 		लागू नहीं होता 	लागू न			स पर स्थानान्तरण द्वा [‡]
12			13		14	r man - (am gairt fhòrn anns am gann a man barr am mar an dh' Mh
प्रतिनिध्नित पर स्थानान्त	ण		13		14	
5-4						
प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तर सेना या केन्द्रीय/राज्य पुरि		मरकार के कार्यालयों	लागृमही होता		लागू नहीं होत	11
से ऐसे योधक/गैर योध		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
(1) जो नियमित आधार धीर		रण किए हुए हैं,				
(2) जिम्हें मुगंगत क्षेत्र	में कार्य करने का	दां वर्षे भ्रमुभय				
है। (3) झावेबन प्राप्त करने	कीं संवित्र तर्र	स्बाको द्वार्थ-				
(3) भाववन प्राप्त करन र्रेजर-II, (जी.डी.)						
(जी.की.) लेलिए						
कामिक/द्रेड्समैन (सी	ंटीएम) के लिए					
मधिक नहीं होगी।						

लागू नहीं होता

लागुनहीं होता

रेंखरु11, (तं रंः) के पद के लिए उठ दर्व, रेकर-1 (जी. टंः) ोने लिए ऽः वर्ष और घन्य प्रधानन/नक्तीकृति

लागुनही होता

कार्षिक/डेड्समैन "(ग्

12		91	13	- 	14	
प्राप्त प्रशासनाम् राम् प्राप्त नियमित पर स्थानान्तर	प्रतिन्दिर्ध	गान्तर्गः नहीं होता		नागू नहीं होना		<u> </u>
प्रातानयाम्य पर स्थानान्तर संगठित लेखा विभागों से			नहा हाता		ं सागूनही होता 	ान नहीं ही ग
्तं) को निर्मापत ग्राधार		ய <u>கொ</u> ரை இ				
और	14		Е1			12
(ii) जिन्हें सुमगत क्षेत्र भव है।	में कार्य करने का द ान्हें ड्रिन गुन	रिवर्षका अनुन	मू नहीं शेला			्रा निवयन्ति पर स्थानाय
(iii) मावेधन प्राप्त करने मे श्रधिक नहीं होगी	ने को द्यानिम तारीख ।	ाको ग्रायु 56 वर्ष		ह विभागों से	पंगडन/केन्द्रीयः सरकारः वे	नना या कन्द्रीय पुणिस ऐसे कार्मिक
(प्रतिसियुनित की घनि। उसी या निसी घन्य स				किए 2प ड	र पर गद्रण पद्र धारण	(i) जें। नियमित साधा सार
पहले धारित किसी श्रन्थ की अवधि है, साधारण	प्रका डर-अल्ह्य पद प	र प्रतिनियुक्ति		-,437 (41 (42)	कृषे साथ संस्था हो द	(ii) क्रिक्टे सम्बास के सब्राहेस
				शत प्रकार कि		(iii) काबेहन प्राप्ति नर्षमे मधिक बहा
1	2	3	4			्रास्य स्थापना प्र (प्रतिस्थिति की अर्चा अ
14. म्राणुलिपि कश्रेगी-'घ'		साधारण केन्द्रीय सेवा, 1200)-30-1560-	नियुद्धि से होता नियुद्धि किस एक	मंग ठनार्दिक शास्त्र हो होत	ाः । स्टब्स्स स्टब्स्स इ.स.स. १४ - स्टब्स्स स्टब्स्स
TE MIGHT CALL A	(ए क) (1996)		रो40-204।	्यसिनियुषिते । प्रथक नही	मंगठनकिश्वास्त्रो हुन हिन्स काटर-आस्त्र पद पर रिणनया नीत नर्प में क	पज्ञेश श्राप्त विभाग है। सं चयि से से साथ
	*कार्यभार के	THE PARTY OF THE P				(+ गोप इ
8	t hene vules	rules, shall be deemed with the provisions of 9	نجدياڻ <u>ارا</u>	ers conferred by	Delhi, the 14th Au	a let our area.
8 Lacted a magagaga Ma	thene rules. -No person <u>.</u> —	with the provisions of e C. Disqualification.— (a) where have a more	1 tales Usis m	as conferred by the the solution of the solution in the soluti	xercise of the rowe	(.S.R. 348.—14 e
8 ng. or ng. or . hay episted into	there rules. -No person. ed into or conting a spouse living	with the provisions of e. Disappelification. (a) high the harm after the first of the control of	1 tales Usis m	as conferred by the the solution of the solution in the soluti	xercise of the rowe	(3.8.R. 348.—14 e 39 of the National 19 of the National caulaing the meth ne Minsay of the
8 ng, or ng, entered into c any become	there rules. -No person. ed into or conting a spouse living a spouse living maniage with	with the provisions of e. Disappelification. (a) high the harm after the first of the control of	rules Usts in Cuard 13	is conferred by the 1986 (47 of conferred by the following to Glodiffe and the country limits and Security allowal Security	xercise of the power feeth of the power feeth and color feeth and feeth	G.S.R. 348.—Id e 34 of the Nutronal lynford help 1959 (No egulating the meth he Minwary of the namely:
8 ng. or naff क्रिक्स	there rules. No person. ed into or conting a spouse living as spouse living marriage with a spousinger to an anominger to anomin	with the provisions of e. Disqualification. (a) high to be a per on having the contracted a final he eligible for an energial provided the final energial for an energial is pernormal to the energial is pernormal to the energial is pernormal to the energial is pernormal energial en	्राधाः स्वाद्यान्य स्वाद्यान्य वर्षाम्यस्य होताः विस्तार्थ	is conferred by cenferred by cet 1986, 617 of central to Glodiffe in innal Security. IT) These rules alational Security 996.	xercise of the power Security Chard Agent hereby make of of frecutiment forme Affairs Number Commencement of Honga Affairs? Commencement Rules. 1	(7.S.R. 348—14 e.m. 14 e.m. 16 e.m. 16 e.m. 16 e.m. 16 e.m. 16 e.m. 17 e.m. 17 e.m. 17 e.m. 17 e.m. 17 e.m. 18 e.m. 17 e.m. 18
8 nracced a margergay phy i. has entered into c any berson. Or of the special fortish The array entires senting ne personal payage for phil	there rules. No person. of into or conting a spouse living a spouse living mentage with a spouse living spointment to a shift (Histolic under in the other particular, Reforeprotes to the other particular, the other par	eville the provisions of the provisions of the contraction. (a) harders have a person having the contracted a find the contracted	olung to stand Cumud 13 and you होता विकास duar d pub-	conferred by conferred by ct. 1986, cd7 of cf. cf. cf. cf. cf. cf. cf. cf. cf. cf	xercise of the power feeth treat of the power feeth make of the power feeth treatment of Honis feeth feeth find force on the content force on the feeth. These rules shall a feeth f	G.S.R. 348.—14 e 19. of the Neutronal 19. of Repliffus 528/cB 20. of the melin 1. Short title and 1. Short title and 21. of the Ministry 3. of the Ministry 4.
8 गयः विद्या सामिन्न मुक्क मिन्न विद्या स्थान कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण	Howe rules. -No person. ng a spouse living a spouse living marriage with a - pointmpn to a is shie under it rosishe under it this rule. to be recorded to be recorded	with the provisions of (a. Disappellitation	rules this in Countd Tay be vices ir pub- trape collect the colle	conferred by conferred by the conferred by the collowing conferred by the conferred by the conferred by the dete of the mexet to these mexet to these and scale of pand the scales	xercise of the power feeth treat of the power feeth make of the power feeth treatment of Hong fattains and Gazette. These rules shall a of the Schedule are classification had be as specific	(7.S.R. 348.—14 epper of the Nettornal Park Inc. Nettornal Park In
हिंद्य के सिंद्या के	Howe rules. -No person. cd into or conting a spouse livia a spouse living this rule. this rule. to seessary or expure spouse spouse living to be recorded me living of living in the living living in living of living of living in living of l	with the provisions of (a) Disqualitation (a) Provision distribution (b) who, having contracted a contracted a final lee eligible for an each marriage is pernaled in the consultation of the operation of the operation of the operation of the provision of	Tules 10 10 10 10 10 10 10 1	conferred by the conferred by to Cloud the collowing the country the detect of the date of the collowing and the scales of particles of the collowing the collowing and the scales of particles of the collowing the collowing and the scales of the collowing and the scales of the collowing and the collowing and the collowing and collowing and collowing and the collowing and collowing and the collowing and collowing and the collowing and	xercise of the power format / Security Chard / Security Commencement / Security Commencement / Security Commencement / Security Chareffe. These rules shall a of the Schedule at their classification in the security or specification of the continuent. The chart format is specification in the continuent.	(J.S.R. 348.—14 c) 34 of the Nutronal 15 of the Nutronal 16 of the melh 17 of the melh 18 of the melh 28 ort utle and 39 of the Vinistry 31 of the Office 32 of the Office 33 of the Column of the 34 of the said schedule 35 of the said schedule 36 of the said schedule
8 गया है जिल्ला क्रिक्स क्रिक	Howe rules. -No person. cd into or conting a spouse livia a spouse living this rule. this rule. to seessary or expure spouse spouse living to be recorded me living of living in the living living in living of living of living in living of l	with the provisions of (a. Disangultanion	rules Guard Guard F1 Chard be Guard Infa in pub- these The The Chard Infa Lice Lice A other of pay d other nules	conferred by the conferred by to conferred by the collowing country conferred by the confer	xercise of the power Security Cuard Agent Incept hereby make of of recruitment for the commencement.— 4.1 4.1 commencement.— commencement.— continent Rules, 1 and Gazette. of the Schedule at the Schedule at the Schedule at the classification their classification at the continuent. The continuent are limit the cross shall be as specification at the cross shall be as specification and the cross shall be as specification and specification are per council second and second accordance and second accordance are council second and accordance are considered.	(J.S.R. 348—14 epper of the Nittornal Part of Her Nittornal Part of Pa
8 गया कराइ के अमिन्न क्रिक्स क्रिस्स क्रिस	Howe rules. -No person. cd into or conting a spouse livia a spouse living this rule. this rule. to seessary or expure spouse spouse living to be recorded me living of living in the living living in living of living of living in living of l	with the provisions of (a. Disangultanion	Tules 10 10 10 10 10 10 10 1	conferred by the conferred by to conferred by the collowing country conferred by the confer	xercise of the power Security Cuard Agent Incept hereby make of of recruitment for the commencement.— 4.1 4.1 commencement.— commencement.— continent Rules, 1 and Gazette. of the Schedule at the Schedule at the Schedule at the classification their classification at the continuent. The continuent are limit the cross shall be as specification at the cross shall be as specification and the cross shall be as specification and specification are per council second and second accordance and second accordance are council second and accordance are considered.	G.S.R. 348.—14 et 149. de 146.
8 गया कराइ के अमिन्न क्रिक्स क्रिस्स क्रिस	Howe rules. -No person. cd into or conting a spouse livia a spouse living this rule. this rule. to seessary or expure spouse spouse living to be recorded me living of living in the living living in living of living of living in living of l	with the provisions of (a. Disangultanion	rules Guard Guard F1 Chard be Guard Infa in pub- these The The Chard Infa Lice Lice A other of pay d other nules	conferred by the conferred by to conferred by the collowing country conferred by the confer	xercise of the power Security Cuard Agent Incept hereby make of of recruitment for the commencement.— 4.1 4.1 commencement.— commencement.— continent Rules, 1 and Gazette. of the Schedule at the Schedule at the Schedule at the classification their classification at the continuent. The continuent are limit the cross shall be as specification at the cross shall be as specification and the cross shall be as specification and specification are per council second and second accordance and second accordance are council second and accordance are considered.	C.S.R. 348.—Id epither historial per file historial per file historial histo
हें कि कुल के कि	Howe ruley. No person. ng a spouse living a spouse living marriage with a strong round of the collection of this rule. This rule. 1 This rule. 2 This rule. 1 This rule. 1 This rule. 2 This rule. 3 This rule. 3 This rule. 4 This rule. 1 This rule. 1 This rule. 1 This rule. 2 This rule. 2 **Cryice.(FIF)(G) 3) **** **** **** **** **** ***	with the provisions of a personal control of the provision of a person having the provision of the provisio	1 rules 10 cs 10	conferred by to conferred by to conferred by to Cloud to Cloud to Cloud to Cloud to Cloud to the pour and the scales of and the scales of a commencement on deputations as a pecifications and seales of a commencement on deputations as a pecification of the commencement of the confighty five confighty five of the confight of the con	xercise of the power feeth treat of the power feeth make of the power of the power of the feeth	(J.S.R. 348.—14 epoch of the Mittornal of Participal Operation of the method the method in the Ministry of the Alinistry of the Salide the Alinistry of the Salide of the Office of the Office of the Salide of the Salide of the Salide of the Salide of the Matters relating to the method of recommendation of the Matters relating to the Alinistry of the

718 THE GAZETTE C	F INDIA: AUGUS	r 24, 1996/BHADRA	(1) [PART II—SEC. 3(1)]
8	9	10	11
लाग नहीं होता	लागूनहीं हीता	लागूनहीं होता	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण ग्रारा
12		13	14
प्रितिनियुक्ति पर स्यानान्तरण : सेना या केन्द्रीय पुलिस संगठन/केन्द्रीय सरका ऐसे कार्मिक : (i) जो नियमित ब्राधार पर सद्बा पद ध और (ii) जिन्हें सुसंगत क्षेत्र में कार्य करने क	रण किए हुए हैं,	िं होता	सागू नहीं होता
भव है। (iii) भ्रासेदन प्राप्त करने की अंतिम तार्ग वर्ष से भ्राधिक नहीं होगी।	खाको द्यायु 56		
(प्रतिनियुक्ति की भविष्ठ, जिसके अंतर्गत के उसी या किसी भ्रन्य संगठन/विभाग से प पहले धारित किसी भ्रन्य काडर-बाह्य पद की भविष्ठ है, साधारणतया तीन वर्ष होगी ।)	इस नियुक्ति से ठीक पर प्रतिनियुक्ति		

[सं. ए- 14011/3/85-रामुगा/पर्स-III] रंजीत विजानी, \$स्क भधिकारी (कार्मिक-III)

New Delhi, the 14th August, 1996

G.S.R. 348.—In exercise of the powers conferred by section 139 of the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Ministry of Home Affairs, National Security Guard, namely :-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Security Guard Group 'C' posts Recruitment Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.-These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to these posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
- 5. Initial constitution.—Personnel on deputation in the National Security Guard, before the commencement of these

rules, shall be deemed to have been recruited in accordance with the provisions of these rules.

- 6. Disqualification .-- No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Nmc of Post	No. of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Assistant Commander (GD) Grade-I/II	585* (Five hundred and eighty five) (1996)	General Central Service, Group-'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Gde-I Rs.2000-60-2300 EB-75-3200 Gde-II. 1640-60-2600- EB-75-2900
*Subject to variation depo	endent on workload.		

Whether Selection Post or non-selection Post	Age limit for direct re	admi	ether benefit of added years of Service ssible under rule 30 of the CCS (Pen- Rules, 1972
(5)	(6)		(7)
Not applicable	Not applicable	Not a	applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotecs	Period of probatio	on if any Method of recruitment whether by direct recuitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacanciest o be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
In case of rectt by promotion/deputation//transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made		If DPC exists who is its Composition	*********
(12)		(13)	(14)
Transfer on deputation—Con of Army of Central/State Pol	lice Organisation.	pplicable	Not applicable
(ii) Holding analogous post basis with.			
(ii) 2 years working experience field.	ce in the relevant.		
(iii) Age not exceeding 40 yearing date of receipt of app			
(Period of deputation inclu deputation in another ex- immediately preceding this the same or some other org ment of the Central Go ordinarily not to exceed	-cadre post held s appointment in ganisation/depart- overnment (shall		
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Assistant Commander (Communication) Gde-I/II/II	*158 (One hundred & fifty I eight) (1996)	General Central Se Group 'C', Non-C Non-Ministerial	

eight) (1996)

Not appficable

/forthird to variation

dependen on work-

-- (Communication) Gde-L/II/III

By transfer on deputation

(11)

75-3200.

Gde.II Rs.

EB-40-2046 toW

75-2900. <u>Gde-III</u>

1640-60-2600-11B (8)

<u> 1320-30-15</u>60-

Group 'C', Non-Gazetted.

Not applicable

Neu-Minist**egi**al

(12)(14)(13)Transfer on deputation :- Combatised person-Not applicable Not applicable nel from Army Medical Corps or Central/ State Police Organisation/Central Govt. Offices: (i) holding analogous posts on a regular basis with 2 years working experience in the relevant field. (ii) Age not exceeding 48 years as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 05 years) (1) (2) (3) (4) 4. Assistant Commander 13 *(Thirteen) 1996 General Central Service Gde-I Rs. 2000-60-2300-EB-(Motor Mechanic/Transport) Group 'C', No.1-Gazetted 75-3200. Gde-II Rs. +640-60-2600 -EB-Gde-I/II Non-Ministerial 75-2900 *Subject to variation dependent on work load. (5) (6)(7) $\cdot (8)$ Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable (9) (10)(11)No: applicable Not applicable By transfer on deputation, (12)(13)(14)Transfer on deputation: -- Combatised person-Not applicable Not applicable nel from Army of Central/State Police Organisations: (i) holding analogous posts on a regular basis with 2 years working experience in the relevant field. (ii) Age not exceeding 40 years as on the closing date of receipt of applications. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 05 years). 1098 GI/96-3

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Assistant Commander (Draughtman) Grade-I/II *Subject to variation depe	3 *(Three) 1996	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-ministrial	
- Tubles to variation to depe			
(5)	((6)	7)
Not applicable	Not ap	plicable Not a	applicable
(8) M	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.
(12)		(13)	(14)
(iii) Age not exceeding 40 closing date of receipt. Period of deputation inclutation in another ex-cade tely preceding this appoint or some other organishe Central Government to exceed 5 years.	of applications. ding period of depu- re post held immedia- ntment in the same isation/department of shall ordinarily		
(1)	(2)	(3)	(4)
6. Assistant Commander (Instructor) Grade-I/II	*75 (Seventy five) 1996	General Central Serivce, Group 'C', Non-Gazette Non-Ministerial	
*Suject to va	riation dependent on work	c load.	
(5)	((5)	(7)
Not applicable	Not app	licable	Not applicable
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.

	(12)	(13)	(14)
from Army or Cent tion— (i) holding analogou	on: Combatised personnel ral/State Police Organisa- us posts on a regular basis	Not applicable	Not applicable
with (ii) 2 years working field.	experience in the relevant		
(iii) Age not exceedi	ng 40 years as on the ceipt of applications.		
(Period of deputation deputation in and immediately prece the same or some	on including period of other ex-cadre post held ding this appointment in other organisation/depart-tral Government shall		
(1)	(2)	(3)	(4)
7. Assistant Comman	nder 279 *(Two hundred &	General Central Service C	Froup Gdr-I Rs. 2000-60-2300-EB-
Clerical/PAs Stenogr Gde-I/II/III	rapher seventy nine) (1996) *Subject to variation dependent on worklo	'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial,	75-3200. Gde-II Rs. 1640-60-2600-EB 75-2900. Gde-III Rs. 1320-30-1560-EB- 40-2040
(5)		(6)	(7)
Not applicable		Not applicable	Not applicable
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
(12)		(13)	(14)
Combatised person Police Organisatio (i) holding analogou with	on: — Combatised /Non- nnel of Army or Central n/Central Govt. Offices— s posts on a regular basis experience in the relevant	Not applicable	Not applicable
field. (iii) Age not exceed closing date of re (Period of deputation in anotimmediately precein the same or s	ing 56 years as on the eccipt of applications. on including period of ther ex-cadre post held eding this appointment ome other Organisation/Central Government shall		
(1)	(2)	(3)	(4)
8. Assistant Commar (Librarian) Grade-II	nder 1* (One) 1996 o variation dependent on	General Central Service, Group 'C', Non-Gazette Non-Ministerial workload	
(5)		(6)	Not applicable
Not applicable		Not applicable	Not applicable
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.

(12)		· —————	(13)		(14)		
Transfer on deputation:— Central Police Organisa Offices—	tion/Central Gov	√t.	able	No	Not applicable		
(i) holding analogous post with.	s on a regular basi	s,					
(ii) 2 years working experfield.	ience in the releva	nt					
(iii) Age not exceeding 56 ing date of receipt of	years as on the cl	os-					
(period of deputation in deputation in another of immediately proceeding the the same or some oth partment of the Central ordinarily not to exce	cluding period of ex-cadre post held is appointment in her Organisation/of Government sha	i the le-					
	(2)		(3)		(4)		
9. Hindi Translator (Assistant Commander Grade-II)	1* (One) 1996	'C', N Minist	Central Sorvice on-Gazetted, I erial.		ks. 1400-40-1600 60-2600.)-50-2300-EB	
(5)	_,		(6)		(7)		
Not applicable		Not applicat	<u> </u>	Not	Not applicable		
			(10) (11)		(11)		
Not applicable	Not applicable	Not ap	plicable	By t	ransfer on dep	utation.	
(12)		(13)			4)	
Transfer on deputation: Combatised/Non-Combatis Army or Central Police tral Govt. offices— (i) holding analogous passis, with (ii) working experience in for 2 years. (iii) Age not exceeding 5 closing date of receip Period of deputation includation in another ex-cad diately preceding this a same or some other Orga of the Central Government to exceed 5 years.)	c Organisation/Ce posts on a regul in the relevant field of years as on the tofapplications. ding period of dep re post held imman ppointment in the inisation/departme	m n- ar d ne u- e- ne nt	os applicable		Not	applicable	
				 	· · · ·		
1	1#(0:)	Somewall Control	Do 050 20	<u>5</u>	6 	7	
10. Hindi Typist (Assistant Commander Grade. III)	1996 S *Subject to ' variation G dependent N	General Central Service Greup C', Non- Gazetted, Non-Minis- Serial	Rs. 950-20- 1150-EB-25- 1500	Not applicable	Not applicable	Not applicable	
							
			10				

				
(12)	·		(13) (14)	
Transfer on deputation Combatised/Non-combatised Organication/Central Gov (i) holding analogous pos (ii) working experience in	rt. offices— ts on a regular bas	rmy or Central Police	pplicable Not applicable	
(i.i) Age not exceeding 56 applications				
(Period of deputation included cadre post held immediate or some other organisations shall ordinarily not to ex	ly preceding this ap	pointment in the same		
(1)	(2)	(3)	(4)	
11. Ranger-I, Ranger-II CTMs	*5776 (Five thousand Seven hundred seventy six) (1996) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rgr. 1 Rs. 975-25-1150-EB-30-1660. Rgr. II/CTM Rs. 950-20-1150-EB-25-1400.	
(5)		(6)	(7)	
Not appleable		Not applicable	No: applicable	
(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	
(12)		(13)	(14)	
Transfer on deputation:		Not applicable	Not applicable	
Combatised/Non-combatised Army or Central/State Polices— (i) holding analogous postasis, with. (ii) working experience in for 2 years. (iii) Age not exceeding 30 yof Ranger-H(GD), 38 I (GD) and 45 years for Technical personnel/Teas on the closing date lications.) (Period of deputation inclusions.)	its on a regular the relevant field. years for the post years for Ranger- or other Adm./ radesmen (CTMs), of receipt of app-			
deputation in another ex immediately preceding the in the same or some other department of the Centra shall ordinarily not to ex	-cadre post held is appointment or organisation/ il Government			
	(2)	(3)	(4)	
12. Assistant Accounts Officers *Subject to variation deper	(1996)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900.	
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not appl		applicable	

1726 THE GAZETT	E OF INDIA: A	UGUST 24, 1996/PHADRA 2,	1918 [PART II—SEC. 3(1)
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
(12)		(13)	(14)
Transfer on deputation: Personnel from Origansied A	Accounts depart-	Not applicable	Not applicable
(i) holding analogous po basis, with	sts on a regular		
(ii) working experience in for 2 years.	the relevant field		
(iii) Age not exceeding 56 closing date of receipt			
(Period of deputation inch deputation in another ex immediately preceding t in the same or some oth department of the Centus shall ordinarily not to ex	x-cadre post held his appointment her Organisation/ ral Government		,
(1)	(2)	(3)	(4)
13. Senior Accountant/Accountant	*10 (Ten) (1996) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Sr. Acett. Rs. 1400-40-1660-50- 2300-EB-60-2600. Acett. Rs. 1200-30-1560-EB- 40-2040.
(5)		(6)	(7)
Not applicable		Not applicable	Not applicable
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	No applicable	Not applicable	By transfer on deputation.
(12)		(13)	(14)
Transfer on deputation: Personnel from Organised Accounts departments—		Not applicable.	Not applicable.
(i) holding analogous pos basis, with	sts on a regular	•	
(ii) working experience in for 2 years.	the relevant field		

12			1 - 1
(iii) Age not exceeding 56 closing receipt of appl			
(Period of deputation includeputation in another eximmediately preceding the in the same or some other tion/department of the Coment shall ordinarily no	-cadre post held his appointment er Organisa- Central Govern-		
(1)	(2)	(3)	(4)
14. Stenographer Grade-'D'.	*I (One) (1996) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.
(5)	(6)	(7)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputa- tion.
(12)		(13)	(14)
Transfer on deputation; Personnel from Army or Cersation/Central Government	t departments—	Not applicable	Not applicable
(i) holding analogous po basis, with	sts on a regular		
(ii) working experience in for 2 years.	the relevant field		
(iii) Age not exceeding 56 closing date of receipt			
(Period of deputation include deputation in another eximmediately preceding to in the same or some other department of the Centreshall ordinarily not to exceed	x-cadre post held his appointment er Organisation/ al Government		
(1)	(2)	(3)	(4)
15. Lower Division Clerk	*7 (Seven) (1996) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 950-20-1150-FB-25-1500.

(5))	(6)	(7)
Not applicable. Not ap		ble. N	ot applicable.
(8)	(9)	(11)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputa-
(1)	2)	(13)	(14)
nisation/Central Go	on: or Central Police Orga- overnment Departments—		

- (i) holding analogous posts on a regular basis.
- (ii) working experience in the relevant field for 2 years.
- (iii) age not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.)

[No. A-14011/3/85-NSG-Pers-II] RANJIT BIJANI, Desk Officer (Pers-III]

वित्त मंस्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 भ्रगस्त, 1996

सा.का.नि.349---राष्ट्रपति संविधान के प्रमुच्छेद 309के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, सीमाशृष्क, उत्पादशुरक और स्वर्ण (नियंक्षण) प्रपील प्रश्चिकरण (समूह क और समूह खपद) भर्ती नियम, 1987का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रर्थात् :---

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा-शुल्क, उत्पाद-गुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) श्रपील श्रधिकरण (समृह : ग्रीर समृह खपद) भर्ती संगोधन नियम, 1996 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकालम की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण (समूह क और समृह खपद) भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची में निजी सिचव के पद से संबंधित क्रम मं. 6 और उसमे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित रखा जायेगा, श्रर्थान् :--

			ग्रन्स्ची				
पद का ग्तम	पदों की गं ख् या	बर्गीक्रग्ण	वेतनमान	चयन पद ग्रथवा श्रचयन पद		भर्ती किये जाने वाले तयों के लिये ग्रायु सीमा	सेवा में जे गये वर्षी फायदा केन्द्रीय सिविल से (पेंगन) नियम, 1972 वे नियम 36 के प्रधीन प्रानुजेय है या नहीं
1	2	3	4		5	6	7
6. निजी सचिव	22* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्नित भ्राननुसचिवीय	2000-60- 2300-द०रो 75-3200- 3500 ह		चय ⁻	लागृ न हीं हो ता	लागू न हीं हो न
	_						
प्रपेक्षित गैक्षिक अ	7	विहित ग्रायु ग्रीर	ाने वाले व्यक्तियों वे : शैक्षिक ग्रहैताएं प्रोक् इशा में लागू होगी	न्न त	परित्री	क्षा की श्रवधि, यदि कोई	हो
प्रपेक्षित गैक्षिक अ		विहित ग्रायु ग्रीर	भौक्षिक श्रहैताएँ प्रो	न्न त	· ·	क्षा की श्रवधि, यदि कोई 10 ति व्यक्तियों के लिये 2 व	
प्रपेक्षित गैक्षिक अं नागू नही होता —————————— तर्ती को पद्धति : तिनियुक्ति/स्थाना	रि ग्रन्थ ग्रहेताएं 8 : भर्ती सीधे होगी या	विहित भ्राय भीर व्यक्तियों की लागू नहीं होता प्रोन्नति द्वारा या विभिन्न पद्धतियों द्वा	भौक्षिक ग्रहैताएं प्रोक् इसा में लागू होगी 9 प्रोन्नित/प्रि	न्तनं या नहीं —————— तेनियुक्ति/स्थ	प्रोन्न नान्तरण	10	দ্

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के श्रधीन ऐसे ग्रधिकारी:—

- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किमे हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने 2000-3200 र. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है, श्रीर
- (ख) जिनके पास श्रामुलिपिक कार्य (हिन्दी/श्रंग्रेजी) में पांच वर्ष का श्रन्भव है।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रिधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पान्न नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त क्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पान्न नहीं होंगे ।
- प्रतिनियुक्ति की अविधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडरबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से श्रधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये श्रधिकतम श्रायु-सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नांत सांचांत है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघलोक सेवा ग्रायोग से परामर्श किया जायेगा

13

14

प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिये समृह ख विभागीय प्रोन्नित समिति

 उपाध्यक्ष, सीमा-मृल्क उत्पादक-मृल्क श्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) श्रपील अधिकरण जो सीमा-मृल्क उत्पाद-मृल्क श्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) श्रपील अधिकरण

के प्रध्यक्ष द्वारा नामनिधिष्ट किया जायेगा---प्रध्यक्ष

- 2. सदस्य, सीमा-गुल्क उत्पादक-गुल्क ग्रीर स्वर्ग (नियंत्रण) अपील श्रधिकरण जो सीमा-गुल्क, उत्पाद-गुल्क ग्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रपील ग्रधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा —सदस्य
- 3. रजिस्ट्रार, सीमा-शुल्क उत्पाद-शुल्क और स्वर्ग (नियंत्रण) अपील श्रीधकरण ——सदस्य

संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श करना भ्रावस्थक है जब भ्रन्य व्यक्तियों के साथ कोई श्रधिकारी स्थानान्तरण के श्राधार पर नियुक्ति के लिये विचार क्षेत्र के भोतर हो।

> [सं. 13/96-सं. 27/40/94-प्रशा. 1ग] स्नील अरोडा, डेस्क अधिकारी

िटपण : मूल नियम, भारत के राजपन्न, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) नारीख 2-- 4-87 में मा. চা. নি. 367(য়) में प्रकाणित ियोगये थे। उनमें पश्चात्मकों निम्नलिखित द्वारा संगोधित किया गया है:----

- (1) सा.का.नि. 399(ग्र) तारीख 30-3-1988
- (2) सा.का.नि. 837(ग्र) नारीख 5-12-1994

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

New Delhi, the 5th August, 1996

G.S.R. 349.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group A and B Posts) Recruitment Rules, 1987, namely:—

- 1. (1) These Rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group A and B Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group A and B Posts) Recruitment Rules, 1987, for serial number 6 relating to the post of Private Secretary and entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classific	Classification Sc		cale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
6. Private Secretary	22* (1996) *Subject to variation dependent upon workload.		Central Ser B Gazette al.		Rs. 2000-60-2300-EB-7 100-3500.	75-3200- Selection
Age limit for direct recruits	Whether beradded years vice admissil rule 30 of th Civil Service sion) Rules,	of ser- ble under e Central (Pen-	_	nal and alifications for direct	Whether age and ectional qualifications scribed for direct recwill apply in the cas promotees	pre- if any ruits
(6)	(7)		(8)	-	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applica	ble	Not Applicable		Not Applicable	2 years for promotees
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of remotion/depugrades from deputation/t	utation/tra which pr	ransfer, Committee promotion/ composit		artmental Promotion tee exists what is its tion	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making re- cruitments
(11)		(12)			(13)	(14)
50% Promotion failing which by transfer on deputation. 50% Transfer on deputation/transfer.	'C') in the Rs. 1400-; regular se Note: Whe completed	ers Grade e pay scale 2600 with rvice in the ere juniors I their qua	Group tion Co pay scale of 600 with 8 years vice in the grade. e juniors who have their qualifying/ Group tion Co 1. Vice Excitation Appear ed b		B Departmental Promonmittee for promotion President of Customs, e and Gold (Control) llate Tribunal nominate the President, Custer, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal—Chairman	Union Public Service Commission necessary when an officer among others is in the field of consideration for ap- pointment on transfer basis.

(12)

(13)

(14)

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

Transfer on deputation: Officers under the Central Government:

- (i) Holding analogous posts on regular basis;
 - (ii) with two years' regular service in posts in the the scale of Rs. 2000-3200 or equivalent; and
- (b) Possessing five years experience in stenographic work (Hindi/English).

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

- 2. Member of the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal nominated by the President, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal-Member.
- 3. Registrar, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal-Member.

[No. 13/96(F. No.27/40/94-Ad. IC)]

Foot Note: The principal rules were published in part-II Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India in the issue date 02-04-87 with G.S.R. No. 367(E).

Subsequently amended by:

- (i) GSR 399E dated 30-03-88.
- (ii) GSR 837E dated 05-12-94.

SUNIL ARORA, Desk Officer

(म्रापिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 घगस्त 1996

का.पा. ति. 350 :--केन्द्रीय सरकार थिदेशी मुद्रास विनियमन प्रधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदल प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, मारत सरकार के धार्थिक कार्य विमाग की धिधमूचना सा.का नि. 78 तारीख 1-1-1974 का निम्नलिखित मक्षोधन करती है, प्रथीत्:---

उत्तर श्रीद्यसूचना मे, खंड (3) के पश्चात् परस्पुक (छ) में, निस्नि, श्रीवत जोड़ा आएगा, अर्थात् :--

- "(4) प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए घायाति प्रेषण अपर्ते कि :
- (1) विदेशी मद्रा का वहिंगमन न हो भीर भाषात प्रचलिन निर्मात-प्रायात नीम के उपबन्धों के भ्रमुलार अर्थात
- (॥) प्रज्ञकार प्रवर्शनी माल के श्रामाध के समय विकार अश्विक के समक्ष एक अध्यनअध्य निष्पादित करेगा जो पुनः निर्मात पर लिजीत किया जा सकेगा। यदि प्रदर्शनी केदौरान माल विक काला है तो पक्षकार सोमा गुल्क की संदाय का प्रदर्शने के लिए दस्सावेजी सतक्य, प्रस्तुत करेगा ग्रीर
- (5) विदेश में नभूनों का निर्याल, समार्ते कि नसूने नि.शुल्क प्रदत्त किए जाते है।

[फा. मं. 19/2/85--सी. प्रार्थ ६. (1)] मनाव कृतार, संयुक्त सविज

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 12th August, 1996

G.S.R. 350.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 18 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of Government of India. Department of Economic Affairs vide G.S.R. (78) dated 1-1-1974, namely:—

In the said notification, in the proviso (g), after clause (1), the following shall be added, namely:—

"(iv) The consignments imported for participation in exhibitions provided that:

- there would be no outflow of foreign exchange and import is as per the provisions of Export Import Policy in vogue;
- (2) the party will execute an undertaking with the Development Commissioner at the time of import of exhibition goods and the same may be cancelled on re-export. In case of sale of goods during exhibitions party will produce documentary evidence to show payment of customs duty; and
- (v) Export of samples abroad provided the samples are supplied free of charge."

[F. No. 19(2)/95-CIE(1)] SANTOSH KUMAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि ग्रौर सहक।रिता विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

- सा.का.नि. 351 .—राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रिवि मंत्रालय (क्रुवि श्रौर सहकारिता विभाग) में ज्येष्ठ पुस्तकालय श्रौर सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रयात्:——
- 1. संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि ग्रीर सहकारिता विभाग, ज्येष्ट पस्तकालय ग्रीर सुचना सहायक भर्ती नियम, 1996 है।
 - (2) येराजपन्न में प्रकाशन की तारीख की प्रवृक्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्शीकरण भौर वेतनमान : उन्त पद की संख्या, उसका वेतनमान भौर वर्षीकरण वह होता, जो इन नियमों से उपावड भ्रमुस्ची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विविद्धिः है।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, म्रर्हताएं मादि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, म्रर्हताएं भौर उससे संबंधित भ्रन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त मनुभूची के संतम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिधिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किथा है; या
 - (ख) जिसने प्रपने पति या भ्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भीर विवाह के भ्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के मधीन मनुक्रेय है और ऐसा करने के लिये मन्य माधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट वे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भ्रावश्यक या समीचीन है, बहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्गया प्रवर्ग के व्यक्तियों न्नी बाबत, श्रादेण द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन निथमों की कोई बात, ऐसे ग्रारक्षण श्रायु-सीमा में छुट ग्रौर ग्रन्थ रियायतों पर प्रभाव नहीं डालगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गर्ये श्रादेशों के श्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, ग्रनुसूचित जनजातियों • भूतपूर्व सैनिकों ग्रौर ग्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना श्रपेक्षित है।

पद्य का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर्द अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये ग्रायु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिवल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के भ्रष्ठीन श्रनुक्रेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ पुस्तकालय भौर सूचना सहायक	1* (1996) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्नित, श्रननुसचिवीय	1640-60- 2600-इ.से 75-2900 ह.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से भ्रधिक नहीं	लागू नही होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये भ्रपेक्षित शैक्षिक भ्रौर भ्रन्य श्रर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित स्नायु स्रौर शैक्षिक स्नर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नही	परिवीक्षा की श्रवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पढ़ित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पढ़ितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतना प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानास्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणयो जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानाकारण किया गर्येगा ।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण
1640-2900 रु. के वेतनमान में इस पद के उन्नयन से पूर्व
1400-2600 रु. के वेतनमान में ऐसे पुस्तकालय और
सूचना सहायक (जिसे ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना
सहायक के रूप में पदाभिहित किया गया है) के पद के
नियमित धारक की उन्मत पद पर नियुक्ति के लिये
उपयुक्तता का निर्धारण प्रारम्भ में विभागीय प्रोन्तित समिति
द्वारा किया जायेगा। यदि उसे उपयुक्त निर्धारित किया जाता
है तो उसे ब्रारम्भिक गठन के समय पद पर नियुक्त किया
गया समझा जायेगा। यदि उसे उन्नत वेतनमान में नियुक्ति
के लिये उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता है तो वह
1400-2600 रु. के नियमान में निरन्तर बना रहेगा और
उसके मामले का प्रत्येक वर्ष प्नविलोकन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के प्रधीन ऐसे प्रधिकारी :---

- (क) (1) जो नियमित स्राधार पर सद्दश पद धारण किये हुए हैं; या
- (2) जिन्होंने 1400-2300/2600 क. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक मह्ता और म्रनुभव है; —
- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुह्य ।
- (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संज्यान से पुस्तकालय विज्ञान में वैद्यलर की डिग्री या समतुल्य जिलोगा या समतुल्य।
- म वचलर का अध्या या समतुल्या उन्नाति या समतुल्य। (3) दो वर्ष का वृत्तिक धनभय।

(प्रतिनियुक्ति की श्रविध, जिसके श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडर-बाह् य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से श्रिधक नहीं होगी । (प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्था-नान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये श्रिधिकतम श्रायु-सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रिधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श किया जायेगा ।

13

14

समूह "ख्र" विभागीय प्रोन्नति समिति :

- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)--- प्रध्यक्ष
- 2. निदेशक/उप-सचिव (कार्मिक)---सदस्य
- 3. उप-सचिव (साधारण प्रशासन)—सदस्य
- 4. श्रवर सचिव (प्रशा .- 3)---सदस्य

संघ लोक सेवा श्रायोग से उस समय परामर्श करना श्रावश्यक है जब कोई अधिकारी स्थानान्तरण के श्राधार पर नियुक्ति के लिये विचार करने के क्षेत्र में हैं।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
New Delhi, the 26th July, 1996

G.S.R. 351.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Library and Information Assistant in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Senior Library and Information Assistant Recruitment Rules, 1996.

[सं. 12018/4/94-स्था.-4] वि. एस. ठकराल, भ्रवर समिव

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of the posts, its classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule as aforesaid.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that if necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consulta-

tion with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts			ale of pay	Whether selection post or non-selection post	
1.	2.	3.		4.	5.	
Senior Library and Information Assistant	*1 (1996) *Subject to variation dependent of workload.	General Central S Group 'B' Non ted, Non-minis	n-gazet-	. (1640-60-2600- EB-75-2900).	Not applicable.	
Age limit for direct recru	years of se under rule	rvice admissible 30 of the Central ces (Pension)	Educational qualification direct recrui	is required for	Whether age and educa- tional qualification pre- scribed for direct recruit will apply in the case of promotees	
6.	7i		8.		9.	
Not Exceeding 30 years.	Not applic	Not applicable. Not a		applicable. Not applicable.		
Period of probation if any	recruitment of tation/transfe	cruitment whether or by promotion or and percentage ed by various met	or by depu- of the vacan-	deputation/tra	ecruit nent by promotion/ nsfer grades from which pr- tion/transfer is to be made	
10.		11.			12.	
Not applicable.	NOTE; The of the post of Assistant (subrary and the scale of gradation of Rs. 1640-25	Depuration/Transfigure suitability of regular Library and Information Assistant Properties 1400-2600 proof this post in the 1900 will be initially appointment to	lar holder rmation as Senior sistant) in ior to up- scale of y assessed	Officers under (a) (i) Holdi regular (ii) With pay so or equ (b) Possessing	eputation/Transfer: the Central Govt. — ing analogous posts on a basis; or 5 years regular service in the cale of Rs. 1400-2300/2600 nivalent; and the Educational Qualifica- xperience as under; —	

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by Transfer on Deputation/Transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

ment on transfer basis.

Group 'B' DPC

- 1. Joint Secretary (Admn.)—Chairman.
- 2. Director/Deputy Secretary (Personnel)—Member
- 3. Deputy Secretary (Gen. Admn.)—Member
- 4. Under Secretary (Admn. III)-Member

Consultation with the UPSC necessary when an officer is in the field of consideration for appoint-

[No. 12018/4/94-E. IV] V. S. THAKRAL, Under Secy.

कृषि मंद्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विकाग) नई दिल्ली, 12 भगस्त, 1996

मा.का. ति. 352 --- राष्ट्रपति, संविधान के अनुस्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त मिक्सियों का प्रशोग करते हुए और (i) वनस्पति संरक्षण, संगरोध भौर संचयन निवेशालय (सूक्ष्म जीव विज्ञानी) भर्ती नियम, 1975(ii) वनस्पति संरक्षण, संगरोध भौर संचयन निवेशालय समृह "क" और समृह "ख" तकनीकी पद (भर्ती) नियम, 198 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वनस्पति रोग विज्ञानी के पद से हैं, (iii) वनस्पति संरक्षण संगरोध और संचयन निवेशालय (किनष्ठ वायरस विज्ञानी) भर्ती नियम, 1976 और (iv) वनस्पति संरक्षण, संगरोध और सचयन निवेशालय (तकनीकी राजपितत पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध किनष्ठ वनस्पति रोग विज्ञानी के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निवेशालय में उप निवेशक (वनस्पति रोग विज्ञान-प्रशिक्षण) और सहायक निवेशक (वनस्पति रोग विज्ञान-प्रशिक्षण) के, पदों पर भर्ती की पद्यति या विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भ:--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध श्रीर संचयन निदेशालय उप निदेशक (वनस्पति रोग विकान-प्रशिक्षण) श्रीर सहायक निदेशक (वनस्पति रोग विकान-प्रशिक्षण) कर्ती नियम, 1996 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्शीवारण श्रौर धेतनमान:--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण श्रौर उनके देतनमान वे होंगे, जो धन निवमों से उपाबद्ध श्रमुस्थी के स्तंभ 2 में स्तम्भ 4में विनिद्धिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य प्रहेताएं घ्रावि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयू-सोमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें के होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 1958 GI/96--5

- 4. निरर्हता :--वह ध्यक्ति :
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागुस्बीय विधि के अधीन प्रकृतिय है और ऐसा करने के लिये अन्य प्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्शन से छट दे सकेगी।

- 5. मिथिल करने की मिकित:--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखक करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ग करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्गया प्रवर्गके व्यक्तियों की बायत, ग्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आय-सीमा में छट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी. जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये प्रादेशों के श्रनुसार श्रनुसचित जानियों, श्रनुसचित जनजातियों, भूतार्व सैनिकों ग्रीर ग्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना ग्रमेक्षित है।

			ग्रन <u>ुस</u> ्ची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेसनमा न	चयन पर्द ग्रथवा ग्रचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए श्रायु-सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के श्रधीन अनुजेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक (बनस्पित रोग विज्ञान-प्रशिक्षण)	2* (1996) *कार्यभार के प्राधार पर प्रिकर्तन ्किय्यूक्षा सकता हैं।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपन्नित, भ्रनमुसचित्रीय	3000-100- 3500-125- 4500 रुपये	चयन	40 वर्ष से श्रधिक नहीं टिप्पण परन्तु यह फायदा त श्रनुक्रेय नहीं होगा जब ऐसे सी भर्ती किये गये व्यक्ति ने इस प में नियुक्ति के पूर्व केन्द्रीय सरका या किसी राज्य सरकार या किस संघ राज्य क्षेत्र सरकार के श्रधी प्रथया ऐसी किसी सरकार श्रधीन किसी स्वणासी निकाय कोई पद धारण किया है और उ वहां केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन- नियम, 1972 के नियम 30 श्रधीन सेवा में जोड़े गये वर्षों फायदा दिया जा चुका है श्रथ उसे केन्द्रीय सरकार या संघ रा क्षत्र सरकार श्रथवा किसी सरक के श्रधीन की गई सेवा की श्रथ की गणना भारत सरकार की है	ष्टें दरती न के में से () के बाज्य र प्याधिया

चुका है।

[भाग II—खंड 3 (i)] भारत का राजपक्ष : प्रगस्त 24,1996/भादे 2,1918 3 6 . 7 (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनदेशों या आदेशों के अनसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: ग्रायु-सीमा ग्रमधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में भ्रभ्यर्थियों से भ्रावेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई श्रंतिम तारीख होगी। (न कि वह श्रंतिम तारीख जो श्रसम, मेघालय, श्ररुणाचल प्रदेश, त्रिपरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल धौर स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड/अंदमान और निको-बार द्वीप या लक्षद्वीप के श्रभ्यर्थियों के लिये बिहित की गई है)। सीधे भर्ती किये जाने वाले परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित मैक्षिक व्यक्तियों के लिये ब्रिहित आय् और अन्य अर्हताएं और ्रमीक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लाग होगी या नही सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के आवएधक : आय : नहीं लिये एक वर्ष मौक्षिक अर्हताएं : हां (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति रोग विज्ञान में विशोषज्ञता सहित वनस्पति रोग विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि/वनस्पति विकान में मास्टर डिग्री या समतृत्य । (2) वनस्पति संरक्षण कार्य/फसल रोग पर नियंत्रण करने में पर्यवेक्षी हैसियत का पांच वर्ष का अनुसंधान/व्यावहारिक अनुभव । वांछनीय : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बनस्पति रोग विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या समस्त्य। (ii) सुसंगत क्षेत्र में अध्यापन अनुभन्न। टिप्पण 1--अईताएं अन्यथा सुऑईत अभ्याययों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के

> किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियक्षित/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिय्क्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा

11

12

50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिानवृक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके प्रन्तर्गत प्रल्पकालिक संविदा भी है)

50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसा सहायक निवेशक (बनस्पति रोग विज्ञान-प्रशिक्षण) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियम्ति पर स्थानान्तरण (जिसके भ्रन्तर्गत ग्रल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/प्रर्ध सरकारी/ या कानुनी संगठनों/कृषि विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त ग्रनुसंधान संस्थाग्रों/परिषदों के श्रधीन ऐसे श्रधिकारीः

- (क)(1) जो नियमित भ्राधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
 - (2) जिन्होंते 2200-4000 ह. या समजुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या
 - (3) जिन्होंने 2000-3500 ह. या समतुख्य वेतनमान वाले पदों पर म्राठ वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित गैक्षिक ग्रर्हताएं ग्रीर ग्रनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ग्रधिकारी, जो प्रोन्नति कीसीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने केपाल नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पाइन महीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की श्रवधि, जिसके श्रम्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रम्य संगष्टन/विभाग में इस नियुक्ति सै ठीक पहुले धारित किसी ग्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रस्पकालिक संविदा भी है। स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये ग्रधिकर्तम श्राय सीमा ग्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जायेगा

प्रत्येक ग्रवसर पर संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना ग्रावश्यक है।

13

समृह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये):

- 1. ग्राध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा ग्रायोग--- प्रध्यक्ष
- 2. संयुक्त सन्तिम, बनस्पति संरक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग-सदस्य
- 3. संयुक्त संचिव, प्रशासन/स्थापन, कृषि भौर सहकारिता विभाग--सदस्य
- 4. बनस्पति संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार--सदस्य
- 5. निदेशक/उप सचिव, बनस्पति संरक्षण, कृषि श्रीर सहकारिता विभाग-सदस्य

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये):

1. संयुक्त सिषक, वनस्पति संरक्षण प्रभाग, कृषि श्रीर सहकारिता विभाग---प्रध्यक्ष

- 2. संयुक्त सन्धिव, प्रशासन/स्थापन, कृषि और सहकारिता विभाग—सदस्य
- 3. वनस्पति संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार---सदस्य
- 4. निदेशक/उप सचिव, वनस्पति संरक्षण प्रभाग, कृषि ग्रौर सहकारिता विभाग—सदस्य

टिप्पण :

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि में संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति की कार्य-

वाहियां, संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय श्रोन्नित सिमिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष या किसी सदस्य

की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
महायक निदेशक (वनस्पति रोग विज्ञान-प्रशिक्षण)	2 [*] (1996) *कायंभार के स्राघार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''क'' राजपन्नित, ग्रननुसचिवीय	2200-75- 2800-द. रो 100-4000 घ.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से श्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये श्रनुदेशों या श्रादेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)।	नही
					टिप्पण :— आयु-सीमा श्रवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में श्रभ्यिथों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई स्रोतिम तारीख होगी। (न कि वह स्रोतिम तारीख जो श्रसम, मेघालय, प्ररुणाचन प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहांख खंड, हिमाधल प्रदेश के लाहोंल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के प्रंगी उपखंड/अंदमान और निको- बार द्वीप या लक्षद्वीम के श्रभ्यांथयों के लिये बिहिस की	

आवश्यक :

लागू नहीं होरत

9

एक वर्ष

10

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति रोग विज्ञान में विशेषज्ञता सहित वनस्पति रोग विज्ञान में मास्टर डिग्नी या कृषि/वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्नी या समतुल्य।

8

(2) वनस्पति संरक्षण कार्य/फसल रोगपर नियंत्रण करने का तीनवर्ष का अनुसंधान/व्यावहारिक अनुसव।

वारुनीय :

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय मे बनस्पति रोग विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री या समत्त्य ।
- (2) सुसंगत क्षेत्र में अध्यापन अनुभव।
- टिप्पण---1: अईताएं अन्यया सुअहित अभ्यिथयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण—2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्याँथयों की दणा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यांभ्यों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11

12

सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

टिप्पण: पद्यक्षारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन + एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ण से भरी जा सकेगी:

- (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद श्वारण किये हुए हैं; या
 - (2) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पक्षों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और
 - (3) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने बाले व्यक्तियों के लिये विहित गैक्षिक अईताएं और अनुभव है।

ह संबंध में संघ लोक मेवा श्रायोग से परामर्ण करना श्रावश्यक है ।

1.4

समृह "क" विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के संबंध में बिचार करने के लिये) :

- संयुक्त सचिव, वनस्पति संरक्षण प्रभाग कृषि और सहकारिता विभाग—अध्यक्ष
- संयुक्त मचिव, प्रणासन/स्थापन, कृषि श्रौर सहकारिता विभाग—सदस्य
- वनस्पति संरक्षण सुलाहकार, भारत सरकार---सबस्य
- निदेशक/उप सचिव, वनस्पति संरक्षण प्रभाग, कृषि श्रौर सहकारिता विभाग—सदस्य

टिप्पण: सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति की पृष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति की कार्य-वाहियां संघ लोक सेवा भ्रायोग के मनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी। किन्तु, यदि भ्रायोग उनका भ्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक संघ लोक मेवा भ्रायोग के श्रध्यक्ष या किसी सबस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी।

[फा .सं. 13-2/91-पी पी-**]]**

श्रार.पी. ग्रग्रवाल, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation) New Delhi, the 12th August, 1996

G.S.R. 352.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Microbiologist Recruitment Rules, 1975, (ii) the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Group 'A' and 'B' Technical posts (Recruitment) Rules, 1958, in so far as they relate to the post of Senior Plant Pathologist, (iii) the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Junior Virologist) Recruitment Rules, 1976, and (iv) the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage (Technical Gazetted posts) Recruitment Rules, 1972, in so far as they relates to the post of Junior Plant Pathologist, except as respects things done or omitted to be done for such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Deputy Director (Plant Pathology-Training) and Assistant Director (Plant Pathology-Training) in the Directorate of Plant Prolication in the Official Gazette.

- 1. Short title and commencement:—(i) These rules may be called the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Deputy Director (Plant Pathology-Training) and Assistant Director (Plant Pathology Training) Recruitment Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay:—The number of the said posts, their classification and the scale

of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- .3. Method of Recraitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 00.13 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse Lving, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so, to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or categoy of persons.
- 6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Fx-Servicemen and other special categories of nersons in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time, in this regard,

	SCHED	ULE	
Name of the post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay
1.	2.	3.	4.
Deputy Director (Plant Pathology-Training)	2* (1996) *Subject to variation dependent on workload,	General Central Service Group 'A' Gazetted Non- Ministerial,	Rs. 3000-100-3500-125-4500
Whether selection post or Non-Selection post	mit for direct recruits	admissible une	fits of added years of servic der Rule 30 of the Central Pension) Rule, 1972
<u>5.</u>	6.	and the second s	7.

Selection.

Not exceeding 40 years.

(Relaxable for Government servants upto \$ years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Go-Vernment).

Note; The crucial date for determining the age limit shall be the closing data for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir States. Lahul and Spiti Chamba District and Pangi sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep),

Yes.

Note: Provided that this benefit shall not be admissible if such a direct recrui before his appointment to this post has held a post under the Central or State or Union Territory Government or in an Autonomous body under any of such Government where he has been given the benefit of added years of service under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 or has been given the benefit of counting that period of service rendered under the Central or State or Union Territory Government or in any Autonomous body under any such Government with the Government of India Service.

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentag of the vacancies to be filled by various methods

8.

9.

10.

11.

Essential:

- (i) Master's degree in Plant Pathology or Master's degree in Agriculture/Botany with specialisation in Plant Pathology from a recognised University or equivalent.
- (ii) 5 years research/practical experience in a supervisory capacity in plant Protection work/ control of crop diseases.

Age; No. Educational qualifications: Yes.

One year for direct recruits.

50% Promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract). 50% Direct recruitment.

8 9 10 11

Desirable ;—

- (i) Doctorate degree in plant Pathology from a recognised University or equivalent.
- (ii) Teaching experience in the relevant field.

Note: 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficent number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

In case of recruitment by promotion deputation/transfer, grades from which promot on/deputation/transfer to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

14.

12.

Promotion;

Assistant Director (Plant Pathology-Training) with five years regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract);—

Officers under the Central/State
Governments/Public Undertakings/
Semi-Governments/Agriculture
Universities/recognised research
Institutions/Councils Autonomous
or Statutory Organisations;—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 - (ii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
 - (iii) with 8 years regular service in the pay scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Group 'A' Departmental Promotion
Committee (for considering promotion);

- Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman.
- 2. Joint Secretary, looking after Plant Protection, Department of Agriculture and Cooperation—Member
- 3. Joint Secretary looking after Administration/Establishment, Department of Agriculture and Cooperation—Member.
- 4. Plant Protection Adviser to the Government of India—Member.
- Director/Deputy Secretary looking after Plant Protection Division, Department of Agriculture and Cooperation—Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation);

 Joint Secretary looking after Plant Protection Division, Department of Agriculture and Cooperation— Chairman. Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

1958 GI/96---6.

Assistant Director (Plant Pathology-Training)

Not applicable

1746

Not exceeding 35 years.

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

No.

भारत का राजपत्र : ध्रगस्त् 24,1996/भाद्र 2,1918 9 8 10 11 Essential: Not applicable. One year Direct recruitment. (i) Master's degree in Plant Patho-Note: Vacancies caused by the logy or Master's degree in incumbents being away on Agriculture/Botany with speciatransfer on deputation or long lisation in Plant Pathology illness or study leave or from a recognised University under other circumstances for or equivalent. a duration of one year or (ii) 3 years research/practical exmore may be filled in consulperience in Plant Protection tation with the Union Public work/control of crop diseases. Service Commission on trans-Desirable: fer on deputation basis from (i) Doctorate degree in Plant officers of the Central Go-Pathology from a recognised vernment :---University or equivalent. (a) (i) Holding analogous (ii) Teaching experience in the posts on regular basis; relevant field. orNote: 1. Qualifications are relax-(ii) With 3 years regular able at the discretion of Union service in posts in the Public Service Commission in scale of Rs. 2000the case of candidates otherwise 3500; or equivalent: well qualified. or Note: 2. The qualification(s) re-(iii) With 7 years regular garding experience is/are relaxable service in posts in the at the discretion of the Union scale of Rs. 1640-2900 Public Service Commission in the or equivalent; and case of candidates belonging to (b) Possessing the educational the Scheduled Castes or the qualification and experience Scheduled Tribes if at any stage prescribed for direct reof selection the Union Public cruits under column 8. Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 13 12 14

Not applicable.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation).

- 1. Joint Secretary looking after Plant Protection Division, Department of Agriculture and Cooperation— Chairman.
- 2. Joint Secretary, looking after Administration/Establishment, Départment of Agriculture and Cooperation-Member
- 3. Plant protection Adviser to the Government of India-Member.

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

 Director/Deputy Secretary looking after Plant Protection Division, Department of Agriculture and Cooperation—Member.

"Note; The proceedings of Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held".

[F. No. 13-2-91-PP. II] R. P. AGGARWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 श्रगस्त, 1996

सा.का.नि. 353 — राष्ट्रपति, संविधान के ध्रनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त शविवयों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय प्रधिकार करते हुए, जिन्हें ऐसे प्रधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन में मृता सर्वेक्षण अधिकारी पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखिल नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षित नाम करिर भारा হা ওচা গৃহি রাচক सर्वेक्षण संगठन (मृक्षा सर्वेक्षण ग्रधिकारी) भर्ती नियम, 1998 हो।
 - (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पव-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पद की संख्या, उसका दर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जं इन नियमों सें उपाबद्ध भनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्मति, भायु-सीमा और अन्य श्रर्हसाएं: उक्त पर भर्ती की पद्मति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससें संबंधित श्रन्य बार्ते वेहोंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) सें स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहेता : वह स्थक्त---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने भ्रपने पति या भ्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; उक्त पद पर नियुक्ति का पाझ नहीं होगा :

परन्तु यवि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे क्यक्ति और विवाह के श्रन्य पक्षकार को लागू स्त्रीय विधि के प्रधीन श्रनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए धन्य पाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देसकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:→ जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना धावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा धायोग से परामर्थ करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत धावेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. ब्यावृत्ति :---इन नियमों की कोई बात ऐसे भ्रारक्षण, ग्रायु-सीमा में छूट और ग्रन्थ रियायतों पर प्रभाव नहीं बालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गए ग्रादेशों के श्रनुसार ग्रनुसूचि जातियों,

			प्र नुसूची			
ाद का नाम	पटों की संख्या	वर्गीकरण	घेतनभान	चयर पद स्रथता स्रचयन पद	सेवा में जोड़े गए हर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंजन) नियम, 1972 के नियम 30 के प्रधीन ग्रनुशेय है या नहीं	र्चा श्रेश्व श्रिक्ट जारे याले आसितयो वे लि ए भा यु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
गदा सर्वेक्षण अधिकारी	7* (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपतित	3000-100- 3500-125- 4500 ₹.	चयम	हो	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वार जारी किए गए प्रन् देणों या प्रादेशों के प्रनुसार सरकार सेंवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथल की जा सकती हैं)। दिप्पण प्राप्य सीम प्रवधारित करने के लिए निर्धायक तारीख भारत के प्राप्त करने के लिए निर्धायक तारीख भारत के प्रम्यियों से गावे वन प्राप्त करने के लिए निर्धायक तारीख भारत के प्रम्यियों से गावे वन प्राप्त करने के लिए निर्धायक तारीख भारत की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंति। जारीख जो असम मेघालय, अघणाचल प्रवेश, मिजोरम, मणोगुर, मागालैंड विपुरा, सिक्किम, जम्मूक्समीर राज्य लहाख खंड, हिमाच प्रदेश के लाहोस औ स्पीति जिले तथ पम्चा-जिले के पां उपखंड, अवमान अं निकोबार दीप के प्रस् थियों के लिए विहि की गई है)।

[PART II—SEC. 3(i)]

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक श्रौर ग्रन्थ श्रहेताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की श्रविध यदि कोई हो के लिए विहित श्रायु भीर शैक्षिक श्रहताएं प्रोक्षत व्यक्तियों की दक्षा में लागु होगी या नहीं

8

9

10

धावश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विण्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में विशेषज्ञता सहित कृषि धौर रसायन या मृदा संरक्षण में मास्टर डिग्नी या समसुल्य ।
- (ii) मृवा सर्वेक्षण या मृदा संरक्षण में पांच वर्ष का क्षेत्र श्रीर श्रनुसंधान का ग्रनुभव ।
- टिप्पण 1 : भ्रहंताएं भ्रन्यथा सुभ्रहित भ्रश्यियों की दशा में संघ लोक सेवा भ्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।
- टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अईता (अईताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्याध्यों की दणा में तब शिष्यिल की जा सकती हैं (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्य-थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभा-वना नहीं है।

वाछनीय : मृदा सर्वेक्षण के लिए फोटोग्रामिटरी श्रौर फोटो इंटरप्रेटेशन में डिप्लोमा/प्रमाणपत्न । नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए 1 वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित ढारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों ढारा भरी जाने बांस्त्री रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुनित/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

12

प्रोप्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण 1 प्रोप्ति के लिए पावता सूची, प्रधिकारियों द्वारा अपनी ध्रपनी श्रेणियों/पदों पर विहित प्रहेक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी ।

दिप्पण 2. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने मृपनी ग्रहेंक/पानता सेवा पूरी कर ली है। प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विवार किया जाएगा बगर्ते कि उनके द्वारा की गई सेवा, ग्रुरेक्षित ग्रहेंक/पानता सेवा से एक वर्ष से ग्रीधक से कम म हो ग्रीर उन्होंने ग्रुपनी परिवीक्षा ग्रविध यदि विहित हो सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

पदोस्रति

ऐसा सहायक मुद्रा सर्वेक्षण भिक्षकारी/सहायक मुद्रा रसायन**क्ष** जिसने अपनी-ग्रपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनित्रुन्ति पर स्थानान्तरण :

केन्द्रीा⊲ सरकारं∤राज्य सरकार के ब्राधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो नियमित श्राधार पर सैर्देश पर्दे धारण किए हुए हैं, स्म
 - (फि) जिन्होंनी 2:20%-4:60% र. या सम्बुख्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियक्ति सेवा की 📆
 - ं (विक्रं) किलाने ३०००-३७७७ ए. या समस्य नेतनमान वाले पवों पर ग्राठ वर्ष नियमित सेवा को है, ग्रौर
- (स्रों) जिसेके पास्त स्टार्कन (क्षो) में अध्योज सीचे असी निर्ण जाने वाले व्यक्तियो के लिए निक्ति अहेनी और प्रमुखन हैं।

भोषक अर्क्य के ऐसे बिभागीय अधिकारी, जो प्रीक्रित की सीधी पंक्ति में हैं जिलिनिजुक्ति पर शिक्षित के लिए जिकार किए जफ्ने के पात नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनिविधितक व्यक्तिक जोन्नति द्वारा नियुन्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की मामधि, जिसके प्रतिर्गत केन्द्रीय संरक्षीर के उसी यो किसी प्रत्य कांग्रहन∤किअरग में इस नियुक्ति से ठीके पहले धारित किसी प्रन्य कार्यर केर्म्स कद वर प्रतिनिध्वित की ग्रमधि है, सरधारणलया 3 (तोन) वर्ष से श्रेष्टिक नहीं हीश्ति ।

(प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणं द्वारी नियुद्धिते के लिए प्रधिकतम प्रायुं सीमा भावेदन प्रान्त करने की भंतिमं तरिनेख की 56 वर्ष से ं**क धिके म**हीं होनी **।**)

र्ष विभागिय प्रोक्ति सँमिति है तो उसमन संरक्षा

भर्तीकरने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा ग्रामांग मे परामर्श किया आएगा

13

14

समृह 'क' विभागीय प्रीप्रिति समिति (प्रीप्रिति के सिए)	
1. मध्यक/सदस्य, संघ लोक सेवा मायोग	-श्रद्धक
2. प्रभाग का संयुक्त सचिक	-सदस्य
3. संयुक्त मचिव (प्रशासनः)	सवस्य
 संख्नस आयुक्त (भृदा संरक्षण) 	−सदस्य
 प्रिक्तिल भारतीय मृदा भीर भूनि उपयोग सर्वेक्सण 	
संगठन का प्रधान	सवस् य

सीधे भर्ती मौर प्रतिनियुक्ति पर किसी प्रधिकरी ही नियुक्ति **करते समय संघ** लोक सेवा ग्रायोग से परामसे करना ग्रावश्यक है।

बम्बेह "क" विभागिरेय प्रोन्निति समिति) (पुष्टि के लिए)

1. प्रमान की संयुक्त समिन –प्रध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव (त्रशस्त्रमं) **~सद**स्य अ. संयुक्त घायुक्त (मृद्धी संरक्षण) **-सब**स्य

भ्रतिल भारतीय मृदा भौर भूमि उपयोग सर्वेक्षण

संगठन का प्रधान

क्षियाण : साँधे भर्ती किएं जांने वालि क्वेक्ति की पृष्टि से संबंधित विभागीय स्रोसति समिति की कार्यवाहिया, सूर्व लॉक सुर्वा स्रायोग के प्रमुमोदनार्थ भेजी जाएगी। निनेतु, यदि प्रायोग उनका प्रमुमोदन महीं करता है तो विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक संघ लोक सेवां प्रायोग के प्रध्वन यो किसी संबस्य की प्रध्यक्षता तें फिर से होंगी

-सदस्य

[फा.सं. 1/11/93-ऐस डेब्स्थ् सी 11] एस.एस. नेगी, मनर सचित्र

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)
New Delhi, the 12th August, 1996

- G.S.R. 353.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Soil Survey Officer in the All India Soil and Land Use Survey Organisation under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Soil Land Use Survey Organisation (Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the aid post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in solumns (5) to (14) of the said Schedule.

- 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts		Classification		
(1)	$\overline{(2)}$		(3)		
Soil Survey Officer	7" (1996) "Subject to varia workload.	tion dependent on	General Central Service, Group 'A' Gazetted.		
Scale of pay	Whether selection tion post.	n post or non-sclee-	whether benefit of added years service admissible under rule of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.		
(4)			(6)		
Rs. 3000-100-3500-125-4500,	Selection.		Yes.		
Age limit for direct recruits		Educational and direct recruits	other qualifications required for		
(7)			(8)		
Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servar cordance with the instructions (Central Government).		specialisation Chemistry	rgire in Soil Science/Agriculture with on in Soil Science and/or Agricultural or oil Conservation of a recognised or equivalent.		

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

8

- (ii) 5 years' field and research experience in Soil Conservation.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient-number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Diploma/Certificate in photogrammetry and acrial photo-interpretation for Soil Survey.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probati	eriod of probation, if any		Method of recruitment: whether by direction recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacacies to be filled by various methods		
(9)	(10)		(11)			_ ,
No.	One year for dire	One year for direct recruits. By promotion failing which deputation, failing be recruitment.			~	
In case of recruitment by promotion transfer, grades from which promoti transfer to be made	, i	a Department omposition	ital Promotion C	'ommittee exi	sts, what	is its
			(13)			

"Promotion:

Assistant Soil Survey Officer/Assistant Soil Chemist with 5 years regular service in the respective grade.

- Note I: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grades/posts.
- Note II: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation Pertod, if press—cribed.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion):

- Chairman/Member, Union Public Service Commission— Chairman
- 2. Joint Secretary of the Division—Member.
- 3. Joint Secretray (Administration)—Member.
- 4. Joint Commissioner (Soil Conservation)—Member.
- Head of All India Soil and Land Use Survey Organisation—Member.

Transfer on deputation:

Officers under the Central/State Governments:

- (a) (ii) holding analogous posts on a regular basis; or
 - (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
 - (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
- (b) possessing he qualifications and experience prescribed for direct recruits under commu (8).
- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years. as on the closing date of receipt of applications.)

Group 'A' Department Promotion Committee (for confirma-

1. Joint Secretary of the Division-Chairman.

13

- Joint Secretary (Administration)—Member.
- 3. Joint Commissioner (Soil Conservation)—Member.
- 4. Head of All India Soil and Land Use Survey Organisation—Member.

Note ;—The proceedings of the Depratmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(14)

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.

> [File No. 1-11/93-SWC. HI] S. L. NEGI, Under Secy.

बस्स मंत्रालय

नई विरुली, 7 ग्रगस्त, 1996

सा.का.नि. 354.---राष्ट्रपति, संविधान के ऋन्स्टेंद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते की पद्धति का विभिन्नभभ करने के लिए निम्नसिखित नियम मॅश्रालय में स्टाफ कारं डाध्यर के पंद पर भर्ती षण्ट्य बनाते हैं मर्थात :---

- संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ —— (i) इन नियमी का संक्षित नाम वस्त्र मंत्रालय (स्टाफ कार इहिवर) नियम, 1996 हैं।
 - (ii) ये राजपंत्र में प्रकाणने की तारीखं का प्रयुत्त
- 2. पद मंख्या, वर्गीकरण भीर वेतनमान :--- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका देतनमान वह हागा जा इस नियमों में शंलग्न ग्रन्सुची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिधिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, भ्राय-सीमा, भ्रन्य महैताएं म्राबि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, भ्राय-सीमा, महैताएं भ्रीर उससे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्विष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति--
 - (क) जिसमे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसते अपने पंति या अपनी परंगी के जीवित होते हुए किसी अपित सेंकिनेह किया है ; उकत पंद पर नियक्ति की पान नहीं होंगा:

ारन्तु यदि केन्द्रीय सरकीर का यह समाधान ही आता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पत्रकार को लागू स्वीय विधि के बंधीन बंनुक्रेयं है और ऐसा करने के लिए अन्य बाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट देसकेगी।

- 5, क्रिश्रिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भावस्थक या समीजीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबढ़ करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ष या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत, श्रादेण द्वारा शिक्षिल कर सकेगी;
- 6. ब्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे भारक्षण, अध्यु-सोमा में छूट भीर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं आनेती, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वार इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों अन्युचित जातियों अन्युचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों भीर भन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवेष करेंगा अभिक्तित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयनं पद संघनां श्रेचनंतरं	सेवा में जीड़े गए वंधी का फायवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंधन) नियम 1972 के नियम 30 के प्रधीन भनुनेय है या नहीं	सीक्षे भेती किए जाने वॉले व्यक्तियों के लिए प्रायु सीमां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार इंडियर	04* *कार्यभारं के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	संधारण केन्द्रीय सेवा संमूह 'ग' (ग्रराजपत्नित ग्रननुसंचित्रीय)	950-20-1150- द.रो25-1500 रु.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	मंहीं	25 वर्ष से मंशिक नहीं। कैम्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के प्रमुसार सरकारी सेवियों के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी : प्रायु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में प्रभ्यथियों से भिन्न जो प्रदेगान और निकोबार द्वीप व लक्षकींण, पूर्वीत्तर की राज्यों, सिकिकम, खम्बा जिले के पांगी उपखंड हिमाचल प्रदेश के लाहोल धीर स्पीति जिले में हैं) प्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई धीरि तारीख होगी।

1756 THE GAZETTE OF INDIA: AU	GUST 24,	1996/BHADRA 2, 1918	[PART II—SEC. 3(i)]
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक श्रीर भन्य श्रहेताएं	विहित ग्राय	किए जाने बाले व्यक्तियों के श और शैक्षिक श्रर्श्वताएं प्रोक्षत की बशा में लागू होगी या नह	कोदी हो ।
8		9	10
ध्रावश्यक : भोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन श्रनुज्ञप्ति, मोटर यंद्रक्रिया का ज्ञान ग्रीर मोटर कार चलाने के लिए कम से कम पांच वर्ष का श्रनुभव ।	लागू नहीं	होता	दो वर्ष
टिप्पण : श्रनुभव संबंधी श्रह्ता/ग्रह्ताएं सक्षम प्राधिकारी है बिवेकानसार ग्रनुपूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों ग्रभ्याथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रश्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए श्रदेक्षित श्रनुभय रखने वाले उन समृदाय के श्रभ्याथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	के हिंह		
वांछनीय :			
भ्राठवां स्तर उत्तीर्ण			
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा य। नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतना		भोश्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वा जनमे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानाः ———————————————————————————————————	
# # #		1 2	
स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ह	द्वारा दि ः	ली में केन्द्रीय सरकार के अध् सवार हरकारा श्रीर समूह 'घ' रण द्वारा जिनके पास जो स्टाफ कार चालकों गई सक्षमता के स्तर के युक्तता की जांच करने के लिए परीक्षण के परिणाम के ब्राधा	कर्मचारियों में से स्थानान्त स्तम्भ 8 में वर्ज प्रह्ता है, के लिए प्रावस्थक समझी प्रमुख्प पद के लिए उप- ए तैयार किए गए चालन में
यदि विभागीय प्रोप्नति समिति है तो उसकी संश्चना		र्ती करने में किन परिस्थितियो में परामर्श किया जाएगा।	में संघ लोक सेवा श्रायोग
13		14	
लागू नहीं होता	ला	गू नहीं होता	
		-	[सं. ए-11013/2/95-स्था.] एसं बनर्जी भ्रवर सकिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 7th August, 1996

- G.S.R. 354.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Ministry of Textiles namely:-
- 1. Short title and commencement,—(i) These rules may be called the Ministry of Textiles (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1996.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of the post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as pecified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid schedule.

- 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if catisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of
- 6. Saving .-- Nothing in these rules sall affect reservations, relaxation of age limit and other conerssions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Number of posts	Classic ation	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection posi
2		<u> </u>	5
04* dent on worklo	Group C (Non-Gazet Non-Ministertal)	950-20-1150-EB-25-150 etcd	0 Not applicable
	— ——	- <u> </u>	
ed Age for e l les,	direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
	7		
for Gov per the :	ernment Servants as instructions/orders	of motor mechanism and	
	dent on worklo	posts 2 3 04* General Central Servi Group C (Non-Gazet Non-Minisferial) dent on workload.	posts 2 3 4 04* General Central Service 950-20-1150-EB-25-150 Group C (Non-Gazetted Non-Minisferial) dent on workload. Id Age for direct recruits Educational and other qualifications required for direct recruits es, 7 8 Not exceeding 25 yrs. relaxable for Government Servants as per the instructions/orders issued by Central Government.* Possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor mechanism and experience of driving a motor car for at least five years.

Sub, Division of Chamba, Laheul and Spiti districts of Him; chal Pradesh).

**NOTE: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of erndidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of select on the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of an adidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avaliable to fill up the vacancy reserved for them.

Period of Probation if any	Method of recrument whether by direct requirement or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filed by various methods.	Gr. do from which recrui mu by promotion/depu ation/, transfer/shor term contract/ c-empleyment is to be made	If DqC ixis s wha	Circumstances in which UPSC to bef consulted in making recruitment.
10	11	12	13	14
2 years	By transfer, falling which by direct recruitment.	By ransfer on the result of a test of a test in driving designed to adjudge su tability for the post with reference to standards of copetence considered essent at in Drivers of Staff cars from amon regular Despatch Riders and Group D employees working under the Central Government in Delh who possess the qualification in Column 8.	-	Not applicable

[No. A-11013/2/95 Estt.] S. BANERJEE, Under Secy.

sistants

rice in

the gra

A Acco

Manas ars' exp

Mi Tra

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th June, 1986

G.S.R. 468.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to Group 'C' and Group 'D' posts in the Customs, excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, namely :-

- 1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules,
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application: -These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay:— The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc :—The method of recuitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

- 5. Disqualifications :- No person-
 - (a) who has entered into or contracted a person having a spouse living; or
 - who having a spouse living, has entered contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the

Provided that the Central Government may that such marriage is permissible under the applicable to such person and the other party to and that there are other grounds for so doing, peson from the operation of this rule.

- 6. Power to relax:—Where the Central Government of the opinion that it is necessary or expedient may, by order and for reasons to the recorded relax any of the provisions of these rules with resp class or category of persons.
- 7. Saving:—Nothing in these rules shall affect respectively and other concessions be provided for Ex-Servicemen, the Scheduled Scheduled Tribes and other special categories of accordance with the orders issued by the Central of the control of the ment from time to time in this regard.

			SCHEDULE			
Name of the Post	No. of Post	Classification	Sca	le of pay	Whether selec- tion post or non-selection post	Age direct
1	2	3		4	5	
1. Accountant.	1* (1985) *Subject to varia- tion dependent on worklead.	General Central Group-C (Minister Gazetted.	Service, Rs. 500-20 ial) Non-	-700-EB-25-900.	Not applicable	Nota
Whether benefit of added years of serv armissible under ru 30 of CCS (Pension Rules, 1972	rice qualifications rule for direct recru	equried qualific its direct re	r age and educations ations prescribed for cruits will apply in of promotees		Method of rece by direct rece promotion or tation/transfer age of the vacan by various met	ruitmen by and noies to
7	8		9	10		11
No.	Not applicable	Not app	olicable	Not applicable	Transfer on der	utation
	ent by promotion/d promotion/deputation		If a Departmental exists, what is its co		ttee Circumsta Union Pub mission is to making recr	lic Serv
	12			13		14

Transfer on deputation/transfor:

- (i) Persons holding analogousposts in Central Govern- 1. Any Member of Customs, Excise & Gold ment Departments; or
- (ii) Qualified Accountants of SAS of Indian Audit and Accounts Department/Civil Accountants of Civil Accounts Organisation; or
- (iii) Head Clerk in Central Government Departments who 2. Deputy Secretary, Ministry of Finance have under gone training in Cash and Accounts conducted by the Institute of Secretariat Training and Management with 3 years' regular service in the grade
- (Control) Appellate Tribunal neminated by President, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal.
- -Chairman. (Department of Revenue) - Member.
 - 3. Registrar, Customs, Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal.—Member.

Not applicable

PART IL भारत का राजपत्न:जून 21, 1986/ज्येष्ट 31, 1908 3(i) on-Had Clerk (Rs. 425-700) or combined regular ontracted a me e living; or ricof10 years in the grade of Head Clerk (Rs. 425-and Upper Division Clerk (Rs. 330—560). ng, has entered h any person stants of Central Secretariat Service with 5 years' in the grade or with 10 years' combined service any of the said be grade of Assistant and Upper Division Clerk, rnment may, aled that they have undergone training in cash under the pen ier party to th Accounts in the Institute of Secretariat Training or so doing, e experience of dealing with Cash, Accounts and set work. Management or equivalent training & possess 3 Central Government of of deputation shall, ordinarily, not exceed three he recorded in ules with respe shall affect rese 5 Scheduled C di Transla-General Central Rs. 425-15-500-EB-Between 21-30 years (Relaxable for Govt. Servants upto 35 Not applicable ategories of p (1985)Service, Group-C 15-560-20-700. y the Central o Subject to Non-Gazetted Miyears according to instructions or orders issued by the Central variation egard. nisterial. dependent on Government). workload. Note: The crucial date for determining the age limit shall, in each case, be the closing date elec-Age limit for receipt of applications from directreen candidates in India (other than in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through the employment ex-changes, the crucial date for determining the age limit, shall Not apply be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names. 8 10 11 Master degree of a recognised Not applicable 2 years (in the By transfer on deputation/ University in Hindi/English, case of direct transfer failing which by ecruitments. with English/Hindi as a comrecruits). direct recruitment. rcernitment ulsory elective subject or as medium of examination at degree level. r and cancies to b Master's degree of a recognised University in any 1ethods subject other than Hindi/ English, with Hindi and Eng-11 lish as compulsory/elective subject or either of the two as medium of examination and eputation/tran the other as a compulsory/ elective subject at degree level. Master's degree of a recognised Unilances in versity in any subject other than blic Service Hindi/English, with Hindi/English medium and English/Hindi as a to be consulted compulsory/elective subject or as medium of examination at degree ruitment level. Or Bachelor's degree of a recognised Uni-versity, with Hindi and English as 14 compulsory/elective subjects or either of the two as medium of examination t applicable.

and the other as a compulsory/elec-

tive subject, plus a recognised Dip-loma/Cortificate course in Transla-tion from Hindi to English and vice versa or two years' experience of

translation work from Hindi to English and vice versa in Central/ State Government offices, including Government of India Undertakings.

				13	908 [PAR
(ii) Upper Div toms, and (cise and Go years' service	olding analogous	e Ministry of F partments and C beliate Tribunal	inance, Cus- lustoms, Ex- having three	Not applicable	Not appli
1	2		3	4	
3. Care Taker	1* (1985) *Subject to variation dependent on workload.	General Centi Gazetted) N	ral Service, (Non- Non-Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-560-20-700-EB-25-800.	Not applicable.
7	8		9	10	
Not applicable	Not applicab	le	Not applicable	. Not applicable	By transfer
12		· Vaccionary and Law Micro Street Street	No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	13	
years' servi	posts of Upper D ice in the grade; of posts of Lower D	Division Clerk wi r ivision Clerk with	by President th 5 (Control 2. Deputy) Appellate Tribunal nomin lent, Customs, Excise and C l) Appellate Tribinal—Chai Secretary (Admn.), Minist	Gold irman ry of
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the	ce in the grade; of posts of Lower Doce in the grade; and qualification men	Division Clerk wit r ivision Clerk with ad tioned in colum	by Presic (Control 2. Deputy Finance, n (8), 3. Registra) Appellate Tribunal nomin lent, Customs, Excise and (l) Appellate TriblnalChai	nated Gold irman ry of Member.
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the Period of deputation	ce in the grade; o posts of Lower D ce in the grade; ar qualification men on shall ordinarily	Division Clerk with the column of the column	by Preside (Control 2. Deputy Finance, n (8), 3. Registra	Appellate Tribunal noming lent, Customs, Excise and Color Appellate Tribinal—Chain Secretary (Admin.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Go	nated Gold irman ry of Member.
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the Period of deputation	ce in the grade; o posts of Lower D ce in the grade; ar qualification men on shall ordinarily	Division Clerk with relation Clerk with additioned in column, not exceed 3 years.	by Preside (Control 2. Deputy Finance, n (8), 3. Registra	Appellate Tribunal noming lent, Customs, Excise and Color Appellate Tribinal—Chain Secretary (Admin.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Go	nated Gold irman ry of Member.
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the Period of deputation Head Clerk 12* *Sub vari depo	ce in the grade; of posts of Lower Dice in the grade; and qualification menton shall ordinarily 2 (1985) Gen piect to Serviciation (Noi	Division Clerk with the column of the column	by Preside (Control 2. Deputy Finance, n (8), 3. Registra ears). (Control 2. Deputy Finance, n (8), 3. Registra (Contro	Appellate Tribunal nominulent, Customs, Excise and Colly Appellate Triblnal—Chais Secretary (Admn.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Golly Appellate Tribunal.—Molly Appellate Tribunal.	nated Gold irman ry of Member.
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the Period of deputation Head Clerk 12* *Sub vari depo	ce in the grade; of posts of Lower Dice in the grade; and qualification mention shall ordinarily 2 (1985) Gen piect to Serviation (Nonendent on Minimus posts of Lower Dice in the grade; and qualification in the grade; an	Division Clerk with a clerk wit	by Preside (Control 2. Deputy Finance, nr (8), 3. Registra ears). (Control 4 Rs. 425-15-500-F	Appellate Tribunal nomindent, Customs, Excise and Colly Appellate Triblnal—Chais Secretary (Admn.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Golly Appellate Tribunal.—Molly Appellate Tribunal.	nated Gold irman ry of Member. old ember
years' servi (iii) holding the years' servi Period of deputation Head Clerk 12* *Sub vari depo	ce in the grade; of posts of Lower Doce in the grade; and qualification ment on shall ordinarily 2 (1985) Gen piect to Serviation (None endent on Miniskload.	Division Clerk with a clerk wit	by Presic (Control 2. Deputy 10 Finance, n (8), 3. Registra ears). (Control 4 Rs. 425-15-500-F 15-560-20-700.	Appellate Tribunal nomindent, Customs, Excise and Colly Appellate Tribleal—Chain Secretary (Admin.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Golly Appellate Tribunal.—Mar Selection	nated Gold irman ry of Member. old ember
years' servi (iii) holding the years' servi Possessing the Period of deputation Head Clerk 12* *Sub vari depowor	ce in the grade; of posts of Lower Dice in the grade; and qualification ment on shall ordinarily 2 (1985) Gen piect to Serviation (Nonendent on kiload.	Division Clerk with a clerk wit	by Presic th 5 (Contro 2. Deputy 10 Finance, 110 (Contro 110 Finance, 110 (Contro 110 (Con	Appellate Tribunal nomindent, Customs, Excise and Colly Appellate Tribleal—Chain Secretary (Admin.), Minist Department of Revenue—Mar, Customs, Excise and Golly Appellate Tribunal.—Mar Selection	Promotion failing whi

recruitment transferondep (Non-Ministerial)

workload.

Government Servants upto 35 y ars in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limitshall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (oth r than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be date upto which the Employment Exchnages are asked to submit the names.

(ii) Speed of 100 w.p.m. in English or Hindi Stenography and 40 words per minute in English Typewriting (30 words per minute in Hindi Typewriting) provided that where sufficient candidates with a speed of 100 words per minute in Stenography are not available, candidates with speed of 80 words per minute in Stenography may be considered for appointment.

transfer.

(Control) Appellate Tribunal. - Member.

exceed 3 years).

· 7		8	9		10	-11
No		in Higher Seconda	ary Note applic	sable 2	years	By direct r. o.
		ination. icate in Library Sc	ience			willion has
		ecognised Institution				deputation
		t 2 years experience				4
	repute	ed Library.				
		qualification regar				
	exp rien	c: is relaxabl, at the	dis-			
		of the Competent Au le case of Scheduled Co				
		dul.d Tribes, if at				
	authorit	y is of the opinion	that			
	sufficient	t number of candid	lates			
		se communities poss				
		requisite experience y to be available to				
S		acancy reserved for th				
12		1	13			14
Transfer on Deputation		1. A	ny Member of Custon	ns, Excise and	Gold	Notapplicabl:
Officers of Central Go (i) holding analogou		(C	ontrol) Appellate Tri	bunal, nomi	inated	
OR	s posts;	by	the President, Custon	ms, Excise an	d Gold	d
(ii) holding posts of	Upper Division	on Clerks 2. De	ontrol) Appellate Tril eputy Secretary (Ad	ounai. —Chi	airman	
and possessing	Certificate of		nance (Denastreent	WITHISTI	y 01	11
	Col tillears of	1.01-13	nunce. (Department	of Rev. nue)		
Science of a recog	gnised Instituti	on	nance, (Department Member.			
Science of a recog (Period of deputation)	gnised Instituti	on inarily, not 3. Re	Member. egistrar, Customs, E	Excise and C	Fold	
Science of a recog	gnised Instituti	on inarily, not 3. Re	Member.	Excise and C	Gold mber.	
Science of a recog (Period of deputation)	gnised Instituti	on inarily, not 3. Re	Member. egistrar, Customs, E	Excise and C	Fold mber	
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	gnised Instituti on shall, ord	on. inarily, not 3. Re (C	Member. egistrar, Customs, E	Excise and C	Gold mber.	6
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	gnised Institution shall, ord 2 24* (1985)	on. inarily, not 3. Re (C	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB-	Excise and Counal. —Me	mber.	6 18 to 25 years.
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	gnised Institution shall, ord 2 24* (1985) *Subject to	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gov
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	gnised Institution shall, ord 2 24* (1985)	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years)
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gov vants upto 35 years with the or
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yed dance with the ostructions issued by
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gov vants upto 35 years with the or
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yed dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial demining the age lim
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yes dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age liming date for
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yed dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age liming date for applications from the structions of the struction of the structions of the struction of the structions of the struction of
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yed dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from India (other than
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 yed dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age liming date for applications from the structions of the struction of the structions of the struction of the structions of the struction of
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial demining the age limic closing date for applications from India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recrui
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial demining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nica and Lakshadweep) In the case of recruit through the Sta
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from a India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recruit through the Stat Commission the
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recruit through the Stat Commission the for determining the state of th
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from a India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recruit through the Stat Commission the
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years).	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from a India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recruit through the Stat Commission the for determining the shall be the date not structed to the state of t
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on	on. inarily, not 3. Re (C) 3 General Central Services, Group-C (Non-Gazetted)	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App llate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8-	Excise and Counal. —Me	mber.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limiclosing date for applications from a India (other than Andaman and Nicand Lakshadweep) In the case of recruit through the Stat Commission the for determining the shall be the date not structed to the state of t
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on workload.	on. inarily, not 3. Re (Control of the control of t	## Age—No	Excise and Counal. —Me	cable.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nice and Lakshadweep) In the case of recruit through the State Commission the for determining the shall be the date in Commission.
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on workload. (i) Ma equ	on. inarily, not 3. Re (Control of the control of t	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App. Ilate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8- 390-10-400. 9 Age—No Educational Quali-	Excise and Counal. —Me	cable.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nice and Lakshadweep). In the case of recruit through the State Commission the for determining the shall be the date in Commission.
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on workload. (i) Maeque (ii) Min	on. inarily, not 3. Re (Control of the control of t	## Age—No	Excise and Counal. —Me	cable.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nice and Lakshadweep). In the case of recruit through the State Commission the for determining the shall be the date in Commission.
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on workload. (i) Ma equ (ii) Min workload.	on. inarily, not 3. Re (Control of the control of t	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App. Ilate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8- 390-10-400. 9 Age—No Educational Quali-	Excise and Counal. —Me	cable.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nice and Lakshadweep). In the case of recruit through the State Commission the for determining the shall be the date in Commission.
Science of a recog (Period of deputation exceed 3 years). 1 10. Lower Division Clerk.	2 24* (1985) *Subject to variation dependent on workload. (i) Ma equ (ii) Min won Eng	on. inarily, not 3. Re (Control of the control of t	Member. egistrar, Customs, E ontrol) App. Ilate Trit 4 Rs. 260-6-290-EB- 6-326-8-366-EB-8- 390-10-400. 9 Age—No Educational Quali-	Excise and Counal. —Me	cable.	18 to 25 years. (Relaxable for Gow vants upto 35 years dance with the or structions issued by Government). Note: The crucial domining the age limic closing date for applications from a India (other than Andaman and Nice and Lakshadweep). In the case of recruit through the State Commission the for determining the shall be the date in Commission.

17	~ 4
14	1/1
13	14

THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 21, 1986/JYAISTHA 31, 1908

(1)			-,	5111A 51, 190	PART II
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Staff Ca	1* (1985)	General Central Services, Group-'C' (Non-Gazetted),	Rs. 260-6-326-EB-8- 350.	Not applicable	. 23 to 30 years (R
	*Subject to	(Non-Ministerial).			years in accordar
	variation dependent				by the Central G
	on workload	I .			determining the
					of applications of
					didates in India (those in the And
		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- Islan
			*		Lakshadweep).
					In case of appointr
					THE OUGH ING ADDRESS
					determining the crucial
					of the tiale lints
	-	¥	100 E		employment exchanasked to submit the
					-
	28	£			
					•
(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
No	Essential:	Not :	applicable		(11)
16	Knowledge of Moto possession of a	r Mechanism	гррпсавіе	2 years	By direct recruitmen
8	licence for motor	cars and ex-			which by trans deputation.
	perience in driving for at least 3 year	a Motor-Car			-
	Desirable :				
	A pass in the 8th S	tandard.			
					<u>·</u>
			20		
	(12)		(13)		(14)
nsfer on Depu Persons havin	ntation: g analogous posts in Ce	1. Registrar	Customs, Excise and C	Gold (Control)	
Government	Departments.	PP ontate	TitounalC	hairman	Not applicable.
	or	Departmen	retary (Admn.), Ministry at of Revenue —M	of Finance, lember	
Group-D emp	ployees of Customs, E	voice 3 D			
and Gold (C	Ontrol) Annellate Tail	1	strar (Admn,). Customs, rol) Appellate Tribunal-	Excise and	
8.	ations mentioned in Col	umn		Member	
					100

(Period of deputation shall ordinarily, not exceed 3 years).

	£5		(14)				
Promotion: Peon with 3 years service in the goad. Transfer on Deputation: Persons holding analogous posts of Peons with 3 years service in any Central Government Department. Period of deputation shall ordinarily, not exceed 3 years).		(Control) App 2. Deputy Regis and Gold (Co	 Registrar, Customs, Excise and Gold (Control) App llat: Tribunal—Chairman Deputy Registrar (Admn.), Customs, Excise and Gold (Control) App. llate Tribunal. —Member Under Secretary, Ministry of Finance, (Department of Revenue)—Member 				
				(5)			
(1)	()	(3)	(-+)	(5)	(6)		
15. Jamadar	10* (1985) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Rs. 200-3-206-4 Services, Group-D, (Non-Gazetted)		Non-Selection	Not appl		
		and coming the field of the coming fracting content and content of the content of					
(7)	(8)	(9)	The state of the s	(10)	(11)		
No	Not applicable	le Not a	applicable	2 y_ars	By promotion for transfer on de		
(12)			(13)				
(Peons with 3 year Transfer on deput Persons holding	analogous posts or	(Control) App Deputy Register Gold (Control	ustoms. Excise and pellat: Tribunal—(strar, Customs, Ex pl) App:llat: Tribu	Chairman cise and mal—Member	Not applic		
Transfer on deput Persons holding pons with 3 years central Gov 5 nm	tation: analogous postsor ears service in any ent Department tion shall be ordinarily.	(Control) App Deputy Register Gold (Control 3. Under Secreta (Department	pellate Tribunal—(strar, Customs, Ex	Chairman cise and unal—Member nance,	ног арри		
Transfer on deput Persons holding pons with 3 y Central Gov 5 nm (Period of deputat not exceed 3 y 3	tation: analogous posts or rears service in any ent Department tion shall be ordinarily, ars).	(Control) App Deputy Regions of Control 3. Under Secreta (Department)	pellat: Tribunal—C strar, Customs, Ex ol) App:llat: Tribu try, Ministry of Fir	Chairman cise and unal—Member nance,	Not applica		
(Peons with 3 year Transfer on deput Persons holding peons with 3 y Central Government (Period of deputat	tation: analogous postsor ears service in any ent Department tion shall be ordinarily.	(Control) App Deputy Register Gold (Control 3. Under Secreta (Department	pellate Tribunal—(strar, Customs, Ex ol) Appellate Tribu ery, Ministry of Fir t of Revenus)—Me	Chairman cise and mal — Member mance, mber	(6) 18-25 years. (Relaxable for Counts upto 35 dance with to orders issued Government).		
(Peons with 3 year Transfer on deput Persons holding peons with 3 y Central Governm (Period of deputat not exceed 3 year	tation: analogous posts or rears service in any tent Department tion shall be ordinarily. ars). (2) 31* (1985) *Subject to variation dependent on work-	(Control) App Deputy Regis Gold (Control Under Secreta (Departmen (3) General Central Services Group 'D'	pellate Tribunal—C strar, Customs, Ex pol) Appellate Tribu ery, Ministry of Fin t of Revenus)—Men (4)	Chairman cise and inal — Member nanc, mber	(6) 18-25 years. (Relaxable for Counts upto 35 dance with to orders issued Government). Note: The cructermining the audient the closing of applications didates in Indiana.		
(Peons with 3 year Transfer on deput Persons holding peons with 3 y Central Gov 5 nm (Period of deputat not exceed 3 year	tation: analogous posts or rears service in any tent Department tion shall be ordinarily. ars). (2) 31* (1985) *Subject to variation dependent on work-	(Control) App Deputy Regis Gold (Control Under Secreta (Departmen (3) General Central Services Group 'D'	pellate Tribunal—C strar, Customs, Ex pol) Appellate Tribu ery, Ministry of Fin t of Revenus)—Men (4)	Chairman cise and inal — Member nanc, mber	(6) 18-25 years. (Relaxable for Counts upto 35 dance with tor orders issues Government). Note: The cruc termining the algorithm of applications didates in Indithose in the Algorithm of a through the change, the change, the change, the change should be the the application.		
(Peons with 3 year Transfer on deput Persons holding peons with 3 y Central Gov 5 nm (Period of deputat not exceed 3 year	tation: analogous posts or rears service in any tent Department tion shall be ordinarily. ars). (2) 31* (1985) *Subject to variation dependent on work-	(Control) App Deputy Regis Gold (Control Under Secreta (Department (3) General Central Services Group 'D' (Non-Gazetted).	pellate Tribunal—C strar, Customs, Ex pol) Appellate Tribu ery, Ministry of Fin t of Revenus)—Men (4)	Chairman cise and inal — Member nanc, mber	(6) 18-25 years. (Relaxable for Counts upto 35 dance with to or orders issued		



done or omitted to lie done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) under the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance. Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Group 'C' post Recruitment Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of post, its classification attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. No person. -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-Service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE		
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection	Age-limit for direct recruits
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	95* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200— 20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued
		<u> </u>			by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for deter- mining age-limit shall be the

(बिनीष कुमार के.एस.)/(Bineesh Kumar K.S.) पंजीकार/Registrar सीमाशुत्क उत्पादशुत्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण/CESTAT पश्चिमी खण्ड-II/West Block-II रामा कृष्णा पुरम्, नई दिल्ली-110066 R. K. Puram, New Delhi-110066 cthod (6)under closing date for receipt of applications from candidates in cand India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, ation Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State. Lahaul and Spiti District and sand Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange the crucial date for determining the age-limit shall be llaw the last date up to which the any Employment Exchange is asked to submit the names. 10. 18 :lass . Period of probation. Whether age and educational Educational and other qualifications required for qualifications prescribed for if any direct recruits direct recruits will apply in the ired case of promotees is in (9) (8)(7) Two years Not applicable Matriculation or equivalent pass from a recognised Board. In case of recruitment by promotion or deputation or Method of recruitment: whether by direct recruitment absorption, grades from which promotion or deputation or or by promotion or by deputation/absorption and absorption to be made percentage of the vancancies to be filled by various methods (11)(10)Not applicable uns By direct recruitment asc пуites Circumstances in which Union Public If a Departmental Promotion Committee exists, what is its acs Service Commission to be consulted in composition 888 making recruitment ied (13)(12)Not applicable. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: he

(12)

L. Any Member of Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal nominated by the President, CESTAT

 Registrar, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal

 Deputy Registrar, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal Member

Member

[F. No. A. 50050/1/2014-Ad. IC(CESTAT)]

S. BHOWMICK, Under Seev

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिना विभाग)

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विस्तार निर्देशालय (समूह 'ग' पर) भर्ती (संशोधनु) नियम, 1983, विस्तार निर्देशालय (समूह 'ग' और समूह 'घ' पर) भर्ती (संशोधनु) नियम, 1984 और विस्तार निर्देशालय (वर्ग-III और चर्ग-IV पर) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 को जहां तक उनका संबंध ग्रोमाइड मुद्रक (रंगीन), ग्रोमाइड मुद्रक (श्वंत अंग प्रयाम) और डार्क रूम सहायक (फोटांग्राफी) के पर्दों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, कृषि मंद्रालयः कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन विस्तार निर्देशालय में ग्रोमाइड मुद्रक (रंगीन), ज्यामाइड मुद्रक (श्वंत और श्याम) और डार्क रूम सहायक (फोटांग्राफी) के पर्दों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रीरंभ.—(।) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्रुपि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय, ग्रामाइड मुद्रक (रंगीन), ग्रोमाइड मुद्रक (श्वेत और श्याम) और डार्क रूम सहायक (फ्रोटोग्राफी) (सुमूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशनक्वी तारीख को प्रवृत्त होंगे 🗟
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, बेतन बैंड और ग्रेंड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रंड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन निर्यमों से उपाबद्ध अनुसूची वे स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिण्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि,—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और उनसे संबंधित अन्य यात व होंगी जो पूर्वोंक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिग्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.--वह व्यक्ति.
 - (क) जिसने एस व्यक्ति सँ जिसका पति या जिसको पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह मगाधान हो जाता है कि एंसा विवाह एंसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसृचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।



असाधारगा EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (f)

RIMERT & RESTRICT

326

नई बिल्ली, शुक्र बार, सिलम्बर 24, 1993/आध्वन 2, 1915

326] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1993/ASVINA 2, 1915

विन मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

ग्रधिसुचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1993

सा.का.नि. 622(म्र):—राष्ट्रपति, संविधान के म्रानुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा भिनित्यों का प्रयोग करते हुए, सीमाणुल्क, उत्पाद शुल्क भ्रौर एवर्ण (नियंवण) अपील रिण (स्रूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाश्चल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण . तिण) ग्रपील ग्रधिकरण (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती (संणोधन) नियम, 1993

- (2) येराजपत में प्रकाशन की नारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2 सीमाशुक्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) प्रवील श्रधिकरण (समुह 'ग' समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1986को अनुसूची में, आगुलिपिक (श्रेणी 2) के प संबंधित कम मंद्राक ७के मामने स्तम्भ (8) में, 'आगुलिपि में 120 शब्द पनि वि और टंकण में 40 मन्द्र प्रति मितट" अंकों और मन्द्रों के स्थान पर "ग्रामि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 णव्द प्रति मिनट" णब्द और अंक रखे जायेंगे।

सिं. 18/93/पत.सं. 27/50/93-एईध्याई र्वा के राष्ट्रा, इंस्क प्रधिष

टिप्पण — मूल निषम भारत के राजग्रत भाग- Π खण्ड3(i) तारीख 21-8-1iसा.का.नि. सं. 468 द्वारा प्रकाणित हुए थे और तत्पण्वात निम्निवी द्वारा नजीधित किया गया .---

- 1 सा.का नि. सं. 93 तारीख 14-2-1987
- सा.का.नि. स. 305(अ) तत्त्रीख 25-3 1987
- 3. सा.का.नि. सं. 276(श्र) नारीख 14-5-1991

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 1993

- G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further to amend the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Trit (Group 'C' & Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1986, namely :-
- 1. (1) These rules may be called the Customs, Excise and Gold (Cor Appellate Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendr Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Ot Gazeite.
- 2. In the Schedule to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate bunal (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1986, agains No. 6 relating to the post of Stenographer (Grade II) in column (8). for

tigures and words "120 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typewriting", the figures and words "100 words per minute in stenography (English|Hindi))" shall be substituted.

[No. 18]93 F. No. 27]50[93-Ad.IC]
V. K. GUPTA, Desk Officer

- Note. The Principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-Section(i) of the Gazette of India in the issue dated 21-8-86 with G.S.R. No. 468, Subsequently amended by :--
 - G.S.R. No. 93, dated 14-2-1987.
 - 2. G.S.R. No. 305(E). dated 25-3-1987.
 - 3. G.S.R. No. 276(E), dated 14-5-1991.



HUBLISHED BY AUTHORITY

ei. 6] No. 6] नई विक्ती; सनिवार, फरवरी 8, 1997/नाथ 19,1918

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8, 1997/MAGHA 19, 1918

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्रमा दी वाली है जिसते कि यह जसन संकारण के रूप में रसा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

NAT II—Ave 3—24-448 (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के संज्ञालयों (रक्षा मंजालय को छोड़कर) मीर केन्द्रीय अधिकारियों (संबराज्य क्षेत्र प्रज्ञालयों को छोड़कर) द्वारा विधि के अल्लांत बलाए घीर जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सिधालित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the

Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Council Authorities (other than the

Administration of Union Perriteries)

विस मेवालय (राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997

सा. का. ति. 74:—राष्ट्रपति, संविधान के भनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भौर प्रवर्तन निवेशालय (वर्ग 1 भौर वर्ग 2 पव) भर्ती नियम, 1969 को, जहां तक उनका संबंध वर्ग 1 के पदों से हैं, प्रवर्तन निवेशालय (उप निवेशक) भर्ती नियम, 1981 भौर प्रवर्तन निवेशालय (विशेष निवेशक) भर्ती नियम, 1983 को, उस बातों के सिवाय प्रधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निवेशालय, वित्त मंत्रालय के राजस्य विभाग में समूह "क" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम श्रीर श्रारम्भ:--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवर्तन निवेशालय (समृह "क"पव) भर्ती नियम, 1997 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की र्तारीख को प्रवृक्त होंगे।
 - 2. लाग होना-ये नियम इन नियमों से उपाबक अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिधिष्ट पंदों को लागू होंगे।

- 3. पद संख्या, वर्गीकरण भौर वेतनमान:--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण भौर उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त ग्रनसुची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, ग्रर्हताएं भ्रादि:--- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायु सीमा, भर्हतायें श्रौर उनसे संबंधित भ्रन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीकत श्रनुभूची के स्तम्भ 5से स्तम्भ 14में विनिदिष्ट हैं।
 - 5. निरहताएं :-- यह व्यक्ति,--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर निम्कित का पान नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार कायह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रौर विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिके ग्रधीन ग्रनुक्षेय है ग्रौर ऐसा करने के लिये ग्रन्य ग्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. गिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वहु उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबाद करके तथा संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करके, इस नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वांबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. ब्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे श्रारक्षण, श्रायु-सीमा में छुट श्रौर श्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये श्रादेशों के श्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों, श्रौर श्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना श्रपेक्षित है।

			ग्रन <u>ु</u> सुची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद स्रथना अचयन पद	सीधे मर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये भ्रायु-सीम	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशम) नियम, 1972 के नियम 30 के मधीन प्रनुज़ेय है या महीं
1	2	3	4	5	6	7
1. विशेष प्रवर्तन निवेशक	03* (1997) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय देवा समूह "क'' राजपत्रित श्रननुसचिवीय	5100-150- 5700 % .	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	तस्यू नहीं होता
सीधे भर्ती किये ज गैकिक स्रोर सन्य	•	भें के लिये श्रपेक्षित	के लिये ग्र र्ह तायें	किये जाने वाले व्य विहित भायु भी भोन्नत व्यक्तियों व गीया नहीं	र शैक्षिक	विधा, यदि कोई हो
1	8			9	10	
लागू नहीं होता			लागू नह	हीं होता	लागू नहीं	होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशक्ता । प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की यशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण।

प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति पर स्थानान्तरण

- 1. श्राखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के ऐसे श्रीधकारी:
- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं; या
- (ii) जो कनिष्ट प्रशासनिक श्रेणी या ऊपर की श्रेणी की चयन श्रेणी (4500-5700 र.) धारण किये हुए है।
- 2. ऐसे विभागीय अपर प्रवर्तन निर्देशक के साथ बाह्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जियेगा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिये उसका चयन किया जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा करा गया समझा जायेगा।

टिप्पण: 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रधिकारी जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पास्न नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति ध्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पास्न नहीं होंगे।

टिप्पण: 2. प्रितिनयुक्ति की भ्रविध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस निगृक्ति से ठीक पहले घारित किसी अन्य का अर-बाह्य पद पर प्रितिनयुक्ति की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये भिधकतम भ्रायु सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की श्रीतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रिधक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्ग किया जायेगा।

1.3 14 संच लोक सेवा धार्याम से परामर्श करना अब ब्रायस्यक है जब कि कोई लागु नहीं होता विभागीय श्रधिकारी विचार किये जाने के लिये पात हो। 2 3 4 5 6 7 1 01* 2. ग्रपर प्रवर्तन साधारण केन्द्रीय लागू नहीं होता 4100-125-**भ**यन लागू नहीं होता निदेशक (1997)सेवा समूह ''क'' 4850-150-*कार्यभार के राजपक्षित 5300 €. श्राधार पर **प्रनन्सिचयो**य परिवर्तन किया जा सकता है।

टिप्पण: 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रधिकारी जो प्रोग्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पाद नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पास नहीं होंगे।

टिप्पण: 2. प्रतिनियुक्ति की ग्रविध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की प्रथिध है, साधारणतया चार वर्ष से प्रधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये प्रधिकतम प्रायु सीमा प्रावेदन प्राप्त करने की भेतिम तारीख को 56 वर्ष से प्रधिक नहीं होगी।

13

14

संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श करना श्रावण्यक नहीं है।

समूह "क" विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिये)

- 1. मध्यक/सदस्य, संच लोक सेवा ग्रायोग---मध्यक्ष
- 2. भपर सचिव (प्रणासन) राजस्व विभाग--सदस्य
- 3. प्रवर्तन निवेशक--सवस्य

1	2	3	4	5	6	7
उप निदेशक		साधारण केन्द्रीय	3700-125-	चयन	लाग नहीं होता	पागृ नहीं होता
	*(1997)	सेवा समूह ''क''	4700-150-			
	कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	राजपत्नित श्रननुसचिनीय	5000₹.			
	8		9		10	
लागूनहीं होता		e que l'agrandé de la constante de constante de constante de constante de constante de constante de constante d	लागू नहीं	होता	लागू नहीं	· · · · · ·

50 प्रतिशत प्रोन्नति

50 प्रतिनिय्क्ति पर स्थानान्तरण

प्रोन्नति :

3000-4500 रु. के वेतनमान में ऐसा सहायक प्रवर्तन निवेशक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

12

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने ग्रपनी श्रर्हक/पालता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, भपेक्षित श्रर्हक/पालता सेवा के श्राधे से श्रधिक से या दो वर्ष से , इसमें से श्री कम हो, कम न हो श्रीर जिन्होंने श्रपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अनकी उच्चतर श्रेणी पर श्रोन्नित के लिये श्रपनी परिवीक्षा की श्रवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी श्रह क/पालता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

मखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवा के ऐसे प्रधिकारी:

- (क)(i) जो नियमित ग्राक्षार पर सदृश पद धारण किये हुए हुए हैं, या
- (2) जिन्होंने 3000-4500 र. या समतुह्य वेतममान वाले पढ़ों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, श्रीर
- (ख) जिनके पास राजवित्तीय विधियों ग्रीर विनियमों से संबंधित ग्रासूचना ग्रीर ग्रन्वेषण कार्यका ग्रनुभव है।

टिप्पण: 1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विधार किये जाने के पान नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति ध्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पान नहीं होंगे।

		-			1 2	
			टिप्पण : 2	<u>, = - = - = - = - - - -</u>		
			किसी श्रन्य किसी श्रन्य साधारणतय स्थानान्तरप	ग संगठन/विभाग प काडर-बाह्य पा चारवर्षसे ग द्वारा नियुष्णि गप्त करनेकी	कं ग्रन्तर्गत केन्द्रोगसः में इस नियुक्ति से पद पर प्रतिनियुक्ति ग्रिधिक नहीं होगी। त्त के लिये ग्रिधि प्रतिम तारीख को	ठीक पहले धारित त की भ्रवधि है, प्रतिनियुक्ति पर कतम ग्रायु-सीमा
	13			14		
प्रोन्नित के संबंध में विभागीय प्रोन्नित 1. श्रध्यक्ष/सदस्य, व 2. श्रपर सचिव (प्रक 3. प्रवर्तन निदेशक	समिति : संघ लोकसेवा ! गासन), राजस्य वि	प्रायोगअध्यक्ष	संघ लोक सेवा	ग्रायोग से पराम	र्शकर्नाद्यायस्यकनह	तें है।
1	2	3	4	5	6	7
4. सहायक निदेशक	34* (1997) *कार्यभार के ग्राक्षार पर परिर्वतन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपन्नित स्रननु- सचि वी य	3000-1000- 3500-125- 4500*	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
8			9		10	
-4					प्रोन्नत व्यक्तियों के	

40 प्रतिशत प्रोन्नति
60 प्रतिशत प्रतिनियक्ति पर
स्थानान्तरण

12

प्रोन्नितः

2000-3500 र . के वैजनमान में ऐसा मुख्य प्रवर्तन प्रधिकारी जिसने उस श्रेणी में ब्राठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने भपनी श्रहेंक/
पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा
है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तिों के संबंध में भी विचार किया जाएगा
परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई सेवा, श्रवेक्षित श्रहेंकः/पात्रता सेवा के श्राये से श्रिष्ठिक से या दो वर्ष से,
इतमें से जो कग हो, कम न हो श्रीर जिन्होंने श्रपने मे
किनिष्ठ ऐसे व्यक्तियों के साथ श्रगली उज्वतर श्रेणी पर
प्रोन्नति के लिए श्रपनी परिवीक्षा की श्रविध सफलतापूर्वक
पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी श्रहेंक/पात्रता सेवा से पहले
ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरणः

श्राखिल भारतीय सेवा किन्द्रीय सेवा के ऐसे श्राधिकारी:

- (*) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने 2200-4000 र . या समसुख्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर श्राठ वर्ष नियमित सेवा की है, श्रौर
- (ख) जिनके पास राजविशीय विद्यियां और विनियमों से संबंधित ग्रासूचना ग्रीर ग्रन्वेषण कार्य का ग्रनुभव है।

टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रिधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की पान नहीं होंगे।

टिप्पण : (2) प्रतिनियुनित की श्रविध, जिसके श्रंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रविध है, साधारणतथा तीन वर्षे से श्रविक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए श्रिधिकतम श्रायु सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रिधिक नहीं होगी।

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामशं करना झावश्यक है

13

14

समृद्ध "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :

1. भ्रष्ट्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा भ्रामोग

–प्रध्यक्ष

2. अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग

-पदस्य

3. प्रवर्तन निदेशक

~सदस्य

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 29th January, 1997

G.S.R.74—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Class I and Class II) Recruitment Rules 1969 so far as they relate to Class I posts, Derectorate of Enforcement (Deputy Director) Recruitment Rules 1981 and Directorate of Enforcement (Special Director) Recruitment Rules 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following Rules to regulate the method of recruitment to Group 'A' posts in the Director te of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:—

- 1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement (Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1997.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application: These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

- 4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc: The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
- 5. Disqualifications,-No person,--
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 6. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes,, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Special Director of Enforcement.	- 03* (1)97) *subject to variation dependent on work- load.	General Central Service 'A' Gazetted. Non-Mini	
Whether selection or non- Ag selection post	ge limit for direct i	recruits Whether benefit years of service a	•
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable. No	ot applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age & educational quation prescribed for direct recruiapply in the case of promotees	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancy to be filled by various methods		
(9)		(10)	(11)
Not applicable. Not applica		able.	Promotion/transfer on deputation.

भाग II-- भांड 3 (i)] भारत का राजपतः फरवरी 8,1997/माय 19,1918 In case of recruitment by promotion/deputa-If a DPC exists what is Circumstances in which UPSC to be tion/transfer, grades from which promotion/ its composition consulted in making recruitment deputati in/transfer to be made (12)(14)(13)Promotion/transfer on deputation: Consultation with Union Public Ser-Not applicable. 1. Officers of All-India Services/Central Service Commission necessary when a departmental officer is eligible for vices: (i) Holding analogous posts on regular consideration. basis: or (ii) holding Selection Grade (Rs. 4500-5700) of the junior administrative grade or above. 2. The departmental Additional Director of Enforcement with five years regular service in the grade shall also be considered along with the outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note: 1. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including pe-Note: 2 riod of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Govrenment shall ordinarily not to exceed 5 (five) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of

(1)	(2)	(3)	(4)
Additional Director of Enforcement.	01* (1997) *subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4100-125-4850-150-5300.

receipt of applications.

maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

[
(1)	(2)	(3)	(4)		
3. Deputy Director	09* (1997) *Subject to variation dependent on work- load.	(1997) 'A' Gazetted, Non-Ministerial. *Subject to variation dependent on work-		Rs. 3700-125-4700-15 -5000.	
(5)	(6)	(7)	(8)		
Selection.	Not appli	cable. Not applicable.	Not applieable.		
(9)	(10)		(11)		
Not applicable.		Not applicable.	50% promotion. 50% transfer on deputati		
(12)		(13)		(14)	

Promotion:

Assistant Director of Enforcement in the pay scale of Rs. 3000-4500 with five years' regular 1. Chairman/Member, Union Public service in the grade.

Note: Where juniors who have completed their qualifying/ ligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Transfer on deputation:

Officers of All India Services/Central Services:

- (i) Holding analogous posts on regular (a) basis; or
 - (ii) with five years regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
- (b) po ssessing experience of intelligence and investigation work relating to fiscal laws and regulations.

Group 'A' DPC for considering promotion:

- Service Commission-Chairman.
- 2. Additional Scorctary (Administration) Department of Revenue-Member.
- 3. Director of Enforcement-Member.

Consultation with Union Public Service Commission not necessary,

site qualifying/eligibility service by

(12)

more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/el.gibility service.

Transfer on deputation:

Officers of All India Services/Central Services:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
 - (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
 - (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
- (b) possessing experience of intelligence and investigation work relating to fiscal laws and regulations.
- Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be cligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.

[No. 3/97/F.No. 2/3/94-Ad. IC]) MADHO RAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1997

सा. का. नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के भनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क, उत्पाद-शुल्क भौर स्वर्ण (नियंत्रण) श्रपील श्रधिकरण (समृह 'ग' भौर समृह 'घ' पद) भती नियम, 1986 का भौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा-गुल्क, उत्पाद शुल्क भीर स्वर्ण (नियंत्रण) भाषील मधिकरण (समूह 'ग' भीर सभूह 'व' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।
 - (2) येराजप स में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शल्क, उत्पाद शुल्क भीर स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपील भ्रधिकरण (समृह 'ग' भीर समृह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1986 की भनुसूची में,---

कम संख्यांक 12 भीर उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, प्रथित्:--ग्रन सकी

			मनु षूची			
पद की नाम	पदों की संख्या	वर्गकरण	वेतन मान	भयन भव श्रव ेश श्रवयन पद	सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए मायु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन मनुशेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
12. स्टाफ कार ड्राइ वर साधारण श्रेणी	5* (1997) *कार्यभार के भाधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह 'ग' (ग्रराजपन्नित) (ग्रननुसचिबीय)	950-20-1150- व. रो25-150	लागू म हीं होता 0 द.	25 वर्ष से प्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमुद्धेशों या मादेशों के मनुद्धेशों या मादेशों के मनुद्धेशों यो मादेशों के मनुद्धेशों यो मादेशों के मनुद्धेशों को लिए गिष्यक करने के लिए निणीयक सारीख भारत में मम्प्रियों से (उनसे भिन्न जो मदिया नहीं प्रविच नियत की गई मंदिय तथा नहीं प्राप्त करने के लिए नियत की गई मंदिय सारीख होगी। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की दशा में, भायु सीमा प्रवधारित करने के लिए निणीयक तारीख यह मंदिम सारीख होगी जिस सक रोजनार कार्यान करने के लिए निणीयक तारीख यह मंदिम सारीख होगी जिस सक रोजनार कार्यान करने के लिए मिणीयक तारीख यह मंदिम सारीख होगी जिस सक रोजनार कार्यान करने के लिए मिणीयक तारीख यह मंदिम सारीख होगी जिस सक रोजनार कार्यान करीं के साम के लिए कहा गया है।	

सीधे मर्तो किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए भ्रमेशित गैक्षिक भीर भ्रन्य भ्रहेताएँ

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु श्रीर शैंकिक अर्हताएं शोकत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी परिवीक्षा की प्रविध यवि कोई हो

वा नहीं

8

9

10

भावस्यकः :

लागुनहीं होता

दो वर्ष

- (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन श्रमुशस्ति
- (ii) मोटर यंश किया का जान (ग्रम्थिक्यों को यान की छोटी मोटी खराबियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)।
- (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम 3 वर्ष का ग्रनुभव ।

वांछनीय :

- (i) भ्राठवां स्तर उतीर्ण ।
- (ii) होम गार्क/सिविल स्वयं-सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण : ग्रनुभव संबंधी श्रहेंता सक्षम प्राध-कारी के विवेकानुसार ग्रनुस्चित जातियों ग्रीर श्रनुस्चित जनजातियों के श्रभ्यचियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव रखने वाले उन सगुदायों के ग्रभ्यथियों के पर्याप्त संस्था में उप-लब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोचित द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता श्रोत्रति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण हारा भती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे श्रोत्रति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनिनयोजन/स्थानान्तरण जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण :

सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क भीर स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपील भ्रधिकरण के ऐसे तिपहिया चालक भीर समृह "घ" कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलाने की विधिमान्य भ्रमुशिष्त है जो उन्हें मोटर कार चलाने की सक्षमता का निर्धारण करने के लिए ली गई चालन परीक्षण के भ्राधार पर मिली है जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के भ्रम्य मंत्रालयों/विभागों के ऐसे नियमित समृह "घ" कर्मचारियों का पद धारण करने वाले पद धारियों में से जो स्तम्भ 8

में यथा उल्लिखित भावश्यक भ्रहता पूरी करते हैं। भृतपूर्व-सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /पूर्निनयोजनः संशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा औ एक वर्ष भी प्रविध के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं भौर जिनके पास ग्रपेक्षित ग्रनुभव ग्रौर हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय श्रोक्षति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा भायोग से परामश किया जाएगा
13	14
समृह "ग" विभागीय प्रोप्नति समिति	लागृ नहीं होता
 रिजस्ट्रार, सीमा-गुल्क, उत्पाद-गुल्क ग्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रपील ग्रधिकरण —ग्रध्यः 	Я
2. ग्रवर सचिव (प्रशासन), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग —सदर	र य
 उप-रिजस्ट्रार (प्रशासन), सीमा गुल्क, उत्पाद गुल्क ग्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) भ्रपील ग्रधिकरणसदः (पिष्ट के संबंध में विचार करने के लिए) 	स्य

1	2	3	4	5	6	7
1 2क स्टाफ	2*	साधारण	1200-	भ्रज्यन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
धार बाइबर	(1997)	केन्द्रीय	30-			
(শ্বিদী2)	*कार्यभार के	सेखा	1440-			
	श्राक्षार पर	समृह ''ग''	द. रो			
	परिवर्तन	(भराजपत्नित)	30-			
	किया जा	(ग्रनुसचिवीय)	30-1800			
	सकता है।	, •	₲.			

10 9 8

लागृ नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11						12	
সৌন্ধ রি					प्रोन्नति :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					श्रेणी में 9 व	र्ष नियमित सेव	ग श्रेणी, जिन्होंने उस ा की है भीर नीचे बसाय परीक्षण उत्तीर्ण
					व्यवसायिक परीक्षण	ाकीस्कीम पा	ठ्य विवर ण
					ा-मग्रेजी की हों।	संख्याकों श्रीर	ग्रंकों को पढ़ सकते
					2. यातायात के वि	वित्यमों का अप	न्छा कान हो।
					3. खराबियों का मरम्मत कर		हों भौर छोटी मोटी
					4. पहियों को सर हवा भर सकते परीक्षण		भीर टायरों में सही
					ाराकाण (क) उपर्युक्त के व	प्रा क्षार पर व्याव ह	गृरिक परीक्षण।
·					<u> </u>		
· <u> </u>	13			<u>-</u>		14	
	मा-शुल्क, उत्पा ण) ग्रभोल ह	-	घध्यक	*	स्त	प् तहीं होता	
 श्रवर सचिव (राजस्व विभाग 		त्त मंत्रालय,	सदस्य				
3. उप-रजिस्ट्रार, स्वर्ण (नियंक्षण	सीमाशुल्क, उ ा) म्रपील श्रधि	_	र —-सटस्य				
1	2	3	4	5	6		7
12. ख—स्टाफ कार ब्राइ वर (श्रेणी−1)	2* (1997) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह—ग ग्रराजपत्रित श्रननुसम्बद्धीय	1320- 30-1560- व. रो40- 2040 र.	प्रचयन	लागृ नहीं	होता	लागू नहीं होता
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
8				9		10	
लागु नहीं होता			 लागू	नहीं होता		लागु नहीं होत	T
01 GI/973.		,		······			

प्रोप्नति

12

प्रोक्षति :

ऐसे स्टाफ कार ब्राइवर श्रेणी-2 जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या श्रेणी-2 ग्रीर साधारण श्रेणी में कुल मिलाकर 15 वर्ष सम्मिलित सेवा की है ग्रीर नीचे उपदर्शित स्कीम के प्रनुसार व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

व्यावसायिक परीक्षण की स्कीम पाठ्य-विवरण

- 1. भंग्रेजी की संख्यात्रों श्रीरश्रंकों को पढ़ स ते हों।
- यातायात के विनियमों का ग्रच्छा झान हो।
- 3. पेट्रोल भौर श्रीजल इंजन के कार्य करण का ग्रच्छा ज्ञान हो भौर खराबियों का पता लगा सकते हों श्रीर छोटी-मोटी खराबियों को ठीक अर सकते हों।
- 4. कार्बोरेटर, प्लग भादि को साफ कर सकते हो। परीक्षण:
- (क) उपर्यक्त के स्राधार पर ब्यवहारिक परीक्षण।

13

14

लागू नहीं होता

- श्रवरसचिव (प्रशा.) विस्त मंत्रालय, राजस्थ विभाग

--सदस्य

 उप-रिजस्ट्रार, सीमा-मुल्क, उत्पाद मुल्क ग्रीर स्वर्ण (नियंत्रण) ग्रपील ग्रधिकरण

---सवस्य

[सं. 2/97/फा. सं. 27/36/95-ए. डी. I सी] सुनील ऋरोड़ा, डैस्क ग्रक्षिकारी

टिप्पण :--- मूल नियम, भारत के राजपत्न, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (1) तारीख 21-6-1986 में सा. का. नि. 468 के साथ प्रकाशित किए गए थे। पश्चातवर्ती उनमें निम्नलिखित ग्राधिसूचनामों द्वारा संशोधन किए गए हैं:----

- सा.का. नि. 93 तारीख 14-2-1987 ,
- सा. का. नि. 308 (ग्र) तारीख 24-3-1987
- सा. का. नि. 664 तारीख 9-9-1989
- 4. सा. का. नि. 276 (भ्र) तारीख 14-5-1991
- सा. का. नि. 622 (घ) तारीख 24-9-1993

MINISTRY OF FINANCE

New Delhi, the 29th January, 1997

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group C and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

namely:—

(1) These rules may be called the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group 'C' and

Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1997.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the schedule to the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal (Group 'C' and Group 'D' posts)

 Recruitment Rules, 1986.

for serial number 12 and entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely:—

		SCHEDULE		
Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post of Non-selection post
1	2	3	4	5
'12. Staff Car Driver Ordinary Grade.	5* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), (Non-Ministerial).	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.	Not applicable
2-A. Staff Car Driver (Grade-II!	2* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), (Non-Ministerial).	Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800.	Non-Selection
12-B. Staff Car Driver (Grade-I).	2* (1997) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), (Non-Ministerial).	Rs. 1320-30-1560-EB- 40-2040.	Non-Selection
Age limit for direct	: recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension Rules, 1972		
6		7	8	

with the instructions or orders issued by the Central Government).

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange, is asked to submit the names.

- motor cars.
- (ii) Knowledge of motor mechanism. (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles).
- (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years.

Desirable:

- (i) A pass in the 8th Standard.
- (ii) 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteer.

NOTE: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes

to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding 3. regular Group 'D' employees in other Ministries/Departments of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column 8.

For Ex-Servicemen Transfer on Deputation/ Re-employment:

The Armed Force Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces thereafter they may be contniued on re-employment.

- Revenue.--Member.
- Deputy Registrar, (Administration). Customs, Excise and Gold (Control), Appellate Tribunal.-Member. (For considering confirmation cases).

1.2

Promotion:

Staff Car Drivers Ordinary Grade with 9 years regular service in the grade and have passed a Trade Test as per the Schome indicated below :---

Scheme of Trade Test:

Syllabus:

- Must be able to read English Numerals and Figures.
- Must have good knowledge of Traffic Regulation.
- Must be able to locate faults and carryout minor running repairs.
- Must be able to change wheels and correctly inflate tyres.

Test:

(a) Practical test based on the above.

Promotion:

Staff Car Drivers, Grade II having 6 years regular service in the grade or a combined service of 15 years' in Grade-II and Ordinary Grade put together and have passed a Trade Test as per the scheme indicated below :-

Scheme of Trade Test:

Syllabus:

- 1. Must be able to read English Numerals and figures.
- Must have thorough knowledge of Traffic Regulations.
- Must have good knowledge of Petrol and Diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.
- Must be able to clear carburettor, plug, etc.

Tost:

(a) Practical test based on the above.

13

14

Not applicable

- 1. Registrar, Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal —Chairman.
- Under Secretary (Administration), Ministry of Finance, Department of Revenue-Member.
- Doputy Registrar, Customs, Excise 3. and Gold (Control) Appellate Tribunal -Member.

- Registrar, Customs, Fxcise and Gold Not applicable (Control) Appollate Tribunal, -Chairman.
- Under Secretary, (Administration) Ministry of Finance, Department of Revenue-Member.
- Deputy Registrar, Customs, Excise and Gold (Control)) Appellate Tribunal -Member.

[No. 2/97/F. No. 27/36/95-Ad.IC] SUNIL ARORA, Desk Officer

The Principal rules were published in Part-II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India in the issue dated 21-06-1986 with G.S.R. 468. Subsequently amended by notifications :-

- (i) GSR 93 dated 14-02-1987.
- (ii) GSR 308 (E) dated 24-03-1987.
- (iii) GSR 664 dated 09-09-1989.
- (iv) GSR 276 (E) dated 14-05-1991.
- (v) GSR 622 (E) dated 24-09-1993.

वाणिज्य नंद्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1997

सा.का.नि 76--संविधान के प्रमुख्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निदेण क्यापार महानिदेशालय (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियमों में संशोधन के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाते हैं अधीत :---

- 1. (1) इन नियमों को विदेश ज्यापार महानिदेशालय (हिन्दी अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 कहा जाए ।
 - (2) यह नियम सरकारी राजपत में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विदेश अ्यापार महानिदेशालय (हिन्दी प्रधिकारी) भर्ती नियम, 1996 की प्रनुसूची के कालम 3 में इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:---

"सामान्य केन्द्रीय सेवा समृष्ट "ख" राजपन्नित गैर मंत्रालय"

[संख्या : ए-12018/1/89-कामिक-1/102] के. एम. ब्रह्मो, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, कृते महानिवेशक, विवेश व्यापार

पाद टिप्पणी :---मूल नियम सा.का. नि. 179 दिनांक 21-3-96 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 13th January, 1997

- G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend Directorate General of Foreign Trade (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1996 namely :---
- 1. (i) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade (Hindi Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1996.
- (ii) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Directorate General of Foreign Trade (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1996, in column 3, for the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

> "General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial".

> > [No. A-12018|1|89-Pers.1|102]

K. M. BRAHME, Dy. Director General of Foreign Trade for Director General of Foreign Trade.

Foot Note.—The Principal Rules published vide G.S.R. 179, dated 21-3-96.

कृषि महालय (कृषि भौर सहकारिता विभाग) नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997

- सा.का.नि..77---राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रौर (i) कृषि भौर सहकारिता विभाग, संयुक्त धायुक्त (उर्वरक) भर्ती नियम, 1984, (ii) कृषि भौर सहकारिता विभाग उपायुक्त (उर्वरक) भर्ती नियम, 1989, (iii) कृषि भीर सहकारिता विभाग सहायक श्रायुक्त (रसायन भीर उर्वरक) भर्ती नियम, 1988, (iv) कृषि भीर सहकारिता विभाग सहायक निदेशक (खाद) भर्ती नियम, 1990 घीर (v) कृषि ग्रीर सहकारिता विभाग, सहायक विकास ग्रधिकारी (खाद) भर्ती नियम, 1973 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकामण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि श्रौर सहकारिता विभाग के श्रधीन उर्वरक प्रभाग में कितिपय तकनीकी समृह "क" श्रौर समृह "ख"
- 1. संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ .-- (1) ६न नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि ग्रीर सहकारिता विभाग, उर्वेरक प्रभाग समह "क" ग्रीर समृह "ख" पद भर्ती नियम, 1997 है।

पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रशीत :---

(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारोज की प्रवृक्त होंगे।

- 2. पद संख्या, वर्गीकरण भीर वेतनमान.— उक्त पढों की संख्या, उनका वर्गीकरण भीर उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबक्ष श्रनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य आईताएं आदि--उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, आईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिद्दिष्ट हैं।
 - 4. निरहेता.-वह व्यक्त-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने भ्रापने पति या भ्रापनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पदों पर नियुक्ति का पाल नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पश्चकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देसकेंगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राथ है कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद करके तथा संघ लोक सेवा धायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आवेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—६न नियमों की कोई बात, ऐसे श्रारक्षण ग्राय्-सीमा में छूट श्रीर श्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा ६स संबंध में समय-समय पर निकाल गए घादेशों के श्रन्सार श्रनुस्चित जातियों, श्रनुस्चित जन जातियों, भृतपूर्व सैनिकों श्रीर ग्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध करना अपेक्षित है।

अनुको सीधे भर्ती किए सेवा में जोड़े गए वर्षी का पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन पद पद का नाम जाने वाले फायदा धनशेय है या नहीं ग्रथमा संख्या **ग्राच**यन व्यक्तियों के लिए पद श्राय-सीमा 4 5 6 1 2 3 7 50 वर्ष से ग्रधिक संयुक्त भायुक्त *01 साधारण केन्द्रीय सेवा 4100-125-लाग् नहीं नहीं (उर्वरक) समृह "क", 4850-150-नहीं 1997 *कार्यभार के राजपवित, ग्रनन्-5300 ६पये होता केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्राधार पर सचिवीय जारी किए गए ग्रन-परिवर्तन देशों या ग्रादेशों के किया जा श्रनुसार सरकारी सकता है। सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। दिप्पण : भ्रायु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यवियों से प्रावे-दन प्राप्त करने के लिए नियत की गई श्रन्तिम तारीख होगी न कि वह प्रन्तिम तारीख जो धसम,

मेथालय, प्रकणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपूर, नागालेग्छ, विपूरा, सिक्किम, जम्म कश्मीर राज्य के लहास हिमाचल प्रदेश लाहील ग्रीर स्पीति जिले तथाचम्या जिले पांगी उप-खंड घंदमान घीर निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यवियों के लिए विहित की गई है।

सोबे भर्ती जिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अमेक्षित शैक्षिक और अन्य श्रहेंताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और गैंक्षिक प्रहेताएं प्रोक्षत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं परिवाक्षा की धवधि, यदि कोई हो

8

9

10

धावश्य ह :

- (i) किशो मान्यता प्राप्त त्रिष्वविद्यालय से किशिक्षि रसायन/मृद्या विज्ञान/पादप रोग विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव-रसायन/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) निम्नलिखित में दस वर्ष का भनुभव:-
 - (क) उर्वरक संवर्धन कार्यकमों की योजना बनाने ग्रीर उपयोग करने ों के लिए नीतियां/स्कीमें बनाना।
 - (ख) कार्बनिक खाद्य या जैव उर्वरक या मृदा परोक्षण के विकास या उर्वरक क्याखिटी नियंत्रण।

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्याययों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विकेतानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अहँता (अहँताएं) संव लोह सेवा आयोग के विशेकानुमार हैं अनुमूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यायियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संब लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके श्रायु : नहीं गैक्षिक अर्हताएं : हां । सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

लिए आरक्षित रिक्तियों को भएते के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन सम्दायों के अभ्यधियों के पर्याप्त संख्या में उलब्ध डॉन का संभावना नही है।

वांछर्नाय :

किसा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आवश्यक अर्हता (1) में उपदर्शित किन्दीं विशेषज्ञतास्रों में पी.एच.डी. या समन्त्य ।

भनी को पद्धति : भनीं सीधे होगी या प्राप्तित हारा या प्रति-निय्क्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वालो रिक्तियों क(प्रतिशतता

प्रोक्षति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

प्रोज्ञति/प्रतिनिष्क्षित पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्प-का िक संविदा भी है) जिसके न हो सकते पर सोधी भर्ती द्वारा ।

प्रोप्तति/प्रतिनिय्क्ति पर स्थानान्तरण (जिसके प्रन्तर्गत प्रस्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रोय/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/ स्वणासी निकायों/कानुनी संगठनों के श्रधीन ऐसे अधिकारी :---

- (新)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने 3700~5000-5700 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा
 - (iii) जिन्होंने 3000-4500 रु. या समत्रव्य वेतन-मान वाले पदों पर छाठ वर्ष नियमित सेवा की है: श्रीर
 - (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के श्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित गौक्षिक अर्हताएं श्रीर अन्भव है।
 - (ii) ऐसा विभागीय उपायुक्त (उर्वरक) परियोजना निदेशक (उर्वरक) के माथ प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है श्रांर यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रत्य संगठन/विभाग नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिय्क्ति की भ्रवधि है, साधारणतया 4 (चार) वर्ष म प्रधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके ग्रन्तर्गत श्रत्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम श्रायु सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख़ को 56 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति ममिति है तो उनकी संरवना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा स्रायोग से परामर्श किया जाएगा।

13

14

विभागीय प्रोक्षति समिति (पृष्टि के लिए):---

- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)--- ऋध्यक्ष
- 2. संयुक्त सिचव (उर्वरक)--मदस्य
- 3. निदेणक (प्रशासन)--सदस्य।

टिप्पण: सीबे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पूष्टि से संदेबित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा ग्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा द्यायोग के श्रध्यक्ष या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

4

5000 रुपये

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

आयुक्त *02 साधारण केन्द्रीय (उरवेक) 1997 सेवा समूह "क" *कार्यभार के राजपन्नित, ग्राधार पर श्रननुसचिवीय परिवर्तन किया जा सकता है।

2

1

3700-125- लागू नहीं 50 वर्ष में श्रधिक नहीं 4700-150- होता

6

5

केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी है किए गए श्रनुदेशों या ब्रादेणों के ब्रनुसार सर-कारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथित की जा सकती है।

नहीं ।

टिप्पण-आय-सीमा अवधारित करने के लिए निगयिक तारीख भारत में ग्रभ्यथियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ग्रन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीखाजी ग्रसम, सेघालय, ग्रुरुणा-चल प्रदेश, मिजोरम, मणिपूर, नागालैण्ड, विपुरा, सिक्किम, जम्म्-क#मीर, राज्य केल द्वाख खंड, हिमचाल प्रदेश के लाहील श्रीर स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड अन्दमान यौर निकोबार हीप या लक्षद्वीप के श्रभ्यश्यियों के लिए विहित की गई है)।

9

10

श्रावश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मे कुषि/रसायन/मृदा विज्ञान/पाटपरोग विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव/रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाण विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) निम्नलिखित में दस वर्ष का अनुभवः
- (क) उर्वपक संवर्धन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उपयोग करने के लिए नीतियां/स्कीमें बनाना।
- (ख) कार्बेनिक खाट या जैव उर्वरक या मृदा परीक्षण के विकास या उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण।
- टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा मुर्आहत ऋष्यथियो की दणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार णिथिन की जा सकती है।
- टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्ह्ता (अर्ह्ताएं)
 संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार
 अनुसूचिन जानियों और अनुसूचिन जनजातियों के अभ्यिथियों की दशा में तब
 शिथिल की जा सकती हैं (है) जब चयन
 किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग
 की यह राय है कि उनके लिए
 अपिक्षत सिन्तयों को भरने के लिए
 अपिक्षत अनुभव रखने वाल उन समुदायों के अभ्यिथियों के पर्याप्त संख्या
 में उपलब्ध होने की संभायना नहीं है।
- वांष्ठनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से श्रावश्यक ग्रह्ता (i) में उपदर्शित किन्हीं विशेषताश्रों में पी एच.डी. या समतुल्य।
 - (ii) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना और मृदा परीक्षण सवाक्षी में अनुभव।
 - (jii) उर्वरकों के उपयोग में काय विस्तार फ्रीर प्रदर्शन परीक्षण करने का अनुभव।

ग्रायु : नहीं ; शैक्षिक अर्हताएं हां सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

1.2

प्रोन्नित/प्रतिनिय्क्ति पर स्थानान्तरण (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रल्प-कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा।

1018

प्रोन्नित/प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरण (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रहप-कालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपश्रमो/ग्रर्ड सरकारी / स्वणासी निकायों/कान्नी संगटनों के ब्रधीन ऐसे ब्रधिकारी :

- (क)(i) जो नियमित ब्राधार पर सद्गापद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने 3000-4500 रुपये या समतुल्य वैतन-मान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमति सेवा की है : भा
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे पती किए जाने बाले ब्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रहेताएं ग्रोट् अनुभव है।
 - (ii) ऐसा विभागाय उपायतन (उर्वरक) परियोजना निदेशक (उर्घरक) के साथ प्रतिनिध्कत व्यक्तिया के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में पाच वर्ष नियमित सवा की है श्रीर यदि पट पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रन्य संगटन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइरबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रवधि, है, साधारणतया 4 (चार) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनिय्क्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा निय्क्ति के लिए श्रधिकतम श्राय सीमा श्रावेदन प्राप्त करने की ग्रान्तिम तारीख को 56 वर्ष वर्ष से श्राधिक नहीं होगी।

13

14

विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिए) :---

संघ लोक मेवा श्रायोग से परामर्श करना श्रावश्यक है।

- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)--- प्रध्यक्ष ;
- संयुक्त सचिव (उर्वरक)--सदस्य ;
- 3. निवेशक (प्रशासन)--सदस्य।

टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्ति की पुष्टि में सर्वाधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां सघ लोक रोवा भ्रायोग के भ्रनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय श्रोफ़ित समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

भाग (11—— क्षेत्र ३ (1)]			राजापता - मन्द्रवरा ठ, ।	0.1.4		1013
1	2	3	Ĭ	5	9	7
महायक स्रायुक्त (रसायन ग्रीर उर्वरक)	01* (1997) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह ''क'' राजपित्रत, श्रननुसिचर्वाय	3000-100- 3500-125- 4500 रुपये	लाग् नहीं होता	40 वर्ष से श्रीधक नहीं हिप्पण : श्रीय संभा अवधारित करने के लिप निर्णायक नारीख भारत में अभ्यथियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियमत का गई श्रीतम तारीख होती। (न कि वह श्रीतम तारीख होती। (न कि वह श्रीतम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, शिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मित्रिकम, जम्म- कण्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाख खंड, पार्गा उपखंड, श्रीदमीन श्रीर निकाधार हीप या लक्षहीप के अभ्यथियों के लिये विहित की गई है।)	नही
8			9	٠.	10	

ग्रावश्यक:

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्विवद्यालय से कृषि/कृषि रसायन/मृदा विज्ञान/पादप रोग विज्ञान/रसायन विज्ञान/ जैव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य । स्रायुः नहीं मौक्षिक स्रहेताएं : हों। र्माधे भर्ती क्रिये जाने वाले व्यक्तियों के निये एक वर्षे

(2) कार्बनिक खाद या जैव उर्वरक के विकास में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: 1. अर्हनाएं अन्यथा सुव्यहित अभ्यथियों की वणा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल को जा सकर्ता है।

टिप्पण: 2 अनुभव संबंधो अर्हता (अर्हताये) सोघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुस्चित जातियो और अनुस्चित जन-जातियों के अभ्यायियों की देणा में तब शिथित की जा सकती है (हैं) जब चयन के कियी अक्षम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभवं रखने वाले उन सम्दायों के अभ्यायियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय: --

- (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संक्षावश्यक अर्थुता(1) में उपदर्शित किसी विशेषज्ञता में पी.एच.डी. या समत्त्वा
- (2) क्षेत्र प्रदर्शन परीक्षण बनाने और उर्वरक संवर्धन कियाकलाप का अनुभव।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत प्रत्पकात्तिक संविदा भी है) जिसके ना हो। सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11

12

प्रोप्तति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांन्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक सविदा सी ई)

केर्न्याय/राज्य सरकारो/पब्लिक सैक्टर उपक्रमो/स्रर्क्क सरकारी/स्वगासी निकायों/कानुनी संगठनो के स्रर्धान ऐसे अधिकारी:---

(क)(ा) जो निर्यामत स्नाधार पर सद्श पदधारण किसे हुए है; या

(2) जिन्होंने 2200-4000 है. या समतृत्य बैतनमान वाले पदा पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

- (3) जिन्होंने 2000-3500 र. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर फ्राठवर्ष नियमित सेवा की है; श्रीर
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक अर्दतार्थे और अनुभव है।
- (2) ऐसा विभागीय सहायक निदेशक (खाद) के साथ प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियक्ति के लिये उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नित हारा भरा गया सममा जायेगा।

प्रतिनियुक्ति की श्रविध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/जिसाग में इस नियुक्ति से ठीउ हो उत्तरित्त किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रविध है, साधारणतया 3(तोन) वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत श्रत्यकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम श्रायु मीमा श्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रिधक नहीं होगी।

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिये) :

संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना श्रावण्यक है।

- 1 संयुक्त मचिव (प्रशासन) --- अध्यक्ष
- 2 संयुक्त सचिव (उर्वरक)--सदस्य
- 3 निदेणक (प्रशासन)--सदस्य

टिप्पण : सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जार्येगी। किन्तु यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागाय प्रोन्नित समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष या किसो सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

3 सहायक निदेशक o 1* साधारण केन्द्रीय यमन 35 वर्ष से ऋधिक नही 2200 - 75 -नहीं (खाद) सेवा समृह ''क'' टिप्पण : श्राय्-सीमा श्रवधारित (1997)2800-द. रो.-^अकार्यभागके ६ ें के लिये निर्णायक तारीख राजपत्नित 100-4000 €. ग्रनन्सचिवीय श्राधार पर भारत में सम्याधियों से श्रावेदन प्राप्त करने 👉 पि नियत की गई परिवर्तन किया जा अंतिम तारीख है। 🕃। (न कि वह सकता है। श्रीतम तारीख जो श्रस 👝 घालय, श्रम्णाचल प्रदेश, मिजोरम, 🐦 एर नागालैंड, व्रिप रा, सिविकम, जम्झ-कश्मीर राज्य के लद्दाखा खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहील श्रीर स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड श्रंदमान श्रौर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के ग्रभ्यश्रियों के लिये विहित की गई है।)

8

9

10

एक वर्ष

श्रावश्यक :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/कृषि रसायन/मुदा श्रायु: नहीं विज्ञान/पादप रोग विज्ञान/रसायन विज्ञान/जैव रसायन/ भौक्षिक श्रर्हतायें : स्तम्भ 12 में सुध्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान में मास्टर डिग्री या

उपदर्शित सीमा तक ।

समत्त्य ।

(1) कार्बनिक खाद या जैव उर्वरक के विकास में तीन वर्षकाश्चन्भव ।

टिप्पण: 1. प्रह्तायें अन्यथा मुश्रहित श्रभ्यश्यों की दशा में संघ लोक सेवा प्रायोग के विवेकान्सार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) संघलोक सेवा आयोग के विवेकान्मार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्याथियों की दशा में तब शिथिल की जासकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा श्रायोग यह राय है कि उनके लिये श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिये श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाले उन समुदायों श्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय:---

- (1) श्रपिणघ्ट सामग्री से उर्वरकों का उपयोग/कपांस्ट उत्पादन कार्य/विकास स्कीमों का श्रनभव।
- (2) क्षेत्र प्रदर्शन परीक्षण बनाने श्रीर उर्वरक संवर्धन त्रियाकलाप का श्रनभव।

12

प्रोक्तिति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके प्रन्तर्गत प्रत्यकालिक संविदा भी है) दोनों के न हो सानने पर सीधी भर्ती द्वारा।

1022

प्रोन्नति :

ऐसा विभागीय प्रधिकारी (खाद) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसा ज्येष्ट तकनीकी सहायक (खाद) अयेष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन और उर्वरक) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास कम से कम किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय सेडिग्री हो या समतुल्य।

टिप्पण : I प्रोन्नित के लिये पान्नता सुची ग्रधिकारियों हारा ग्रपनी-ग्रपनी श्रेणीपद परविहित ग्रईक सेवा पुरी करने की तारीख के प्रतिनिर्धेण से तैयार की जायेगी।

टिप्पण: II जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति के संबंध में जिन्होंने श्रपनी प्रर्हेक/पान्नता सेवा पुरी कर ली है प्रोन्नति के लिये **वि**चार किया जारहा हो बहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यहतवजब कि उनके द्वारा की गई श्रर्हक/पासता सेवा से एक वर्ष से श्रधिक से कम न हो श्रीर उन्होंने श्रपनी परिवीक्षा की प्रविध, यदि विहित हो सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके भ्रन्तर्गत भ्रह्पकालिक संविदा भी है):

- केन्द्रीय/राज्य/सरकारों/पब्लिक सैक्टर उपऋम/**प्रर्ध** सरकारी/स्वमासी निकायों/कानुनी संगठनों के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी:---
- (क)(i) जो नियमित श्राधार पर सदृश पदधारण किये हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने 2000-3500 र. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या
- (iii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान बाले पदों पर सात वर्ष नियमित सेवा की है; श्रौर
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के प्रधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित गैक्षिक महितायें मौरमन्भव है।
- (प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि जिसके भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियक्ति की श्रवधि है, साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी।
- प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत श्रस्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56वर्ष से अधिक नहीं होगी।

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिये)

प्रत्येक प्रवसर पर संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करना श्रावण्यक है।

- 1. श्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग---श्रध्यक्ष
- 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)---सदस्य
- 3. संयुक्त सिचव (उर्वरक)---सदस्य
- 4. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)---सवस्य

विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि के लिये)

- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)--- प्रध्यक्ष
- 2. संयुक्त सिवव (उर्वरक)---सदस्य
- 3. निवेशक/उप सचिव (प्रशासन)---सदस्य

टिप्पण :--सीघे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोम्मृति सामिति की कार्यवाहियां संब लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जार्येगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन महीं करता है तो विभागीय ओन्निति समिति की बैठक संब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
हायक विकास श्रधिकारी (खाद)	01* (1997) *कार्यभार के प्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपन्नित भ्रतनुसचिवीय	2000-60 2300-इ.रो 75-3200- 100-3500 रुपये	लागू नहीं होता	30 वर्ष से श्रीधक नहीं टिप्पण: श्रायु सीमा श्रवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में श्रश्यियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेधालय, श्रहणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्याधियों के लिये विहित की गई है)।	नहीं
. <u> </u>	8			9	10	
े _{मृ} दा विज्ञान/प	दिप रोग विज्ञान <i>।</i> जीव विज्ञान/जीव	द्यालय से कृषि/कृषि 'रसायन विज्ञान/जैव गणु विज्ञान में मास्टर		ागू नहीं होता	दो वर्ष	

टिप्पण : 1. अईतार्थे अन्यथा सुर्आहत अभ्यथियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

·) जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा घायोग की यह रा लिये ग्रमेक्षित श्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के अरम्पर्थिय
वांछनीय :	
(i) भ्रपक्षिष्ट सामग्री से उर्वरकों का उपयोग/क्रपोस्ट उत्पादन	र्ह्मार्य/विकास स्कीमों का भ्रनुभव।
(ii) क्षेत्र प्रवर्शन परीक्षण करने और उर्वरक संवर्धन क्रियाकलाप	का धनुभव।
11	12
सीधी भर्ती अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या प्रध्ययन छुट्टी या किन्हीं घन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे मधिक भवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से नियुक्ति, प्रधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरी जा सर्कोंगी:—— (क) (i) जो नियमित ग्राधार पर सदृश पष धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1640–2900 स्पये या समतुल्य वेसनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तभ 8 के प्रधीन सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित ग्रर्हतायें और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिये ग्रधिकतम ग्रायु-सीमा ग्रावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से ग्रधिक नहीं होगी)।	सागू महीं होता
13 विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिये): संघ	14 जोक सेवा जायोच से परामर्श करना श्रावश्यक है।

- 1. संयुक्त सिवव (प्रशासन) -- प्रध्यक्ष
- 2. संयुक्त सिंख (उर्वरक)--सदस्य
- 3. निदेणक/उप सचिव (प्रणासन)--सयस्य

टिप्पण :-- सीधे भर्ती किये जाने बाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा प्रायोग के प्रनुमोदनार्थ भेजी जार्येगी। किन्तु यदि प्रायोग उनका प्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की प्रध्यक्षता में फिर से होगी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 15th January, 1997

- G.S.R. 77.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (1) the Department of Agriculture and Cooperation, Joint Commissioner (Fertiliser) Recruitment Rules, 1984 (ii) the Department of Agriculture and Cooperation, Deputy Commissioner (Fertiliser) Recruitment Rules, 1989 (iii) the Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Commissioner (Chemical & Fertiliser) Recruitment Rules, 1988, (iv) the Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Director (Manures) Recruitment Rules, 1990, and (v) the Department of Agriculture and Cooperation, Assistant Development (Manure), Recruitment Rules, 1973 except respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to certain technical Group 'A' & 'B' posts in the Fert liser Division under the Department of Agriculture and Cooperation, namely :--
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Agriculture and Cooperation, Fertiliser Division (Group 'A' & 'B' posts) Recruitment Rules, 1997.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of the posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the rules.

- 3. Method of recruitment, age limit and other qualification etc.—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be illegible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classi	ication	Sale of Pay (Rs.)	
1	2	3		4	
Joint Commissioner (Fertilizer)	01* (1997)	GCS Group A Gazetted, Non-Ministerial		, Rs. 4100-125-4850-150-5300	
*Subject to variation dependent	on workload.				
Whether selection or non- selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible		tional & other qualification ed for direct recruits	
5	6	7		8	
Not applicable	Not exceeding 50 years	No		al : ster's Degree in Agriculture/ cultural Chemistry/Soil Scien-	

5

Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

8

ces/Plant Pathology/Chemistry/ Bio-Chemistry/Micro-Biology/Bacteriology from a recognised University or equivalent.

- (ii) 10 years experience in;
- (a) formulation of policies/Schemes for Planning and use of fertilizer promotion programmes;
- (b) development of organic manure or bio-fertilizer, or soil testing, or fertilizer quality control.

Note 1: Qualifiactions are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from this communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Ph.D. in any of the specialisations indicated in Essential Qualification (i) From a recognised University or equivalent.

Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancy to be filled by various methods

9

10

11

Age: No

Educational Qualification: Yes

One year for direct recruits

Promotion/transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to. be. consulted in making recruitment

Public Service Commis-

sion necessary.

12

13

14

Promotion/transfer on deputation (including short term contract): Officers under Central/State Governments/ Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Autonomous Bodies/Statutory organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or

- (ii) with three years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3700-5000/5700 or equivalent, or
- (iii) with eight years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
- (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruit under column 8.
- II. The Departmental Deputy Commissioner (Fertilizer)/Project Director (Fertilizer) with three years regular service in the grade willl also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 (four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Departmental Promotion Committee Consultation with Union (for confirmation)

- 1. Joint Secretary (Administration) ---Chairman
- 2. Joint Secretary (Fertilizer)—Member
- 3. Director (Administration)-Member

Note; The Proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation to a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committe to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4	5
Deputy Commissioner (Fertilizer)	*02 (1997)	GCS Group A Gazetted, Non- Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150- 5000	Not applicable

7

8

Not exceeding 50 years

- Note 1: Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
- Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdweep).

No Essential:

- (i) Master's Degree in Agriculture/Agricultural Chemistry/Soil Sciences/Plant Pathology/Chemistry/Bio-Chemistry/Micro-Biology/Bacteriology from a recognised University or equivalent.
- (ii) 10 years experience in:
- (a) implementation of Policies/Schemes for Planning and use of fertiliser promotion programmes;
- (b) development of organic manure or bio-fertiliser, or soil testing or fertiliser Quality Control.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified.
- Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Ph.D. in any of the specialisations indicated in Educational Qualification
 - (i) From a recognised University or equivalent.
 - (ii) Experience in establishing soil testing laboratories/Soil testing services.
 - (iii) Experience of extension work in use of fertilisers and laying out demonstration trials.

9

10

11

- Age : -

No Educational Qualification: Yes

One year for direct recruits

Promotion/transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

-Chairman

12

13

14

Promotion/transfer on deputation (including short term contract)

- Officers under Central/State Government/
 Public Sector Undertakings/Semi-Govt./
 Autonomous Bodies/Statutory organisations:
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
- (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- II. The Departmental Assistant Commissioner (Chemicals and Fertilisers) with five years regular service in the grade will also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 (four) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Departmental Promotion Committee Consultation with U.P.S.C. (for confirmation) necessary

- (for confirmation) necessary

 1. Joint Secretary (Administration)
- 2. Joint Secretary (Fertiliser)-Member
- 3. Director (Administration)—Member

Note: The Proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation to a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4	5
Assistant Comm'ssioner (Chemical and Fertilis r) *Subject to variation dependent	01* (1997) on workload.	GCS Group A Gazetted Non-Ministerial	Rs. 3000-100-3500-125- 4500	Not applicable
	. 			

6	7	8
Not exceeding 40 years The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and	No	Essential: (i) Master's Degree in Agriculture/Agricultural Chemistry/Soil Sciences/Plant Pathology/Chemistry/Boi-Chemistry/
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Armachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & spiti District and Pangi Sub division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Micro-Biology/Bacteriology from a recognised University or equivalent.

8

(ii) 5 years experience in development of organic manure or bio-fertiliser.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates be-Scheduled Castes longing to Scheduled Tribes, if at any stage Public of selection. the Union Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be availabe to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- (i) Ph.D. in any of the specialisations indicated in Educational Qualification:
 - (i) From a recognised University or equivalent.
 - (ii) Experience in laying out field demonstration trials and fertiliser promotion activity.

9	10	11	12
Age: No Educational Qualification: Yes	One year for direct recruits	Promotion/transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment	Promotion/transfer on deputation (including short term contract) Officers under Central/State Govts./Public Sector Undertakings/Semi-Govt./Autonomous Bodies/Statutory organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2200-4000 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in the posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and

- (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- II. The Departmental Assistant Director (Manures) with five years regular service in the grade will also be considered alongwith deputationists and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/Department of 6 the Government shall ordinarily not exceed 3 (Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications)

13

14

Departmental Promotion Committee for confirmation

Consultation with U.P.S.C. necessary

- 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman
- 2. Joint Secretary (Fertiliser)—Member
- 3. Director (Administration)—Member

Note: The preceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation to a direct recruit shall be sent to the commissioner for approval, If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1 2 3 4 5 01* Assistant Director GCS Group A Gazetted. Rs. 2200-75-2800-EB-100-Selection (Manures) (1997)Non-Ministerial 4000. *Subject to variation dependent on workload.

6

Not exceeding 35 years.

The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from c: ndidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Ar machal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

7 No

Essential:

(i) Master's Degree in Agriculture/Agr cultural Chemistry/Soil Sciences/Plant Pathology/Chemistry/Bio-Chemistry/ Micro-Biology/Bacteriology from a recognised University or equivalent.

8

- (ii) 3 years experience in development of organic manure or biofertiliser.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified.
- Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

- Experience of fertilisers use/compost production work/development schemes from waste material.
- (ii) Experience in laying out of field demonstratoin trials and fertiliser promotion activity.

9

10

11

12

Age: No

One year Educational Qualification: No The extent indicated in column 12.

Promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment

Promotion:

Assistant Development Officer (Manures) with 3 years regular service in the grade or Sr. Technical Assistant (Manures)/ Sr. Technical Assistant (C&F) with 7 years regular service in the grade and possessing at least a degree in Agriculture from a recognised University or equivalent.

Note I: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of complet on by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/posts.

Note II: Where juniors who have completed their qualifying /eligibility servic e are being considered for promotio their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have succes fully completed their probation perio sif prescribed.

Transfer on deputation (including shortterm contracct:

- Officers under the Contral/State Govts./ Public Sector undertakings/Semi-Govt./ Autonomous bodies/Statutory organisation:
- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
 - (ii) with three year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 2000— 3500 or equivalent; or
- (iii) with 7 years regular service in the posts in the scale of Rs. 1600-2900 or equivalent; and
- (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Go. vernment shall ordinarily not exceed 3(Three) years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

13

14

Departmental Promotion Committee for Promotion

Consultation with Union Public Service

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman Commission necessary on each occasion.

- 2. Joint Secretary (Administration)—Member.
- 3. Joint Secretary (Fertiliser) Member
- 4. Director/Deputy Secretary (Administration)-Member

Departmental Promotion Committee for confirmation:

1. Joint Secretary (Administration)—Chairman

- 2. Joint Secretary (Fertiliser)—Member
- 3. Director/Deputy Secretary (Administration)—Member

Note: The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation to a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4 5	6
Assistant Development Officer (Manures)	01* GCS Group 2000-60-2300- Not applicable (1997) B Gazetted EB-75-3200-100- Non-Ministerial 3500		ble Not exceeding 30 years. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt	
*Subject to variation dep	oendent o	n workload.		of application from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.)
7	8			9
No		Essential :		Not applicable
	(Chemistry/Soil S Chemistry/Bio-Cl	e in Agriculture/Agricultural sciences/Plant Pathology/ nemistry/Micro-Biology/ m a recognised University	l
	((ii) 2 years experie manure or bio-fo	ence in development of organ	nic
	;	discretion of Un	tions are relaxable at the tion Public Service Commiss dates otherwise well-qualified	
		is/are relaxable a Public Service C belonging to Sch	fication(s) regarding experient the discretion of the Union Commission in case of cadidated alled Castes or Scheduled stage of selection, the Union	n ites

Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these

9 8 communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Experience of fertilisers use/compost production work/development schemes from waste material. (ii) Experience in laying out field demonstration trials and fertiliser promotion activity. 11 12 10 Direct Recruitment: Not appliable Two years Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation basis by the appointing authority from officers of Central government. (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) With 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.) 13 14 Departmental Promotion Committee for confirmation

- 1. Joint Secretary (Administration)—Chairman
- 2. Joint Secretary (Fertiliser)-Member
- 3. Director/Deputy Secretary (Administration)- Member

Note: The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation to a direct recruit shall be sent to the commission for approval. If however, these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held.

Consultation with Union Public Service Commission necessary.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997

सा.का.नि. 78:---राष्ट्रपति, संविधान के धनुच्छेद 309 के परन्तुक बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के द्वीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ठ तकनीकी सहायक यांत्रिक,) भर्ती नियम, 1995 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, प्रयात्:---

- 1. (1) इन नियमों का संजिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (ज्येष्ठ तकनीकी सहायक यांद्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1996 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
 - 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ट तकनीकी सहायक यांत्रिक) भर्ती नियम, 1995 की अनुसूची में---
 - (1) स्तम्भ 5 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, भ्रयात् :----
 - (2) स्तंभ 11 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्निखिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, श्रयात् :-
 "50 प्रतिशत प्रोन्निति द्वारा; और

 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।"

[फाइल सं. 23/1/93-जी. डब्ल्यू] इन्दुभूषण कर्ण, उप सर्विव

टिप्पण :--- मूल नियम, भारत के राजपन्न में संा. सा.नि 304, तारीख 24-06-1995 द्वारा प्रकाशित किये गये।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th January, 1997

- G.S.R. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President, hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board (Senior Technical Assistant Mechanical) Recruitment Rules, 1995, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Senior Technical Assistant Mechanical) Recruitment (Amendment) Rules, 1996.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Senior Technical Assistant Mechanical) Recruitment Rules, 1995,—
 - (i) in column 5, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:—

"Non-Selection.";

(ii) in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"50 per cent by promotion, and 50 per cent by direct recruitment".

[File No. 23|1|93-GW]
I. B. KARN, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 304 dated 24-6-1995.

(केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड)

नई विल्ली, 22 जनवरी, 1997

- सा. का. नि. 79 :—-राष्ट्रपति, संविधान के धनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्यात्:—
- (1) इम नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमि-गत जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह 'घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होंगें।
- 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1971 की धनुसूची में, निम्न श्रेणी लिपिक के पद के सामने :---
- (क) स्तंभ 11 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्म-विखित रखा जाएगा अर्थात्
 - "(1) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन घायोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

- (2) 10 प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे समूह "घ" कर्मचारीवृद में से कर्मचारी पयन श्रायोग के माध्यम से ली जाने वाली विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के श्राधार पर भरी जाएंगी जिनके पास मैद्रिकुलेशन या समतुल्य शहैताएं है और समूह "घ" में पांच वर्ष से श्रन्यून नियमित सेवा की है। इस परीक्षा की पान्नता के लिए श्रधिकतम श्रायु सीमा 45 वर्ष है (श्रनुसूचित जाति/श्रनुसूचित जनजाति के श्रभ्यांथयों के लिए श्रायु सीमा 50 वर्ष)।
- (3) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्टता-सह-उपयुक्तता के श्राधार पर केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के ऐसे समूह "घ" कर्मचारियों में से भरी आएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या समतुख्य श्रर्हता है।

टिप्पण :---

- (क) विकाष्ट वर्ष में न भरी गई रिक्सियां मग्रनील नहीं की आएंगी।
- (ख) यदि खंड (ii) के श्रधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से श्रधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में श्रह्ता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे श्रभ्यियों की ऐसी श्रधिक संख्या पर पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा उसके पश्चात् यह पैनल श्रसफल हो जाएगा।
- (ग) पांच वर्ष की सेवा की गणना उस वर्ष की पहली ध्रक्तूबर को की आएगी जिस वर्ष में भर्ती की आती है।
- (घ) विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के झाधार पर निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को दो वर्ष के भीतर टंकण परीक्षा में ग्राह्ता प्राप्त करनी होगी और जो झहेंता प्राप्त नहीं करते हैं उन्हें समूह "घ" पद पर प्रतिवित्ति किया जाएगा। तथापि वे तब तक वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे जब तक छह मास के भीतर टंकण परीक्षा में ग्रहीता प्राप्त नहीं कर लेते।"
- (ख) स्तंभ 13 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-लिखित रखा जाएगा, ग्रर्थातु :----

"प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :

- 1. निवेशक (प्रशा.) श्रिधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमि गत जल बोर्ड --- अध्यक्ष
- 2. एक श्रधिकारी जो विज्ञानी-ग/कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीवे का म हो, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य

- 3. श्रन्सूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रधि-कारी जो विशान-ग/कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का ग हो —-सदस्य
- 4. केन्द्रीय सरकार के किसी भ्रन्य विभाग से एक ग्रिधकारी जो विज्ञानी-ग/कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति नीवे का न हो ——सदस्य

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :

- 1. निवेशक (प्रशा.) प्रधीक्षण इंजीनियर, केन्द्रीय भूमि-गत जल बोर्ड —-ग्रध्यक्ष
- 2. एक भ्रधिकारी जो विज्ञानी-ग/कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —-सदस्य
- 3. प्रशासनिक श्रधिकारी, केन्द्रीय भूमियत जल बोर्ड ---सदस्य
- टिप्पण :--निवेशक (प्रशा.) की श्रनुपस्थित में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

[फाइल सं. 23/1/96-जी. डब्स्यू-I] इन्द् भूषण कर्ण, उप सचिव

- टिप्पण :---मूल नियम कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की श्रिष्ठसूचना सं. सा. का. नि. 1535 के द्वारा तारीख़ 16-10-71 को भारत के राजपत्न भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 4244 से 4247 पर प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्न- लिखित द्वारा संगोधन किए गए :----
 - (1) भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित 3 सितम्बर, 1977 की सरकारी ग्रिधिमुचना सं. 1149 ।
 - (2) भारत के राजपन्न भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 1933 से 1934 पर 29 ग्रगस्त, 1981 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 799।
 - (3) भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (1) में पृष्ट 3083 से 3085 पर 22 दिसंबर, 1990 की सरकारी श्रक्षिसूचना सं. सा. का. नि. .764 ।

(Central Ground Water Board)

New Delhi, the 22nd January, 1997

- G.S.R. 79.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—
 - (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Group C and D posts) Recruitment (Amendment) Rule. 1997.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Qazette.
- In the Schedule to the Central Ground Water Eoard (Group C and D posts) Recruitment Rules, 1971, against the post of Lower Division Clerk
 - (a) in column 11, for the entries, the following shall be substituted, namely:—
 - "(i) 85 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission.
 - (ii) 10 per cent of the vacancies shall be filled un from amongst the Group 'D' Staff of Central Group Water Board who possess matriculation or equivalent qualifications and have rendered five years regular service in the Group 'D' on the basis of departmental competitive examination through Staff Selection Commission. The maximum age limit for eligibility for the examination is 45 years (50 years of age for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates).
 - (iii) 5 percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Groun 'D' employees of Central Ground Water Board who possess matriculation or equivalent qualification.
- Note (a).—Unfilled vacancies pertaining to a particular year shall not be carried over.
- (b) If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualify at the said examination such excess number of candidates shall be considered for filling up the vacancies prising in the subsequent two recruitment years whereafter the panel will become infructuous.
- (c) 5 years service will be reckoned as 1st October of the year in which the recruitment takes place.
- (d) Those appointed as Lower Division Clerk on the basis of departmental competitive examination should qualify in typing test within two years and those who do not qualify would be reverted to Group 'D'. They will however not draw increments until they qualify in typewriting test within the period of six months.
- (b) in column 13, for the entries, the following shall be substituted, namely:—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :-

- Director (Admn.)/Superintending, Engineer, Central Ground Water, Board.
- Chairman.
- An Officer not below the rank, of Scientist-C/Executive, Engineer. Central Ground, Water Board.
- Member.
- An Officer not below the rank, of Scientist-C/Executive, Engineer belonging to, Scheduled Caste/Scheduled Tribe — Member.
- An Officer not below the rank, of Scientist-C/Executive.
 Engineer from other Central, Government Department.
- Member.

Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of :---

Director (Admn.)/Superintending,
 Engineer, Central Ground Water,
 Board. — Chairman.

- An Officer not below the rank, of Scientist-C/Executive, Engineer. Central Ground. Water Board.
- Member.
- 3. Administrative Officer, Central, Ground Water Board.
- Member.

Note.—In the absence of Director (Admn.) Senior Administrative Officer, Central Ground Water Board would function as Member of the Departmental Promotion Committee."

[F. No. 23/1/96-GW-1]I. B. KARN, Dy. Secy.

- Note.—The Principal Rules were published in the Gazette of India Part-II Section-3, sub-section (i) dated 16-10-71 at pages 4244 to 4247 vide Government notification, Ministry of Agriculture No. GSR 1535 and subsequently amended by :—
 - Government Notification No. 1149 of 3rd September, 1977 published in Gazette of India Part-II Section-3, sub-section (i).
 - (2) Government Notification No. GSR 799 of 29th August, 1981 in Gazette of India Part-II Section-3, sub-section (i) at pages 1933 to 1934.
 - (3) Government Notification No. GSR 764 of 22nd December, 1990 published in Gazette of India Part-II Section-3 sub-section (i) at pages 3083 to 3085.

परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई, 22 जनवरी, 1997

सा. का. नि. 80 :—राष्ट्रपति, संविधान के ध्रनुच्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त गिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक) (कार्मिक)! निदेशक, साधारण सेवा संगठन और उप मुख्य कार्यपालक (प्रणासन और लेखा) भर्ती, नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ध्रथीत्:—

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक) (कार्मिक)/निदेशक, साधारण सेवा संगठन और उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन और लेखा) भर्ती (संशोधन) नियम, 1997 है।
- (2) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक) (कार्मिक) । निदेशक, साधारण सेवा संगठन और उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन और लेखा) (भर्ती नियम, 1988) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है के नियम 1, उप नियम (क) में, (निदेशक) (कार्मिक) । निदेशक, साधारण सेवा संगठन और उा मुख्य कार्यपालक (प्रशासन और लेखा) कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर प्रधान, कार्मिक प्रभाग, निदेशक, (कार्मिक/प्रणासन) और उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन और उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन और लेखा) कोष्ठक और शब्द रखे आएंगें।
- 3. उक्त नियम की ग्रनुसूची में स्तंम 12 में, प्रोप्तति शीर्षक के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न-लिखित रखा जाएगा।

"केन्द्रीय प्रशासनिक काउर के ऐसे प्रधिकारी जिन्होंने 3700-125-4700-150-5000 रु. की श्रेणी में न्युन्तम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।"

. उक्त नियम की धनुंभूची में स्तंभ 12 में विद्यमान टिप्पण को टिप्पण 1 के रूप में संदर्भाकित किया जीएगा और उसके पण्डात् नियनिनिधित टिप्पण अंतः स्थापित किया जीएगा।

टिप्पण 2:— "जहां ऐसे किनाठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने यपनी सर्हक/पासता सेवा पूरी कर ली है, प्रोक्षित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित प्रहें का/पातता सेवा से एक वर्ष से प्रधिक से कम न हो और उन्होंने श्रपनी परिवीक्षा अवधि, यदि यहित हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।"

टिप्पण 3 :---''चयन पात्र ध्रभ्यियों के साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा।''

> [सं. 20/1/8/86-सी.सी.एस./75] के. रवीन्द्रन, श्रवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपन्न भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में सा. का. नि. सं. 969 तारीख 17-12-88 द्वारा ग्रिधसूचित किया गया था।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai, 22nd January, 1997

G.S.R. 80.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department

- of Atomic Energy, [Director (Personnel)/Director, General Services Organisation and Deputy Chief Executive (Administration and Accounts)] Recruitment Rules, 1988, namely:—
 - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy [Director (Personnel)/Director, General Services Organisation and Deputy Chief Executive (Administration and Accounts)] Recruitment (Amendment) Rules, 1997.
 - 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Department of Atomic Energy [Director (Personnel)/Director, General Services Organisation and D-puty Chief Executive (Administration and Accounts)] Recruitment Rules, 1988, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 1, in sub-rule (a), for the brackets and words [Director (Personnel)/ Director, General Services Organisation and Deputy Chief Executive (Administration and Accounts)], the bracket and words [Head, Personnel Division. Director (Personnel/Administration) and Deputy Chief Executive (Administration and Accounts)] shall be substituted.
- 3. In the said rules, in Schedule in Column 12, under the heading Promotion for the existing entry, the following shall be substituted.
 - "Officers of the Centralised Administrative Cadre having a minimum regular service of 5 years in the grade of Rs. 3700-125-4700-150-5000."
- 4. In the said rules, in Schedule in Column 12, the existing note will be numbered as Note 1 and the following notes shall be inserted.
 - "Note 2.—"Where the juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of their requisite qualifying eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation, if prescribed".
- NOTE 3.—"The selection shall be made after interviewing the eligible candidates".

[No. 20/1/8/86|CCS|75] K. RAVEENDRAN, Under Secy.

Footnote.—The principal rules were notified vide G.S.R. No. 969 dated 17-12-88 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (i).

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण महालय

नई विल्ली, 29 जनवरी, 1997

सा. का. नि. 81 :---राट्रपति, संविधान के प्रमुच्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रवस **मक्तियों का प्रयोग करते** हुए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय आंषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई में समूह "क" पद पर भर्ती की प्रति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रर्थात् :---

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म :---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई, (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1997 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाद्यद्व अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिधिष्ट हैं।
- 3 भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, श्रन्य अर्हताएं श्रादि :---उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा श्रन्य श्रर्हताएं और उनसे संबंधित श्रन्य वार्ते वे होंगी जो उक्त अनुसूचो के स्तम्भ (5) से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 201 GI/97---7.

- 4. निर्हेतर :--वह व्यक्ति ---
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने ग्रमने पति या श्रमनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीयें सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के ब्रन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के ब्रधीन बनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए ब्रन्य ब्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से शूट देसकेगी।

- 5 शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है, वहां बहुं उसके लिए जी कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, श्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बाल, ऐसे भ्रारक्षण, ग्रायु-सीमा में छूट और भ्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं आलेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए श्रादेशों के ग्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, ग्रनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और श्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना श्रपेक्षित है।

धनुसूची

पदकानाम	पदों की संख्या	बर्गीकरण ं	वेतनमान	चयन पद श्रयवा श्रचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्य- क्तियों के लिए ग्रायु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फाउदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के प्रधीन प्रनुजेय है या नहीं।
1	2	3	·_ 4	5	6	7
मिवेशक	. 1* (1997) **कार्यभार के श्राघार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	श्ताधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्नित धननुसिषदीय	4500- 150- ·5700 रुपये	लागू नहीं होता	50 वर्ष से प्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए धनुदेशों या धादेशों के प्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी:—धायु-सीमा धव- धारित करने के लिए निर्णा- यक तारीख भारत में ग्रम्यियां से ग्रावेटन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ग्रन्तिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो श्रसम, मेघालय, श्रक्णा- घल प्रदेश, मिजोरम, मणि- पुर, नागालैण्ड, द्विपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लहाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के	हों।

लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और मिको-बार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यथियों के लिए विह्ति की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेक्षित शैक्षिक सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिवीक्षा की स्नवधि यदि कोई हो। और मन्य मर्हताएं लिए विहित श्रायु और शैक्षिक श्रर्हताएं प्रोक्षत व्यक्तियों की दशा में लागु होगी या नहीं।

8

9

10

श्रावश्यकः :

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/ जैव रसायन/भेषज रसायन/सूक्ष्म जीविबद्यान/औषध्र निर्माण विज्ञान/भेषज गुण विज्ञान/शरीर क्रिया विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्नी या समतुल्य।
- (2) किसी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के विभिन्न शाखाओं में औषधि परीक्षण और क्रियाकलाप के समन्वय में 12 वर्ष का ग्रनुभव।

टिप्पण:--1 ग्रहेंसाएं धन्यथा सुर्धाहित ग्रभ्यथियों की दशा में संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :-- 2. प्रनुभव संबंधी प्रहेता (प्रहेताएं) संघ लोक सेवा धायोग के विवेकानुसार धनुसूचित जातियों और प्रनुसूचित जनजातियों के अध्यियों की दशा में तब शियिल की जा सकती हैं (हैं) अब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा धायोग की यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों की भरने के लिए श्रयेक्षित धनुभव रखने वाले उन समुदायों के प्रध्यियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

अांछनीय ः−~

किसी मान्यसा प्राप्त विषयिवद्यालय से सुसंगत विषय मे डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य । भ्रायु : नहीं। मैक्षिक अर्हताएं : हां

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पञ्चतियों द्वारा भरी जाने वासी रिक्तियों की प्रतिशतता ।

प्रोमित/प्रतिनिय्वित/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणयां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

मोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके मन्तर्गत मल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वरा

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रत्य कालिक संविदा भी है):

- केन्द्रोय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ग्रर्द्ध सरकारी स्वशासी या कानुनी संगठनों के ग्राधीन ऐसे ग्राधिकारी:---
- (क) (1) जो नियमित आधार पर सवृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (2) जिन्होंने 3700-5000 रुपये या समतुल्य बेतन-मान बाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या
 - (3) जिन्होंने 3000-4500 रुपये या समतुल्य वेतन-मान बाले पदों पर 10 वर्ष नियमित सेवा की है और
 - (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित मैं क्षिक श्चर्हताएं और घनुभव है।
 - 2. ऐसा विभागीय ज्येष्ठ वैश्वानिक श्रधिकारी--- 1 (रसायन) के साथ बाह्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह पव प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय ग्रधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोक्षति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति संविदा की भविध, जिसके भन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसो अन्य संगठन/विनाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की भवधि है, साधारगतया पांच वर्ष से प्रक्षिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण (जिसके भ्रन्तर्गत भल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा 🔏 नियुक्ति के लिए अधिकतम भ्रायु सीमा ब्रावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संध लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समृह "क" विभागीय प्रीकृति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

प्रत्येक भ्रवसर पर संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श करना भावस्यक है।

- 1. श्रपर समिव/संयुक्त रुचिय, वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय — श्रध्यक्ष
- 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई दिल्ली --सवस्य
- औषधि नियंत्रक (भारत) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली —~सदस्य

टिप्पण :—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोझित समिति की कार्यवाहियां, संब लोक सेवा ग्रायोग के ग्रनुमीदनार्थं भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि ग्रायोग उनका ग्रनुमीदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोञ्जित समिति की बैठक संब चोक सेवा ग्रायोग के ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी।

ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की भ्रध्यक्षता में फिर से होगी।						
श्रनु सूची						
पद कानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रथवा श्रचयम पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए श्रायु-सीमा	सेवा में जीड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशम) नियम, 1972 के नियम 30 के प्रधीन ध्रनश्चेय है या महीं
J	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वैज्ञानिक ग्रिधकारी— 1 (रसायन)	1 [*] (1997) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकसा है ।	साधारण केन्द्रीय सेघा समूह "क" राजपितत अननुसिचिवीय	3000- 100- 3500- 125- 4500 \(\tau \).	लागू नहीं होसा	40 वर्ष से भ्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जार्र किए गए भनुदेशों या आदेशों के भ्रनुसार सरकारी सेवकों के भ्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष सक शिथिल की जा सकती है।) टिपण्णः ——श्रायु-सीमा श्रव-धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में भ्रभ्य-धियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में भ्रभ्य-धियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिए निर्मात की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि बह अंतिम तारीख होगी। (न कि बह अंतिम तारीख जो श्रसम, मेघालय, भ्रक्णा-चल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालंड, त्रिपुरा, सिक्किम अम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहाँख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहाँख अंदर, हिमाचल प्रदेश के लाहाँ अभ्यायियों के लिए बिहित की गई है)।	,

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रंपेक्षित शैक्षिक और ग्रन्थ ग्रहिताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले ध्यक्तियों के परिवीक्षा की भवधि, यदि कोई हो लिए विहित आयु और गैकिक भहताएं प्रोधत व्यक्तियों की दशा में लाग होगी या नहीं

8

9

10

धावश्यकः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/ जैव रसायन/भेषज रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान / औषध निर्माण विज्ञान/भेषजगण विज्ञान/शरीर त्रिया विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) रसायनिक और भौतिक रसायनिक औषधि परीक्षण में पांच वर्ष का मनुभव।

टिप्पण 1:---- महंताएं म्रत्यथा सुमहित सम्याधियों की दशा में अंत्र तो ह से शा भाषोग के नियेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:— मनुभव संबंधी धर्हता (ग्रह्ताए) संघ लोक सेवा धायोग के विवेकानुसार श्रनुसूचित जातियों और धनुसूचित जनजातियों के ग्रभ्यथियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं (है) जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा धायोग की यह राय है कि उनके लिए धारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ध्रपेक्षित धनुभव रखने वाले उन समुदायों के ग्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या अमें उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

ग्रायु: नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानोन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएंगा

11

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके प्रस्तर्गत प्रस्पकालिक संविदा भी है) जिसके नहीं सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अस्पकालिक संविदा भी है):

- 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यलाप्राप्त अमुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/प्रर्द्ध-सरकारी/स्वणासी या कानुनी संगठनों के अधीन ऐसे मधिकारी:----
- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेसनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; ग्रीर
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक मईताएं ग्रीर मनुभव हैं।

2. ऐसे विभागीय ज्येष्ठ वैज्ञानिक प्रधिकारी—II (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के साथ बाह्य व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ग्रीर यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका ध्यन कर लिया जाता है तो बह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक के ऐसे विभागीय श्रिधकारी, जो प्रोन्नति की सीबी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगें इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति /संविदा की अविध, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणत्या चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनयुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अह्मकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा भायोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

- ग्रपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य भौर परिवार कल्याण मंत्रालय ——भ्रध्यक्ष
- 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई विल्ली -- सदस्य
- श्रीषधि नियंसक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निई दिल्ली —सदस्य

टिप्पण:—सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोझित समिति की कार्यवाहियां, संब लोक सेवा ग्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि ग्रायोग उनका ग्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोझित समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी। प्रत्येक श्रवसर परसंघ लोक सेवा भायोग से परामर्थ करना श्रावश्यक है।

			अनुर	म्यो		·
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वें सनमान	षयन पद अथवा अखयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिथिन सेवा (पेंशत) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुजेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	1* (1997) *कार्यभार के आघार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपक्कित अननुसचिवीय	2200-75-2800- द्व०रो०-100- 4000 रू०	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सर- कारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)।	नहीं

टिप्पण :

आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक सारीख भारत में अध्यिषयों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेचालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निको-बार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यश्यियों के लिए विहित की गई है)।

भारत का राजप्रक: फरवरी 8,1997/माभ 19, 1918

सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्जी किए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की अंबींध, याँधे केंद्रि हों के लिए विहित भागु और भौक्षक अईताएं श्रीकृत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

आवश्यक:

लागू नहीं होता

एक वर्ष

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन/जैब रसायन/भेषज रसायन/सूक्ष्मजीव विज्ञान/औषध निर्माण विज्ञान/भेषज गुण विज्ञान/शरीर किया विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान में मास्टर डिग्री या समनुख्य ।
- (ii) प्रयोगारमक भेषज गुण विज्ञान या औषियों के जैब निर्धारण के क्षेत्र में या रासायनिक और भौतिक रासायनिक परीक्षण में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1:

अहंताएं अन्यया सुर्अहित अभ्यथियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2:

अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यिषयों की दशा में तब शिष्णिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक मेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यिषयों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पञ्चति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति कारा या प्रति- प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशन में वे श्रेणियां नियुक्ति/स्थामान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पञ्चतियों द्वारा भरी जाने जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा वाली रिक्तियों की प्रतिगतता

11

12

लागू नहीं हीता

सीधी भर्ती

हिप्पण :

पक्कारी की प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या ग्रध्ययन छुट्टी या किन्हीं ग्रन्य परिस्थितियों के ग्रधीन एक वर्ष या उससे ग्रधिक प्रविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे श्रधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के ग्राक्षार पर भरी जा सकेंगी:---

(क) (i) जो नियमित श्राक्षार फर सक्श पद क्षारण किए हुए हैं ; या

- (ii) जिन्होंने 2000-3500 रु० या समपुरूप वैतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के श्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक श्रष्टीता और श्रनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण क्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम अ।यु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अ'तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय श्रीऋति समिति है हो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सोक मेंबा श्रायोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समृह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :

- 1. संयक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-श्रध्यक्ष
- 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, नई विल्ली---सदस्य
- अधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, मह दिल्ली---सदस्य

टिप्पण :

सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोक्षति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुमोद्यनार्थ भेजी जाएंगी। किन्सु यदि प्रायोग उनका प्रमु-मोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोक्षति समिति की बैठक संघ लोक सेवा प्रायोग के श्रध्यक्ष या किसी सदस्य की प्रध्यक्षता में फिर से होगा।

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श करना श्राबक्यक है।

> [सं॰ ए-12018/2/91-डी एम एस एण्ड पी एफ ए] एन. के. पूष्पाकरन, अवर सचिव

- MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

 New Delhi, the 29th January, 1997
- G.S.R. 81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' post at Central Drugs Testing Laboratory, Bombay in Directorate General of Health Services.
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Central Drugs Testing Laboratory, Bombay (Group 'A' posts) recruitment Rules, 1997.
- (2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedulo annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person.

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		SCHEDULE			
Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pa	\$	Whether selec- tion post or non-selection post
ı	2	3	4	,	5
Director	1* (1997) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non- Ministerial	Rs. 4500-15	60-5700	Not applicable
Age limit for direct r	ecruits		1	Whether beryears of Sounder rule 30 Civil Servicules, 1972	rvice admissible of the Central
	6				7
accordance with the i Note: The crucial da receipt of applications bed for those in Assa Nagaland, Tripura, Si and Spiti district and	instructions or orders is ate for determining the a a from candidates in Ind m, Meghalaya, Arunac ikkim, Ladakh, Division	nment servants upto 5 y sued by the Central Go ge limit shall be the co ia (and not the closing dehal Pradesh, Mizoram of Jammu and Kashmi of Chhamba district of or Lakashadweep)	vernment) sing date for late prescri- , Manipum, r State, Lahaul	Y	es
Educational and other	qualifications required	for direct recruits	qı di	nalifications process	
ىپىرى ادىسە ئەرىنىلىنى <u>سىدىسى، ئىگلىنىدىنى 8 فىستەرىق ھە</u>		8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.
Essential:		(Dhamasania 1 Cham	, -	ge 1 No lucational Qu	alifications
Microbiology/Pha	rmcy/Pharmacology/	ry/Pharmaceutical Chem nysiology/Botany/Veteric	• •	-	mucanous.

E

- from a recognised University or equivalent.
- (ii) 12 years experience in testing of drugs and coordinating the activities of different branches of a drug testing laboratory.
- Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

Doctorate degree in the relevant subject from a recognised University or equivalent.

Period of Probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deput ation/transfer and percentage of the vacancy to be filled by various methods		
10	11		
One Year for direct recenits	Promotion/transfer on deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.		

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

12

Promotion/Transfer on deputation (including short term contract):

- t. Officers under the Central Government/State Governments/Recognised Research Institutions/Public Sector Under takings/Semi-Governments/Autonomous or Statutory Organisations—
 - (a) (i) holding analogous posts on regular basis;

or.

(hi) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent;

Ŏ۲

- (iii) with 10 years' regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and
- (b) passessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- 2. The Departmental Senior Scientific Officer-I (Chomistry) with 10 Years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (period of deputation/contract includint period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 5 years). The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment 13 14 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) Consultation with Union Public 1. Addl. Secretary/Joint Secretary, Ministry of Health and Family Service Commission necessary on Welfare each occasion --Chairman -Member 2. Director General of Health Services, New Delhi 3. Drugs Controller (India), Directorate General of Health Services, New Delhi -Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held. 5 1 2 3 General Central Senior Scientific 1* Rs. 3000-100-3500-125-Not applicable Officer-I (1997)Service Group 'A' 4500. (Chomistry) *Subject to Gazetted, Non-Ministerial variation dependent on workload. 7 Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in Νo accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripusa, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.) 8 Essential:

(i) Master's degree in Chemistry/Biochemistry/Pharmacoutical Chemistry/Microbiology/Pharmacy/Pharmacology/

Physiology/Botany/Veterinary Science from a recognised University or equivalent.

1052 THE GAZETTE OF I	NDIA: FEBRUARY 8, 1997/	MAGHA 19, 1918	[PART II—SEC. 3(i)
	8		
(ii) 5 year's experience in Chem	nical and Physico-ohemical test	ing of drugs.	
Note 1: Qualifications are relaxa otherwise well qualified.	ble at the discretion of the Union	Public Service Comm	nission in ease of candidate
Note 2: The qualification(s) re- Gommission in the case of candi of selection on the Union Public these communities possessing the for them.	dates belonging to the Scheduled Service Commission is of the opi	Castes or the Schedunion that sufficient n	uled Tribes, if at any stage number of candidates from
9	10 -		11
Age (No Educational Qualification : Yes	One year for direct recruits		r on deputation (including ct) failing which by direct
		<u> </u>	
<u> </u>	12		
Transfer on deputation (including	ng short-term Contract):		
1. Officer's under the Gentral G Undertakings/Semi-Governmen	overnment/State Government/Red		stitutions/Public Sector
(a) (i) holding analogous post or	on regular basis;		
(ii) with 5 years regular serv	ice in posts in the scale of Rs. 2200	0-4000 or equivalent;	and
(b) possessing the educational qu	ualifications and experience preso	ribed for direct rectu	its under column 8.

2. The Departmental Senior Scientific Officer-II (Microbiology) with 5 year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feedor category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years). The maximum age limit for appointment by transfer on deputation ((including short-

term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

13 14 Group 'A' Departmental Promotion Committeee (for considering with Union Consultation confirmation: Public Service Commission Addl. Secretary/Joint Secretary, Ministry of Health and necessary on each occasion. Family Welfare -- Chairman Director General of Health Services, New Delhi ---Member Drugs Controller (India), Directorate General of Health 3. Services. New Delhi --- Member Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a member of the Union Public Service Commission shall be held. 2 3 1 5 Senior Scientific Officer-General Central Service 2200-75-2800-EB-100-4000 Not applicable. II((Microbiology). (1997)Group 'A' Gazetted. *Subject to Non-Ministerial. Variation dependent on workload. Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 No years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date preser bed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Paugi Sub-Division of Chamba district of Himnehal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of

applications).

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation):

- 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare —Chairman.
 - '. D'rector General of Health Services, New Delh'-Member.
 - Drugs Controller (India) Directorate General of Health Services, New Delhi—Member.

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Consultation with Union Public Service Commission necessary white making Direct Recruitment.

[No. A-12018/2/91-DMS&PFA] N. K. PUSHPAKARAN, Under Secy

प्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

नई विल्ली, 20 जनवरी, 1997

साठकाठित 82: अमरूद श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1995 के प्रारूप नियम, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) ग्राधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपन्न, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 23 दिसम्बर, 1995 के पृष्ठ 2776-2782 पर भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं 565, तारीख 10 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपन्न की प्रतियों जनता की उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की ग्राविध की समाप्ति से पूर्व श्राक्षेप और सुझाव ग्रामंतित किए गए थे;

उक्त राजपत्न की प्रतियां जनता को 22-1-1996 को उपलब्ध करा दी गई यीं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्रारूप श्राक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है,

श्रतः श्रव केन्द्रीय सरकार, उक्त श्रधिनियम की धारः 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों <mark>का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते</mark> है, श्रर्थात् :---

नियम

- संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ
- (1) इन नियमों का संकिप्त नाम अमरूद श्रेणीकरण और विह्नांकन नियम, 1996 है ।
- (2) ये अमरूद (सोडियम मुआजावा एल) पर लागू होंगे ।
- (3) ये राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :---

- (क) "कृषि विषणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विषणन सलाहकार अभिप्रेत है ;
- (শ্ব) ''प्राधिकृत पैकर'' से अभिन्नेत है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसे इस नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार अमरूद का श्रेणीकरण और चिक्कांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्न अनुदत्त किया गया है ;

201 GI/97-9.

- (ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्न" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया . ऐंगा प्रमाणपत्न अभिनेत हैं जो श्रेणी अभिनान चिह्न के अमध्य का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने के लिए मिसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नियमय की प्राधिकृत करने के लिए जारी किया गया हो ;
- (গ) "श्रेणी अभिधान विश्व" से, बयास्थिति, नियम 5 के उपनियम (1) में दिनिदिष्ट एगमार्क लेखल या नियम 5 के उपनियम (2) में बिदिष्ट एगमार्क प्रशिक्ति अभिश्रेत है;
- (ছ) "अন্মুची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अधिश्रेत है ।

3. श्रेणी अभिधान :

इन नियमों के प्रयोजन के लिए श्रेणी अभिक्षान के नाम होंगे जो अनुमूची-2 के स्तम्भ 1 के अन्तर्गत अमरूदो की क्वालिटी धपदिशित करने के लिए उन्हें दिए गए हैं।

4. क्वालिटी की परिभाषाः

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, क्वालिटी की परिभाषा बही होगी जो अनुसूची-2 के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 6 में प्रत्येक श्रेणी अभिकान के सामने दी गई है।

5. श्रेणी अभिधान चिह्न :---

- (1) श्रेणी अभिधान चिहन में एगमार्क लेबल होगा और उस पर वस्तु का नाम, श्रेणी अभिधान और अनुसूची 1 के भाग 1 में यथा विनिधिष्ट डिजाइन के सद्ग भारत के रेखा मार्नाचल का डिजाइन जिसमें "Agmark" शब्द के साथ उदय होते हुए सूर्य का चिल्ला होगा; या
- (2) उपरियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, कृषि विपणन मलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी साधारण श्रेणीकरण और चिल्लांकन नियम, 1988 के नियम 10 के उपनियम (4) में विनिद्धित अती के अधीन रहते हुए किसी प्राधिकृत पैकर को एगमार्क लेबल के दहने में अनुसूची 1 के भाग 2 में यथा विनिद्धित एगमार्क प्रतिकृति का, जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्न का संख्यांक, "एगमार्क" लब्द, वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान होगा, उपयोग करने की अनुजा दे सकेगा।

6. पैक करने की रीति:---


- (1) अमरूदों को जूट के पैलों, बहुव्यूतित थैलों, पोलिएथिलीन के छिदित थैलों, टोकरियों, लकड़ी की पेटियों या ऋटों या अन्य उपयुक्त आधानों में, जो स्वच्छ, सुदृढ़ और कीट, फफूंद संक्रमण से मुक्त होंगे, पैक किया जाएगा ;
- (2) सूखी घास, पुआल, पत्तों, कागज की फतरनों जैसी ऐसी उपयुक्त गहेबार सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा जो स्वच्छ, गुष्क, फफूंद संक्रमण, कीट ग्रसन और हानिकर गंध से मुक्त होगी ;
- (3) प्रत्येक पंकेज में उसी किस्स और उसी श्रेणी अभिधान के जो उचित रूप से एक समान फल होंगे और ऊपरी परत, आकार आकृति, परिपक्षता, रंग की बाबत, पंकेज की समस्त अंतर्बस्तु की द्योतक होगी और प्रकट दोषों से मुक्त होगी ;
- (4) प्रत्येक पैकेज की मजबूती से बंद किया जाएगा।

7. चिह्नांकन की रीति:---

- (1) श्रेणी आभिश्वान चिन्ह को कृषि विषणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निर्मित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा साधारण श्रेणी-करण और चिन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार अनुमोदिन अमरूद के प्रत्येक पैकेज पर अच्छी तरह से चिप-काया जाएगा या मृद्धित किया जाएगा :
- (2) श्रेणी अभिधान चिन्ह के अतिरिक्त, निम्निक्ति व विधिष्टियां प्रत्येक केवल या आधान पर स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से चिह्नांकित की जाएगी:——
 - (क) प्रेकरका नाम और पता,
 - (ख) वैकिंग का स्थान,
 - (ग) र्रेकिंगकी तारीख, मास और वर्ष में,
 - (घ) लाट/बैच संख्या,
 - (ङ) शुद्ध वजन,

- (घ) श्रेणी,
- (छ) सभी करों महित अधिकतम खुदरा कीमत (केवल देवी वाजार के लिए) ;
- (3) चिन्हांकन के लिए उपयोग की गई स्वाठी ऐंगी क्यांजियों की होगी की असकत की संदूधित न करें ;
- (4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सताहकार या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी। या साधारण श्रेणीकरण और विन्हांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार पूर्व अनुसोक्षा अभिज्ञाणा करने के प्रश्वात् श्रेणीकृत पैक्तों पर अनता प्राध्वेट व्यापार विन्ह या व्यापार ब्रांड विन्हांकिन करेगा, परन्तु यह तथ प्रश्नोक वह इस नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैक्तों पर लहाए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपद्यागत न करे।

अनुपूची 1 [नियम 5(1) देखें] श्रेणी अधिधान चिन्ह



भाग ॥
[तियम 5 (2) देखिए]
श्रेणी अभिधान चिनह
(एगसार्क प्रतिकृति का डिजनटन)



NAME OF COMMODITY......

GRADE.....

श्रनुसुची 2

(नियम 3 और नियम 4 वें खए)

श्रेणी, श्रमिधान और श्रमरूदों की क्वालिटी की परिभाषा

	क्वालिटी की परिभाषा					
श्रेणी ग्रभिधान	विक्षेप	श्रपेक्षाएं	साधारण श्रपेक्षाएं			
	श्राकार* (मिस्री० में व्यास)	फल का माकार	फल का रंग	गृदेकारंग		
1	2	3	4	5		
श्रेणी I	80 मिली मी० और ग्रधिक	गोलाकार या अंडाकार या गोलाकार अंडाकार या वीर्घवत या दीर्घा- यतवत ।	हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल पीलापन लिए हुए सफेद, या ऋस्बेन पीला और दूधियारंग।	हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल पीलापन लिए हुए सकेंद, या केसडेन पीला और दूधियारंग ।		
श्रेणी II	> 60 मि०मी० लेकिन < 80 मि०मी०	गोलाकार या अंद्राकार या गोलाकार अंद्राकार या दीर्घवत या दीर्घायतवत	हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल या पीलापन लिए हुए सकेद या केसडेन पीला और दूधिया रंग।	हरापन लिए हुए पील। या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल या पीलापन लिए हुए सफेद या क्षेसक्केन पीला और दूधिया रंग।		
श्रणी III	40 मि०मी० से 60 मि०मी० तक	गोक्षाकार या अंडाकार या गोलाकार अंडाकार या दीर्घवत या दीर्घायतवन ।	हरापन लिए हुए पीला यो हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल या पीलापन लिए हुए सफेद या ऋसडेन पीला और दूधिया रंग।	हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल या पीलापन लिए हुए सकेंद्र या ऋसडेन पीला और दुविया रंग।		

श्रेणी में आकस्मित चूक के लिए अगली निम्नतर श्रेणी में वजन द्वारा आकार में 5 प्रतिशत के अंतर की सहायता को अनुकात किया जाएगा !

गूदे का रंग, लाट में से केवल किसी भी एक या दो प्रतिशत फलों को काट कर विनिश्चित किया जाएगा । स्पष्टीकरणं :---

- 1. उसी प्रकार की किस्मों की विशेषताएं: किस्म की विशिष्ट पहचान योग्य विशेषताएं।
- 2. रंग:अमरूदों में किस्म के विभिष्ट रंग होंगे। छिलके और गूदे का रंग या को हरापन लिए हुए पीला या हल्का पीला या गुलाबी पीला या लाल या पीलापन लिए हुए सफेद या लाल रंग पीले रंग का होगा।
- सक्त: मुलायम या पिलपिला नहीं होगा ।
- अच्छी तरह विकसित: फलों में किस्म की आकृति और आकार की विशेषता होगी।
- बिगड़ा आकार : देखने में विरूपित प्रेक्षेपित होगा ।
- 6. खोखालाकोरः अंदर की ओर गुहिका बनी हो और बीज या गुदा नहीं होता है।
- 7. अति: कोई खराबी या अति जिससे अमरूद की खाने योग्य या बिपणन क्वालिटी प्रभावित होती हो।

माधारण अपेक्षाएं

6

अमरुष.

- ा. माइटेंसी परिवार के बानस्पतिक रूप से "सोडियम मुआजावा एल०" के रूप में ज्ञात वृक्ष से प्राप्त फल होगा ;
- देखने में सुविकासित, पक्का, साबुत कड़ा, स्वच्छ और ताजा होगा ,
- 3. आकृति, आकार, रंग, परिपक्वता और कम बीज वाली किस्मों से मुसंगत लक्ष्णों के उचित रूप से अनुरूप होगा ;
- फफंडी, कीट, बीमारी, कलुप, कीट और चिष्ठियों के संक्रमण से मुक्त होगा;
- क्रुगठन, खोखले कोर, यांत्रिक/वास्तिविक क्षति और पाले द्वारा हुए नुकसान से मुक्त होगा ;
- 6. बाह्य नमी, ऑतरिक्त गंध या स्वाद से मुक्त होगा ;
- अच्छी व्यापार योग्य दशा और सभी प्रकार से मानवीय उपभोग के लिए उपत्रक्त होगा ;
- छ। छ। अपिश्रण निवारण निवम, 1955 के अधीन यथा विहित एफलाटाक सिन, अंतर्वस्तु, ध।त्विक संदूषक, कोटनाशी अविशिष्टीं के संबंध में निर्वधनों का अनुपालन करेगा;
- 9. ईकोमार्क "ECOMARK" के लागू होने के लिए सुसंगत नियमों के अधीम विहित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

परिपक्तता : अमरूदों को उचित परिपक्त अवस्था में तोड़ा (उठाया) जाएगा ताकि परिवहन और भंडारण के दौरान बाद में पक जाए ।

> [फा॰ सं॰ 18011/9/94-एम॰ II] पालाट मोहनदास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT New Delhi, the 20th January, 1997

G.S.R. 82.—Whereas the draft Guavas Grading and Marking Rules, 1995 were published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India, in the Ministry of Rural Areas and Employment vide number G.S.R. 565 dated the 10th November, 1995 on pages 2776 to 2782 of the Gazette of India, Part-II, section 3, Sub-section (i) dated the 23rd December, 1995 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 22nd January, 1996;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

RULES

- 1. Short title, application and commencement,—(1) These rules may be called the Guavas Grading and Marking Rules, 1996.
 - (2) They shall apply to Guavas (Psidium Guayava L.).
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted certificate of authorisation to grade and mark Guavas in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (c) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules. 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Guavas with the grade designation marks;
- (d) "grade designation mark" means the mark label referred to in sub-rule (1) of rule 5 or the Agmark replica referred to in sub-rule (2) of rule 5 as the case may be;
- (e) "Schedule" means a schedule appended to these rules.
- 3. Grade designations.—For the purpose of these rules the grade designations shall be the names of the grades which indicate the quality of guavas as given under column-I of Schedule-II.
- 4. Definition of quality.—For the purpose of these rules the definition of the quality shall be such as given against each grade designation from columns 2 to 6 of Schedule-II.
- 5. Grade designation marks.—(1) The grade designation mark shall consist of the Agmark label and shall specify the name of the commodity, grade designation and bearing a design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and a figure of the rising sun and resembling the design as specified in part-I of Schedule-I, or
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised


by him in this behalf, subject to the conditions specified in sub-rule (4) of rule 10 of the General Grading and Marking Rules, 1988 may permit an authorised packer to use Agmark replica as specified in Part II of Schedule I consisting of a design incorporating the number of Certificate of Authorisation, the word "AGMARK", the name of the commodity and grade designation, instead of Agmark label.

- 6. Method of packing.—(1) Guavas shall be packed in jute bags, poly-woven bags, perforated polyethelene bags, baskets, wooden boxes or crates or other suitable containers which shall be clean, sound and free from insect or fungal infection.
- (2) Suitable cushioning materials such as any grass, paddy straw, leaves, paper shavings may be used which shall be clean, dry, free from fungal infection, insect attack and obnoxious smell:
- (3) Each package shall contain fruits of the same variety and of the same grade designation, reasonably uniform and the top layer shall be representative of the entire contents of the package in respect of size, shape, maturity, colour and free from visible defects.
 - (4) Each package shall be securely closed.
- 7. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package of guavas in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.
- (2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each label or container namely:—
 - (a) name and address of the packer,
 - (b) place of packing,
 - (c) date of packing in month and year,
 - (d) lot/batch number,
 - (e) net weight,
 - (f) grade,
 - (g) maximum retail price inclusive of all taxes (only for domestic market);
- (3) The ink used for marking shall be of such quality which does not contaminate the guavas;
- (4) The authorised packer may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1938 mark his private trade marks or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

Part-I
Schedule-I
[See Rule 5(1)]
Grade designation mark
(Design of Agmark label)



Part-H
[See Rule 5(2)]
Grade designation mark
(Design of Agmark replica)



SCHEDULE-II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of Guavas

1.	2	3	4
Grøde-II	60 mm 80mm.	Roundish or ovate or Roundish ovate or oblong or oblongus.	Greenish yellow or straw yellow or pinkish yellow or red or yellowish white or cresden yellow and cream colour
Grade-III	40 mm to 60 mm	Roundish or ovate or Roundish ovate or oblong or oblongus.	Greenish yeilow or straw yellow or pinkish yellow or red or yellowish white or cresden yellow and cream colour.
Colour of the flesh %	·	General re	quirements
	5	The second secon	6

Greenish yellow or straw yellow or piniksh yellow or red or yellowish white or cresden yellow and cream colour.

Greenish yellow or straw yellow or pinkish yellow or red or yellowish white or cresden yellow and cream colour.

Greenish yellow or straw yellow or pinkish yellow or red or yellowish white or cresden yellow and cream colour.

Guavas shall.—

- (1) be the fruits obtained from the treee botanically known as "Psidium Guajva La." of family myrtaceae;
- (2) be well developed, mature, whole, firm, clean and fresh in appearance;
- (3) be reasonably uniform in shape, size colour, maturity and characteristics relevant to the variety with less seeds;
- (4) be free from mould, pests, bruises, diseases, blemish and birds attack;
- (5) he free from malformation, hollowcore, mechanical or physical injury and damage caused by frost;
 - (6) be free from external moisture, rotting foreign smell and or taste:
- (7) be in sound merchantable condition and fit for human consumption in all respects;
- (8) comply with the restrictions in regard to aflatoxin content, matallic contaminants and insecticide residues as prescribed under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955;
- (9) comply with requirements prescribed under relevant rules for application of "ECOMARK"

Explanations:

- (!) Similar varietal characteristics; Typical identifiable characteristics of the variety.
- (2) Colour: Guavas having characteristics colour of the variety. The colour of the skin and flesh may be either greenish yellow or straw yellow or pinkish yellow, or red or yellowish white or creasen yellow or crease colour.

^{*}Tolerance of 5% variation in size by weight of next lower grade shall be allowed for accidental errors in grading.

[@]Colour of the flesh shall be decided by cutting open randomly only one or two percent of fruits from the lot.

- (3) Firm: Not soft or flabby.
- (4) Well-developed; Fruits having characteristics shape and size of the variety.
- (5) Malformed; Deformed appearance, having protrusions.
- (6) Hollow-core; A Cavity formed inside and without seed or pulp.
- (7) Damages: Any defect or injury which affects the edible or the marketable quality of guavas.
- (8) Maturity; Guavas shall have been picked at the proper stage of maturity, so as to permit the subsequent pripering during transportation and storage.

[File No. 18011/9/94-M. II] PALAT MOHANDAS, Jt. Secy.